

अध्याय-21

विधान

संसद् ऐसी संस्था है जिसके अनेक कार्य होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। विधान संबंधी सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। विधेयक प्रारूप परिनियम होता है और कोई भी विधेयक संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिये जाने और उसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान कर दिये जाने तक कानून नहीं बन सकता है।

विधेयक का प्ररूप

किसी विधेयक की न्यूनाधिक निम्नलिखित विशेषताएं अथवा प्ररूप होता है:

विस्तृत नाम: इसमें प्रस्तावित उपाय के स्वरूप का वर्णन होता है और यह विधेयक के आरम्भ में होता है। “...आदि के लिए विधेयक”।

प्रस्तावना: यह विस्तृत नाम के पश्चात् और अधिनियमन सूत्र से पहले होती है और इसमें उन कतिपय कारणों को स्पष्ट किया जाता है जिनके कारण यह कानून बनाया जाना आवश्यक हो गया है। “जबकि.... आदि।” तथापि, हाल में अधिकांश विधेयकों में प्रस्तावना को समाविष्ट नहीं किया गया है।

अधिनियमन सूत्र: यह विधेयक के खंडों से पहले का संक्षिप्त पैराग्राफ होता है। “भारत गणराज्य के— वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:—”²

संक्षिप्त नाम: यह किसी कानून का सूचकांक-शीर्ष है और इसे विधेयक के प्रथम खंड में उद्धृत किया जाता है। “इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ...अधिनियम, 20...” है। दो या दो से अधिक विधेयकों को उसी वर्ष एक ही मूल अधिनियम में संशोधनार्थ पुरः स्थापित किये जाने पर उन्हें क्रमानुसार संख्यांकित किया जाता है।³

विस्तार-खंड: इसमें स्पष्टतया यह उल्लेख किया जाता है कि क्या प्रस्तावित कानून सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा या जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा या केवल संघ-राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा या उन राज्यों पर लागू होगा जिनके विधान-मंडलों ने संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत संकल्प पारित किये हैं या सम्पूर्ण भारत, भारत के नागरिकों या व्यक्तियों की कुछ अन्य श्रेणियों पर भी लागू होगा।

प्रारम्भ-खंड: इसमें यह उल्लेख किया जाता है कि अधिनियम कब से लागू होगा। सामान्य परिपाटी यह है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार या लागू होने संबंधी तथा प्रारम्भ खंडों को तीन उपखण्डों में विभाजित कर एक ही खण्ड में रखा जाता है। किसी अधिनियम के प्रारम्भ के बारे में सामान्य नियम यह है कि किसी स्पष्ट प्रतिकूल उपबंध के अभाव में अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त होता है, जिस तिथि को राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं।⁴ इसलिए तत्काल प्रवृत्त होने वाले अधिनियम में सामान्यतः प्रारम्भ खंड नहीं

होता है। यदि कोई अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होता है, तो उसके प्रारम्भ खंड का निम्नलिखित स्वरूप होता है: यह अधिनियम....को प्रवृत्त होना समझा जायेगा। अनेक मामलों में केन्द्रीय सरकार को किसी अधिनियम को 'उस तिथि से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे' प्रवृत्त करने की शक्ति प्रदान की जाती है और इसके अतिरिक्त कुछ अधिनियमों में यह उपबंध किया जा सकता है कि इनके विभिन्न उपबंध भिन्न-भिन्न तिथियों को प्रवृत्त होंगे।⁷

अवधि खंड: किसी अस्थायी विधेयक में इसे उस विधेयक के पहले खंड में एक उपखंड के रूप में सम्मिलित किया जाता है और इसमें उक्त अधिनियम को प्रवृत्त रहने की अवधि को दर्शाया जाता है; और विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार का अधिनियम निष्प्रभावी हो जाता है।⁸

घोषणात्मक खंड: कतिपय विधेयकों में यह विधेयक के खंड एक (उद्धरण-खंड) के पश्चात् आता है और इसमें उस आवश्यकता या अपेक्षा के बारे में घोषणा की जाती है या बताया जाता है जिसकी पूर्ति हेतु परिनियम को बनाया गया है। सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 31-ग या सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 7, 23, 27, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64 या 67 के अन्तर्गत अनुध्यात् विधान में घोषणात्मक खंड अन्तर्विष्ट होता है।⁹

परिभाषा खंड: यह सामान्यतः संक्षिप्त नाम के तत्काल बाद आता है और इसमें अधिनियम या अधिनियम के किसी भाग या अध्याय विशेष में प्रयुक्त शब्दों या वाक्यांशों की अस्पष्टता को दूर करने के लिए अधिनियम में आने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषा दी गई होती है।¹⁰ परिभाषाएं वर्ण-क्रमानुसार दी गई होती हैं।

नियम बनाने संबंधी खंड: इसमें प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है, जिसका निर्धारित स्वरूप होता है और इसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति वाले सभी विधेयकों में अन्तः स्थापित किया जाता है। यह तीन सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है अर्थात् नियमों आदि को संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए, नियम बनाये जाने के पश्चात् उन्हें यथाशीघ्र, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पटल पर रखा जाना चाहिए और वे एक विहित अवधि के भीतर संसद् द्वारा संशोध्य होने चाहिए।

निरसन और व्यावृत्ति खंड: यह किसी विधेयक के अन्त में होता है और किसी अधिनियम या अध्यादेश को निरस्त करता है और कुछ ऐसे प्रावधानों को आरक्षित करता है जिन्हें अन्यथा अधिनियम भाग की शब्दावली में सम्मिलित कर लिया गया होता है अथवा उन अधिकारों की रक्षा करता है जो विद्यमान कानून के अन्तर्गत प्रोद्भूत हुए हों। निरसन और व्यावृत्तियों दोनों से संबंधित उपबंधों को एक ही खंड में समाविष्ट किया जाता है। साधारण खंड अधिनियम में किसी अधिनियम के निरसन के विभिन्न प्रभावों के बारे में उपबंध किया गया है।¹¹

अनुसूचियां : इन्हें कुछ विधेयकों में संलग्न किया जाता है और इनमें ब्यौरे संबंधी विषयों जैसे-प्रारूप, सूचियां, तालिकाएं आदि दी गई होती हैं। इन्हें 'प्रथम अनुसूची', 'द्वितीय अनुसूची', आदि कहा जाता है और इनके आरम्भ में विधेयक के संबंधित खंड का उल्लेख किया जाता है।

उपरोक्त खंडों के अतिरिक्त, किसी विधेयक में अपवाद और उन्मुक्ति, प्रक्रिया विषयक मामले, प्रस्तावित अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव, शास्ति, शंकाओं का निराकरण और निर्देश जारी करने की शक्ति से संबंधित उपबंध भी हो सकते हैं। प्रत्येक खंड किसी प्रस्ताव सहित एक स्वतः पूर्ण पैराग्राफ होता

है। किसी खंड को उपखंडों में विभक्त किया जा सकता है और किसी उपखंड को मर्दों में विभक्त किया जा सकता है। खंडों को क्रमानुसार 1, 2, 3 आदि, उपखंडों को (1), (2), (3), आदि और मर्दों को (i), (ii), (iii), आदि या (क), (ख), (ग) आदि संख्या प्रदान की जाती है। यदि कोई विधेयक लम्बा है, तो उसे अध्यायों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक अध्याय, खंड और अनुसूची को संक्षिप्त शीर्षक प्रदान किया जाता है। पच्चीस से अधिक खंडों वाले विधेयक में “खंडों का क्रम” नामक विधेयक की विषय-सूची भी होती है। पच्चीस से अधिक खंडों वाले विधेयकों या अत्यधिक तकनीकी स्वरूप के विधेयकों जैसे कुछ मामलों में, जो आसानी से समझ में नहीं आते हैं, खंडों में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों के व्याख्यात्मक टिप्पण भी संलग्न होते हैं। ये टिप्पण व्याख्यात्मक होते हैं और खंडों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में सहायक होते हैं।¹² संशोधन विधेयकों में उक्त विधेयकों द्वारा संशोधित किये जाने वाले मूल अधिनियमों के संगत उपबंधों के उद्घरण भी अनुपत्रों के रूप में अन्तर्विष्ट होते हैं।

विधेयकों के प्रकार

विधेयकों को किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रायोजित किये जाने के आधार पर सरकारी विधेयकों और गैर-सरकारी सदस्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधेयकों को उनकी विषय-सूची के अनुसार मोटे तौर पर (क) नये प्रस्तावों, विचारों या नीतियों वाले मूल विधेयक, (ख) विद्यमान अधिनियमों में परिवर्तन, संशोधन या परिशोधन करने वाले संशोधन विधेयक, (ग) किसी विषय-विशेष के बारे में विद्यमान कानून/अधिनियम को समेकित करने वाले समेकन विधेयक, (घ) ऐसे अधिनियमों को, जिनकी अवधि, अन्यथा, किसी विनिर्दिष्ट तिथि को समाप्त हो जायेगी, जारी रखने वाले अवसानोन्मुख विधि (प्रवृत्त बने रहना) विधेयक, (ङ) परिनियम पुस्तिका को सुस्पष्ट करने वाले निरसन और संशोधन विधेयक, (च) कतिपय कार्यों को विधि-मान्यता प्रदान करने वाले विधि-मान्यकरण विधेयक, (छ) अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक, (ज) धन और वित्तीय विधेयक और (झ) संविधान संशोधन विधेयकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

किसी विधेयक के लिए आवश्यक बातें

नियमों के अन्तर्गत, किसी विधेयक में इसके मूल पाठ के साथ-साथ उद्देश्यों और कारणों का कथन, प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन और वित्तीय ज्ञापन, जहां कहीं आवश्यक हो, का होना आवश्यक है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में प्रस्तावित विधान के प्रयोजन को संक्षेप में बताया जाता है। उक्त कथन में किसी विधेयक की विषय-वस्तु और उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है और इससे उक्त विधेयक की आवश्यकता और उसकी व्याप्ति को समझने में मदद मिलती है। अतः इसे गैर-तकनीकी शब्दावली में तैयार किया जाना आवश्यक होता है; इसमें तर्कादि का समावेश नहीं किया जाना चाहिए।¹³ इसमें सभापति द्वारा, यदि वह उचित समझे, संशोधन किया जा सकता है।¹⁴

एक बार गैर-सरकारी सदस्यों के एक विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन को अत्यधिक लम्बा पाया गया और उसमें तर्कादि और विधेयक से असम्बद्ध बातों को भी समाविष्ट किया गया था। अतः उक्त कथन में संशोधन किया गया था। जब संबंधित सदस्य से उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए कहा गया, तब उसने यह शिकायत की कि कथन में कुछ परिवर्तन, संवर्धन और कुछ अंशों को निकालकर “काट-छांट” कर दी गई है। अतः वह यह चाहते थे कि उक्त कथन के उनके मूल पाठ को फिर से लगाया जाये और तत्पश्चात् इसे सदस्यों में परिचालित किया जाये। अतः सदस्य के अनुरोध पर उक्त विधेयक के पुरःस्थापन को स्थगित कर दिया गया था। बाद में संबंधित सदस्य से परामर्श कर उक्त कथन में और संशोधन किया गया और उसे विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने वाले दिन सदस्यों में परिचालित किया गया।¹⁵

विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी प्रस्तावों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उनकी व्याप्ति के प्रति ध्यान आकृष्ट करना और यह बताना भी आवश्यक है कि क्या उनकी व्याप्ति सामान्य या असाधारण प्रकृति की है।¹⁶ सामान्य प्रकार के प्रत्यायोजित विधान में समर्थकारी अधिनियम में ही प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमाओं की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है और इसमें सैद्धान्तिक मामलों या कर अधिरोपित करने के बारे में विधान बनाने या इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले या किसी अन्य अधिनियम सहित संसद् द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम में कोई संशोधन करने की शक्ति जैसी शक्तियां नहीं होती हैं। असाधारण प्रकार के प्रत्यायोजित विधान में इससे पूर्व उल्लिखित शक्तियां होती हैं या प्रदत्त शक्तियां इतनी विस्तृत होती हैं कि उनकी सीमाओं की व्याख्या करना संभव नहीं होता है या उनकी सीमाएं विनिर्दिष्ट करते समय उन पर न्यायालयों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है।¹⁷

ऐसे किसी विधेयक में जिसमें, व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, वित्तीय ज्ञापन का होना आवश्यक है जिसमें विशेषतः उन खण्डों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया हो, जिनमें कि व्यय अन्तर्ग्रस्त हो और विधेयक के कानून का रूप ग्रहण कर लेने की स्थिति में आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय का भी अनुमान दिया गया हो। विधेयक की मुद्रित प्रति में इन खण्डों को मोटे या तिरछे अक्षरों में दर्शाया जाता है।¹⁸

सुस्थापित प्रथा के अनुसार, किसी अध्यादेश के स्थान पर उक्त अध्यादेश के उपबंधों में संशोधनोंयुक्त किसी विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करते समय विधेयक में अंतर्विष्ट संशोधनों की विधेयक के साथ संलग्न ज्ञापन में व्याख्या की जाती है।¹⁹

सदन की विधायी सक्षमता

संविधान की सातवीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट तीन सूचियों में संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्ति और दोनों के लिए समवर्ती शक्ति के विभाजन का उपबंध किया गया है। इन सूचियों में उन विषयों का वर्णन किया गया है जिनके बारे में संसद्, राज्यों और संसद् और राज्यों दोनों को, यथास्थिति कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इन विषयों के तीन सूचियों में वर्गीकरण से सदन के समक्ष विषयों-विशेष के संबंध में विधान बनाने की संसद् की सक्षमता के बारे में सदन में अनेक बार प्रश्न उठाये गये हैं। अब यह एक सुस्थापित प्रथा बन चुकी है कि सभापति सदन की विधायी सक्षमता के बारे में कोई व्यवस्था नहीं देते हैं।

सदन भी किसी विधेयक की शक्तिमत्ता के विशिष्ट प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं करता है। इस मामले में सदस्य अपने विचार प्रकट करने और विधेयक के बारे में विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान करते समय इसकी शक्तिमत्ता के पहलू पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभापति, हालांकि वह इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन सामान्यतः इस बारे में किसी अन्तिम निर्णय को सदन पर ही छोड़ देते हैं।

एक सदस्य द्वारा पुरःस्थापित महिला और बाल संस्थाएं अनुज्ञापित विधेयक, 1953 पर विचार आरंभ करते समय संबंधित मंत्री द्वारा यह बताया गया था कि इस विधेयक को सम्पूर्ण भारत पर लागू किया जा रहा है, जबकि संसद् तत्समय भाग 'ग' के अन्तर्गत आने वाले राज्यों के संबंध में विधान बना सकती थी। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि यह तकनीकी दोष है जिसे अनदेखा किया जा सकता है। उपसभापति इससे सहमत नहीं हुए और उक्त विधेयक पर आगे विचार किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने से इन्कार कर दिया।²⁰

1956 में उसी विषय पर उसी सदस्य द्वारा एक अन्य विधेयक पुरःस्थापित किये जाने पर यह औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि चूंकि इस विधेयक की विषय-वस्तु राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के अन्तर्गत पूर्णतः राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है अतः यह विधेयक संसद् की विधायी सक्षमता के अन्तर्गत नहीं आता।

उपसभापति ने यह विचार व्यक्त किया कि यह विधेयक समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 के अन्तर्गत भी आ सकता है। तथापि, उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की:

मैं कोई व्यवस्था देने की जिम्मेवारी स्वयं पर इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इस बारे में पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है। 9 दिसम्बर, 1947 को किसी विधेयक विशेष पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या यह विधेयक अधिकारातीत है। अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि सामान्य परिपाटी यह रही है कि सभापीठ यह निर्णय करने और इस कारण से किसी विधेयक को अस्वीकृत करने का दायित्व स्वयं पर नहीं लेती है कि क्या कोई विधेयक विशेष अधिकारातीत है या नहीं²¹ अतः मैं यह निर्णय करने का कार्य सदन पर छोड़ देता हूँ कि क्या यह अधिकारातीत है या नहीं।²²

एक अन्य अवसर पर एक सदस्य द्वारा पुरःस्थापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1959 पर, जिसमें लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने का उपबंध किया गया था, विचार आरम्भ करते समय एक औचित्य-प्रश्न उठाते हुए विधि मंत्री ने यह निवेदन किया कि संसद् इस विधेयक पर विचार करने के लिए इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि संविधान में संसद् और राज्यों की विधान सभाओं के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया गया है और निर्वाचित सदस्यों को वापस बुलाने के लिए उपबंध करने हेतु संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक है। सदस्यों के विचार सुनने के बाद उपसभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

...विधेयक के पुरःस्थापन के समय यह आपत्ति नहीं की गई थी। लेकिन मैं अभी भी यह महसूस करता हूँ कि विधि मंत्री द्वारा की गई आपत्ति काफी हद तक ठीक है और ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। लेकिन सभापीठ ने किसी विधेयक के अधिकारातीत या अन्यथा होने का निर्णय करने का कभी भी दायित्व नहीं लिया है। इस संबंध में सभापीठ ने अनेक बार अपने निर्णय दिये हैं। वस्तुतः 23 अप्रैल, 1951 को अन्तःकालीन संसद् में अग्रिम संविदा (विनियमन) विधेयक पर जब यह आपत्ति की गई थी कि यह संवैधानिक दृष्टि से अधिकारातीत है, तब अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की: मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि अधिकारातीत विषयक प्रश्न का निर्णय सभापीठ द्वारा नहीं किया जायेगा बल्कि इसे सदन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि सदन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह विधेयक अधिकारातीत है, तो वह इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि सदन विधेयक को विचारार्थ स्वीकार कर लेता है, तो व्यथित पक्ष उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालयों से अपेक्षित राहत प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मैंने यह कहा था कि संवैधानिक बारीकियों के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि इन विषयों पर अधिवक्ताओं द्वारा ही ठीक प्रकार से बहस आदि की जा सकती है और इन बारीकियों पर विस्तृत चर्चाएँ कर सदन का समय नष्ट करना उचित नहीं है।

पुनः 1953 में, विधान सभा (निरहता निवारण) विधेयक की संवैधानिकता का प्रश्न उठाये जाने पर निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

ऐसे सभी मामलों में अध्यक्ष ने कभी भी इस औचित्य प्रश्न का निर्णय करने का दायित्व स्वयं पर नहीं लिया है कि क्या यह संविधान सम्मत है या नहीं। किसी विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत करते समय सदन को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

इन परिस्थितियों में, मैं इस विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का कार्य सदन पर ही छोड़ देता हूँ। इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी।²³

बाद में एक अन्य अवसर पर वित्त मंत्रालय में उपमंत्रि द्वारा अनिवार्य निक्षेप योजना विधेयक, 1963 को विचारार्थ उपस्थित करते समय एक सदस्य ने यह तर्क दिया कि इस विधेयक में संविधान के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन किया गया है क्योंकि यह किसी नागरिक के अपनी परिसम्पत्ति के इच्छित तरीके से निपटान करने के अधिकार का अतिक्रमण करता है। सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् सभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

मैं माननीय सदस्यों को किसी निर्णय पर पहुंचने में मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे विचार में, प्रथम दृष्टया, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, परन्तु मैं कोई व्यवस्था नहीं देना चाहता क्योंकि केन्द्रीय विधानमंडल में यह मान्य परिपाटी रही है कि सभापीठ यह निर्णय करने का स्वयं पर दायित्व नहीं लेती है कि क्या किसी विधेयक पर विचार करने के लिए सदन के पास विधायी सक्षमता

है या क्या कोई विधेयक अधिकारातीत है। जब इस प्रकार का कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो सामान्य परिपाटी यह रही है कि इस प्रकार के मामले को सदन के निर्णयार्थ छोड़ दिया जाये। ऐसा करने का मुख्य कारण यह है कि सदन की विधायी सक्षमता या प्रस्तावित विधान की संवैधानिकता से संबंधित प्रश्न प्रायः कठिन और पेचीदा होता है और इस प्रकार के प्रश्न के बारे में कोई निर्णय करना न्यायालय और अन्ततोगत्वा उच्चतम न्यायालय का कार्य है। पीठासीन अधिकारी को अनधिकार चेष्टा कर स्वयं न्यायालय के कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहिए, विशेषतया उसे इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई संतोषप्रद निर्णय करने के लिए सुविधाओं या सामग्री का अभाव होता है। किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किये गये किसी प्रस्ताव से उत्पन्न प्रत्येक प्रश्न के बारे में कोई निर्णय करना सदन का ही विशेषाधिकार और दायित्व है। अतः यदि इस मामले को सदन के निर्णयार्थ छोड़ दिया जाता है, तो सदन, यदि उसकी सम्मति में यह विधेयक अधिकारातीत है, तो इसे अस्वीकृत कर सकता है। तथापि, यदि सदन विधेयक को स्वीकार कर लेता है तो इस अवस्था में भी व्यथित पक्ष न्यायालयों और अन्ततः उच्चतम न्यायालय से अपेक्षित राहत प्राप्त कर सकता है। यह प्रश्न अनेक बार संसद् के समक्ष आया है और इस संबंध में वही मान्य प्रथा रही है, जिसका कि मैंने यहां उल्लेख किया है।¹⁴

मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार आरम्भ करने से पूर्व सदस्यों ने विधेयक की संवैधानिकता के बारे में विभिन्न मुद्दे उठाये। सभापति ने उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दी और तदुपरान्त निम्नलिखित व्यवस्था दी :

संसद् के दोनों सदनों में यह सुस्थापित पूर्व-निर्णय दिया गया है कि सभापीठ किसी विधान की शक्तिमत्ता के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं देती है। यह इस बात की जांच नहीं करती है कि कोई विधान अधिकारातीत है या प्राधिकाराधीन। इसका निर्णय करना न्यायालय का कार्य है। यह बात संविधान के लागू होने के पश्चात् दिये गये सभी निर्णयों से सिद्ध हो जाती है। इसी सिद्धांत के अनुसरण में मैं यह निर्णय नहीं कर रहा हूँ कि यह विधेयक प्राधिकाराधीन है या अधिकारातीत। सदन ने आपत्तियों को सुना है और सदस्य दोनों ओर से दिये गये तर्कों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक सभापीठ का सम्बन्ध है, सभापीठ यह व्यवस्था देती है कि सभापीठ का यह कार्य नहीं है कि वह इस पर निर्णय दे कि इस विधेयक पर विचार करना इस विधायिका की सक्षमता के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं।¹⁵

विधेयक के तीन वाचन

धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंधों के अध्यक्षीन, कोई भी विधेयक संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।¹⁶ इसके अतिरिक्त, कतिपय मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों और धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 108 और 109 के उपबंधों के अध्यक्षीन, किसी विधेयक को संसद् के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित कर दिया जाना नहीं माना जाता है, जब तक कि दोनों सदन उक्त विधेयक पर किसी संशोधन के बिना या सिर्फ ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सहमत हों, अपनी सहमति नहीं दे देते हैं।¹⁷

संसद् के प्रत्येक सदन में किसी विधेयक के तीन वाचन होते हैं। प्रथम वाचन किसी विधेयक को पुरःस्थापित करते समय होता है। किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त विधेयक को पुरःस्थापित किया जाता है या किसी विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने संबंधी जानकारी को पहले ही राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है या दूसरे सदन, जहां विधेयक प्रस्तुत किया गया हो, द्वारा पारित रूप में उक्त विधेयक को सभा पटल पर रख दिया जाता है। द्वितीय वाचन में दो अवस्थाएं होती हैं: पहली अवस्था में सामान्यतः निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव पर विधेयक के सिद्धांतों और इसके उपबंधों पर चर्चा की जाती है: 'कि इस पर विचार किया जाये'; 'कि इसे राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये'; 'कि इसे लोक सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये'; 'कि इस पर मत जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये' और दूसरी अवस्था में विधेयक पर पुरःस्थापित रूप में या प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्डशः विचार किया जाता है। तृतीय

वाचन के समय इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि 'विधेयक को (या यथा-संशोधित विधेयक) पारित किया जाये या (धन विधेयक के मामले में लोक सभा को) लौटया जाये।'

प्रत्येक विधेयक के तीन वाचन होते हैं या उसे ऊपर उल्लिखित अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन विधेयकों की कुछ श्रेणियाँ जैसे सरकारी विधेयकों, संविधान संशोधन विधेयकों, धन और वित्त विधेयकों, अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयकों और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में विशेष प्रक्रियात्मक पहलू होते हैं और इनके संबंध में इसलिए पृथक् प्रक्रिया अपनायी जाती है।

राज्य सभा में आरंभ किये जाने वाले सरकारी विधेयक

विधायी नीति का निरूपण

विधायी नीति का निरूपण किसी विधेयक को तैयार करने की पहली अवस्था है। परिनियम किसी विधायी नीति की औपचारिक और विधिक अभिव्यक्ति होता है और इसलिए किसी विधेयक का प्रारूप तैयार किये जाने से पूर्व संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों में प्रशासनिक वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से उसके द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नीति को निर्धारित और नियत कर दिया जाना चाहिए।²⁸ पर्याप्त विचार-मंथन के बाद ही किसी विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है। सामान्यतः किसी शिकायत का निरूपण या यह अनुभव किया जाता है कि किसी नई आवश्यकता को पूरा करना होगा और ऐसा कानून में कुछ और जोड़कर या उसमें परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। इसके पश्चात् इसका कोई उपयुक्त समाधान या उपाय ढूँढ़ने का प्रयास किया जाता है जिसमें प्रायः परस्पर-विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। विधायी विचार किसी व्यथित व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकता है या यह लोक हित के लिए सक्रिय किसी समाज या लोगों के समूह या किसी विधान का प्रस्ताव रखने में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी 'दबाव-समूह' के ठोस प्रयासों का प्रतिफल हो सकता है या किसी विषम समस्या से जूझ रही कार्यपालिका कोई ऐसा विधान बनाने का विचार कर सकती है जिससे कि उसका समाधान किया जा सके या फिर कोई विधान बनाने संबंधी विचार सत्तारूढ़ दल की घोषित नीति का ही एक अंग हो सकता है।²⁹

विधायी विचार उत्पन्न होने के पश्चात्, सरकार विधायी प्रस्ताव तैयार करती है। इस अवस्था में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये जाते हैं : प्रशासनिक मंत्रालय प्रस्ताव की विशिष्टताओं को दर्शाते हुए एक टिप्पण के रूप में उसकी मुख्य रूप-रेखा तैयार करता है, विधि मंत्रालय उसकी संवैधानिक वैधता और विद्यमान कानून में संशोधन करने या नया कानून बनाये जाने की आवश्यकता की जांच कर उसे विधिक स्वरूप प्रदान करता है या उसे प्रारूप विधान के रूप में प्रस्तुत करता है।³⁰ इसके पश्चात् उक्त मामले के तथ्यों और प्रस्तावित विधायी उपायों को दर्शाते हुए एक पूर्ण सार तैयार किया जाता है और उसे विचार एवं अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।³¹

विधेयक को तैयार किया जाना

मंत्रिमंडल द्वारा किसी विधायी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिये जाने पर इस संबंध में कार्य की शुरुआत करने वाला मंत्रालय विधान बनाये जाने के लिए निर्दिष्ट मानकों को स्पष्टतः दर्शाते हुए एक ज्ञापन तैयार करता है और विधि मंत्रालय से विधेयक को संसद् में पुरःस्थापित किये जाने हेतु उसका प्रारूप बनाने के लिए अनुरोध करता है।³² किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने का कार्य प्रारूप विषयक निर्देशों-युक्त ज्ञापन के प्राप्त हो जाने पर भी हमेशा ही आरम्भ नहीं हो जाता है। विषय-वस्तु, नीति, विधि का स्वरूप और इसी प्रकार के अन्य मामले परस्पर गुंथे हुए होते हैं और विधेयक को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व प्रारूप-लेखक और विभागीय अधिकारियों के मध्य विभिन्न अवस्थाओं में विचार-विमर्श किया जाना

आवश्यक है। छोटे विधेयक के मामले में एक या दो प्रारूप पर्याप्त हो सकते हैं, परन्तु बड़े विधेयक के लिए अनेक प्रारूप तैयार करने पड़ सकते हैं और उनके बारे में मिसिलों और सम्मेलनों दोनों में ही टिप्पणियां और आलोचना आदि की जा सकती है। किसी महत्वपूर्ण और पेचीदा विधेयक का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया काफी लम्बी हो सकती है और यह उस समय तक जारी रहती है जब तक कि विधेयक के स्वरूप और विषय-वस्तु के बारे में विधेयक का प्रायोजक मंत्रालय और प्रारूप-लेखक दोनों ही संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। तथापि, हाल ही में एक सम्पूर्ण प्रक्रिया विपरीत क्रम से भी आरम्भ होने लगी है। प्रायोजक मंत्रालय द्वारा किसी विधेयक को अन्तिम रूप प्रदान कर दिये जाने और उसका अनुमोदन कर दिये जाने पर उद्देश्यों और कारणों का कथन, प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन, वित्तीय ज्ञापन, आदि जैसा कि पहले ही उल्लेख कर दिया गया है, जैसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिये जाने पर विधि-मंत्रालय द्वारा विधेयक को इसके ज्ञापनों और अनुपत्रों सहित मुद्रणार्थ सरकारी मुद्रणालय को भेज दिया जाता है और प्रारूप-लेखक द्वारा प्रूफ की संवीक्षा कर उसे प्रमाणित किया जाता है। तत्पश्चात्, विधेयक को संसद् के उस सदन के सचिवालय के पास भेज दिया जाता है, जिसमें उसे पुरःस्थापित किया जाना हो।³³

सदन का चयन

संविधान के अनुच्छेद 109 और 117(1) में धन और कतिपय वित्तीय विधेयकों को राज्य सभा में पुरःस्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इन प्रतिबन्धों के अध्यधीन, विधेयकों को संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है संसदीय कार्य की स्थिति को देखते हुए सुविधानुसार किसी विधेयक (इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत आने वाले विधेयक के अतिरिक्त) को पुरःस्थापित करने के लिए सदन का चयन कर लिया जाता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियमों के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपे गये कार्यों में से एक कार्य दोनों सदनों में विधायी और अन्य सरकारी-कार्य की योजना और समन्वय भी है³⁴ और मंत्रालय यह निर्धारित करता है कि किसी गैर-धन विधेयक को किस सदन में पुरःस्थापित किया जाना है। लेकिन इस सम्बन्ध में बहुधा अपने विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए मंत्री की सदन की वरीयता निर्णायक भूमिका अदा करती है। इस संबंध में राज्य सभा के प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों की अनुशासार्थ नियुक्त की गई समिति ने 1963 के अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया था कि सरकार को दोनों सदनों में अपने कार्य को, विशेषतः विधेयकों को पुरःस्थापित किये जाने के मामले में इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि दोनों सदनों में कार्य का समान प्रवाह बना रहे। समिति ने यह अनुभव किया था कि राज्य सभा में तत्समय सरकारी कार्य संबंधी व्यवस्था की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी।³⁵ तथापि, हाल ही में इस स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

पुरःस्थापन से पूर्व विधेयक की संवीक्षा

यह निश्चित हो जाने पर कि विधेयक को किस सदन में पुरःस्थापित किया जाना है, विधि मंत्रालय विधायी परामर्शदाता (पूर्व में मुख्य प्रारूप-लेखक) द्वारा हस्ताक्षरित कार्यालय-ज्ञापन के साथ विधेयक के प्रूफ की प्रति सचिवालय को भेज देता है। विधायी परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित विधेयक के अंग्रेजी और हिन्दी पाठों के प्रूफ की दो प्रतियां (पहली मूल प्रति और दूसरी अतिरिक्त प्रति) विधि मंत्रालय से सचिवालय को प्राप्त होती है। इसके पश्चात् विधेयक सदन के नियंत्रण में आ जाता है और तदुपरान्त सचिवालय का यह दायित्व होता है कि वह विधेयक की स्वच्छ प्रतियां मुद्रित कराकर सदस्यों में परिचालित करे और इस संबंध में अन्य सभी कदम उठाये।

विधेयक की प्रूफ प्रति को अंतिम बार मुद्रणार्थ मुद्रणालय भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी संवीक्षा की जाती है कि क्या इसमें संविधान और प्रक्रिया विषयक नियमों के विभिन्न उपबंधों, विशेष रूप से निम्नलिखित बातों का अनुपालन किया गया है अर्थात्, क्या—

विधेयक की विषय-वस्तु संसद् की विधायी सक्षमता के अन्तर्गत आती है; विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व प्रकाशित किया गया है; विधेयक में पच्चीस से अधिक खण्ड हैं और यदि हां, तो क्या इसके साथ “खंडों का क्रम” संलग्न किया गया है; संशोधन विधेयक के मामले में मूल अधिनियम की संशोधित की जाने वाली धाराओं को उद्धृत करते हुए उन्हें विधेयक के साथ अनुपत्र के रूप में संलग्न किया गया है; विधेयक के साथ “उद्देश्यों और कारणों का कथन” संलग्न किया गया है; अनुच्छेद 3 के परन्तुक या अनुच्छेद 274(1) के अन्तर्गत विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या उनकी अनुशंसा प्राप्त कर ली गई है; विधेयक के अधिनियमित और प्रवृत्त हो जाने पर इसमें भारत की संचित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा और यदि हां, तो क्या अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर ली गई है; विधेयक के संबंध में वित्तीय ज्ञापन आवश्यक है और यदि हां, तो क्या विधेयक के साथ इसे संलग्न कर दिया गया है और संगत खण्डों को मोटे या तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है; विधेयक में विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन अन्तर्ग्रस्त है और यदि हां, तो क्या विधेयक के साथ प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न कर दिया गया है; विधेयक संशोधनों सहित किसी अध्यादेश का स्थान लेगा और यदि हां, तो क्या इसके साथ विधेयक में किये गये परिवर्तनों के बारे में व्याख्यात्मक-ज्ञापन संलग्न कर दिया गया है; विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 312 के अन्तर्गत राज्य सभा द्वारा कोई पूर्व संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है और यदि हां, तो क्या ऐसा संकल्प पारित किया जा चुका है; विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 169 या 252 के अन्तर्गत राज्य विधान-मंडलों द्वारा पूर्व संकल्प पारित किये जाने आवश्यक हैं और यदि हां, तो क्या इन्हें पारित कर दिया गया है और “उद्देश्यों और कारणों का कथन” में इस आशय का संकेत दे दिया गया है; विधेयक संघ सूची में मद संख्या 7, 23, 24, 27, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 64 या 67 के अंतर्गत किसी विषय से संबंधित है और यदि हां, तो क्या इसमें किसी “घोषणात्मक-खंड” को अन्तर्विष्ट किया गया है; और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्य विधान-मंडलों द्वारा संपुष्टि की आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या इस पर विधि मंत्रालय की राय जानने के लिए इसे उसके पास भेजा गया है।

इसके पश्चात् विधेयक को इस प्रयोजनार्थ रखी गई ‘विधेयक पंजिका’ में दर्ज किया जाता है और विधेयक के सबसे ऊपर “(रोमन अंकों में) 20... का विधेयक संख्यांक.....” के रूप में ‘विधेयक संख्या’ दर्शायी जाती है। सबसे ऊपर “ राज्य सभा” शब्दों के मध्य में विधेयक के दीर्घ नाम और राष्ट्रपति की अनुशंसा,³⁶ यदि कोई हो, और अन्त में प्रभारी मंत्री के नाम और पदनामयुक्त सार पृष्ठ संलग्न कर दिया जाता है। इसके बाद मूल प्रूफ प्रति इन निर्देशों के साथ मुद्रणालय को भेज दी जाती है कि इसकी पंक्तियों की संख्या सहित प्रतियां मुद्रित की जायें। मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर मूल प्रूफ प्रति के साथ एक प्रति की बारीकी से जांच की जाती है। तदुपरांत, विधायी-परामर्शदाता, विधि मंत्रालय को एक संशोधित प्रति संवीक्षार्थ भेजी जाती है। यदि आवश्यक हो, तो शुद्धि-पत्र (विधायी-परामर्शदाता द्वारा किये गये संशोधनों सहित) विधेयक के साथ या बाद में अलग से सदस्यों में परिचालित किया जाता है। “राज्य सभा में पुरःस्थापित किये जाने के लिए” और “राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में” मूर्धाकन सहित विधेयक की प्रतियां मुद्रित करायी जाती हैं और परवर्ती मामले में विधेयक को पुरःस्थापित करने के पश्चात् प्रतियों पर पुरःस्थापन की तिथि की मुहर अंकित कर दी जाती है।

विधायी-परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित विधेयक के हिन्दी पाठ के प्रूफ की दो प्रतियां विधि मंत्रालय से भी प्राप्त की जाती हैं और विधेयक के हिन्दी पाठ की प्रतियां मुद्रित कराकर उन्हें उन सदस्यों में परिचालित किया जाता है जिन्हें हिन्दी में अपने संसदीय पत्र प्राप्त होते हैं।

एक बार अनेक सदस्यों ने एक विधेयक के पुरःस्थापन पर इस आधार पर आपत्ति की कि उन्हें विधेयक के अंग्रेजी पाठ के साथ-साथ इसका हिन्दी पाठ उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक सदस्य ने यह औचित्य-प्रश्न उठाया कि चूंकि इस प्रकार की परिपाटी रही है, अतः इस परिपाटी से हटकर यदि कुछ किया जाना है, तो इसके लिए कोई संकल्प उपस्थित करना होगा। उपसभापति ने यह व्यवस्था दी, “मेरे विचार में इस सदन में ऐसी कोई परिपाटी निर्धारित नहीं की गई है... अब हम आगे के लिए इसे निर्धारित करना चाहते हैं...” (सदस्यों को प्रत्येक विधेयक के अंग्रेजी पाठ के साथ ही इसका हिन्दी पाठ भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए)।³⁷

पुरःस्थापन से पूर्व विधेयक का प्रकाशन

सभापति, उनसे अनुरोध किये जाने पर, विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के लिए कोई प्रस्ताव उपस्थित न किये जाने पर भी विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित किये जाने का आदेश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में ‘उद्देश्यों और कारणों का कथन’ और ‘विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन संबंधी ज्ञापन’ सहित विधेयक को प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित मामलों में विधेयकों के राजपत्र में प्रकाशनार्थ अनुरोध प्राप्त हुए थे और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था:

1. हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, 1954, 26 मई, 1954 को एक प्रस्ताव द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 22 दिसम्बर, 1954 को (एक प्रस्ताव द्वारा) पुरःस्थापित किया गया; (आगे देखिए);
2. औषधि (संशोधन) विधेयक, 1954, 28 मई, 1954 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 23 अगस्त, 1954 को पुरःस्थापित किया गया;
3. रेल गोदाम (विधि विरुद्ध कब्जा) विधेयक, 1954, 6 अगस्त, 1954 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया और 23 अगस्त, 1954 को पुरःस्थापित किया गया।

ऐसी स्थिति में विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव उपस्थित किया जाना आवश्यक नहीं है और यदि विधेयक को बाद में पुरःस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे पुनः प्रकाशित किया जाना आवश्यक नहीं है।³⁸ अगला कदम किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित करना होता है जोकि विधेयक के पुरःस्थापनार्थ किसी प्रस्ताव को उपस्थित किये जाने से भिन्न हो। मंत्री या विधेयक का प्रभारी सदस्य मात्र यह वक्तव्य देता है कि वह विधेयक को पुरःस्थापित करता है और तत्पश्चात् सभापति यह घोषणा करता है कि विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया गया है। तथापि, ऐसे किसी विधेयक में उसे पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व कोई परिवर्तन किये जाने पर अन्य किसी विधेयक की भांति ही उसे पुरःस्थापित किये जाने के लिए अनुमति हेतु प्रस्ताव उपस्थित करना होता है।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, 1954 को पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। तथापि, पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक में कुछ संशोधन किये गये थे।³⁹ अतः प्रस्ताव उपस्थित कर विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्राप्त की गई थी और उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर विधेयक को 22 दिसम्बर, 1954 को पुरःस्थापित कर दिया गया था।

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों की प्रतियों का परिचालन

पहले के वर्षों में, पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों की प्रतियों का सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालन किये जाने की कोई परिपाटी नहीं थी। विधेयकों का पुरःस्थापन किये जाने के पश्चात् ही उनकी प्रतियां परिचालित की जाती थीं। इसका कारण यह दिखाई पड़ता है कि स्थापित परिपाटी के अनुसार, विधेयकों का पुरःस्थापन किये जाने पर विरोध नहीं किया जाता है।⁴⁰

एक बार, पुरःस्थापन की अवस्था पर, एक गैर-सरकारी सदस्य ने अपने विधेयक के बारे में एक लघु व्याख्यात्मक वक्तव्य दे दिया था। यह सुझाव दिया गया था कि सदस्यों को विधेयकों को पुरःस्थापित किये

जाने से पूर्व उनकी प्रतियां उपलब्ध करायी जायें, ताकि वे विधेयकों के पुरःस्थापन के लिये अनुमति देने या देने से इंकार करने के लिए कहे जाने से पूर्व उन विधेयकों के संबंध में अपनी धारणा बना सकें। सभापति ने यह विचार प्रकट किया था कि जब तक विधेयकों को पुरःस्थापित नहीं किया जाता, तब तक उनको परिचालित कर दिये जाने की कोई परिपाटी नहीं है। तथापि, उन्होंने इस सुझाव पर विचार करने पर सहमति दे दी थी।¹¹

एक अन्य अवसर पर, संबंधित सदस्य से अपने विधेयक की व्याख्या करने के लिये भी कहा गया था और तत्पश्चात् उन्हें अपने विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी थी। उन्होंने यह शिकायत की थी कि यहां तक कि उन्हें पुरःस्थापित किये जाने वाले उनके विधेयक की प्रति आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।¹²

पहले भी एक ऐसी मिसाल रही थी जब गृह मंत्री ने राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रारूप, जिसे राज्यों के विचारार्थ भेजा जा रहा था, और संविधान के संशोधन हेतु सम्बद्ध प्रस्तावों की एक प्रति सभा पटल पर रखी थी। उसे सभा पटल पर रखते हुए मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त) ने यह कहा था कि: "मैं ऐसा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।"¹³

लम्बे समय से स्थापित परिपाटी के अनुसार, विधेयक को सामान्यतः तब तक कार्यावलि में शामिल नहीं किया जाता है, जब तक कि सदस्यों को विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के प्रस्तावित दिवस से कम से कम दो दिन पूर्व तक विधेयक की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवायी जाती हैं। ऐसे कुछ दृष्टान्त रहे हैं जब विधेयक के पुरःस्थापन के प्रति उसके अग्रिम रूप से परिचालन से पूर्व आपत्ति की गयी और इसीलिये उसका पुरःस्थापन आस्थगित किया गया।

एक समय दिल्ली में लगातार भारी वर्षा होने के कारण सदस्यों को संसदीय पत्र समय पर नहीं मिल पाये थे। उन पत्रों में उस दिन पुरःस्थापित किये जाने के लिए निर्धारित चार विधेयकों की प्रतियां भी थीं।¹⁴ अतः, परिपाटी के अनुसार विधेयकों की प्रतियां दो दिन पूर्व परिचालित किये बिना ही उनको पुरःस्थापित किये जाने पर आपत्ति प्रकट की गयी थी। इसलिये, कुछ सदस्य यह चाहते थे कि उन विधेयकों का पुरःस्थापन आस्थगित कर दिया जाये। सभापीठ ने उनकी बात को मान लिया था।¹⁵

एक अन्य अवसर पर, व्यवसाय संघ और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988 के पुरःस्थापन पर इसलिए आपत्ति प्रकट की गयी थी क्योंकि विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के पूर्व उसकी प्रतियां परिचालित नहीं की गयी थीं। तथापि, उसे पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति उपसभापति के इस स्पष्टीकरण के बाद ही दी गयी थी कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है और सदस्यों को विधेयक के विचारण की अवस्था पर अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। इस पर भी कुछ सदस्य सदन से उठकर चले गए थे।¹⁶

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक की प्रतियों का पहले परिचालन कर दिये जाने की आवश्यकता से सभापति छूट दे सकता है। यदि संबंधित मंत्री सभापति को पत्र लिखकर उन समुचित कारणों का उल्लेख कर दे जिनकी वजह से विधेयक को पहले परिचालित किये बिना ही पुरःस्थापित कर दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 और संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1995 को क्रमशः 18 मई, 1995 और 17 अगस्त, 1995 को पुरःस्थापित किया गया था और इस मामले में भी पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों की प्रतियां पहले परिचालित नहीं की गयी थीं लेकिन संबंधित मंत्री द्वारा सभापति को लिखे गये पत्रों से स्पष्ट किये गये कारणों के अनुसार उन विधेयकों की अत्यावश्यकता को देखते हुए ऐसा करने की अनुमति दी गयी थी।¹⁷

विधेयक का पुरःस्थापन (प्रथम वाचन)

कोई भी मंत्री जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहता हो, उसे विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के अपने इरादे की लिखित रूप से सूचना देनी होती है। यह सूचना सभा के सत्रावसान पर कालातीत नहीं होती है और यदि विधेयक को आगामी सत्र में पुरःस्थापित किए जाने का अनुरोध किया जाता है तो उसके लिए नए सत्र से सूचना देना आवश्यक नहीं है। तथापि, उस विधेयक के

मामले में जिसके संबंध में संविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई स्वीकृति अथवा संस्तुति अप्रभावी हो गई है, नए सिरे से सूचना देना आवश्यक हो जाता है।⁴⁸ यदि वह संबंधित मंत्री जिसके नाम से वह मद कार्यावलि में शामिल है, सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसका उपमंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री उसकी ओर से प्रस्ताव कर सकता है बशर्ते सभापति ने उस मंत्री से लिखित रूप से अनुरोध प्राप्त होने पर उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी हो।

विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने के निर्धारित दिवस को सभापति प्रभारी मंत्री को पुकारता है जो (कार्यावलि में यथावर्णित पूरे शीर्षक के संदर्भ में) यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। सभापति द्वारा प्रस्ताव पर मत लिए जाने और उसके स्वीकृत होने के बाद मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करता है।

परम्परानुसार, पुरःस्थापन के प्रस्ताव का सामान्यतः विरोध नहीं किया जाता है। सामान्यतः, जो सदस्य विधेयक के पुरःस्थापन स्तर पर उसका विरोध करना चाहते हों, वे उसके लिए अग्रिम रूप से लिखकर देते हैं। यदि विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो सभापति, यदि ठीक समझे, तो उस सदस्य को जो प्रस्ताव का विरोध करता है और उस सदस्य को जिसने प्रस्ताव किया था, संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य की अनुमति देने के बाद और आगे चर्चा कराए बिना प्रस्ताव पर मत ले सकता है। जहां प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो राज्य सभा के विधायी अधिकार से बाहर है, तो सभापति उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है।⁴⁹

ऐसे कई मामले हुए हैं जब विधेयकों के पुरःस्थापन के प्रस्तावों का उनके पुरःस्थापन स्तर पर ही विरोध किया गया है; और कई बार विधेयकों को मत-विभाजन के बाद पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति दी गई है। कुछ मामले इस प्रकार हैं:

विशेष विवाह विधेयक, 1952 (इसका विरोध करने वाले सदस्य को एक वक्तव्य देने की अनुमति दी गई, मंत्री ने उसका उत्तर दिया और उसके बाद विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया गया);⁵⁰ हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, 1954;⁵¹ अस्पताल और अन्य संस्थाएं (विवाद निपटान) विधेयक, 1982;⁵² एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1983;⁵³ अंतर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक 1986;⁵⁴ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1987 (मत-विभाजन के बाद पुरःस्थापित किया गया);⁵⁵ संविधान (उनसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 (उन सभी सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिए थे, पुरःस्थापन स्तर पर बोलने की अनुमति दी गई);⁵⁶ संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1988;⁵⁷ और बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994 (मत-विभाजन के बाद पुरःस्थापित किया गया)।⁵⁸

एक अवसर पर व्यापार संघ (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया गया था; प्रस्ताव पर सभा में मतदान नहीं कराया गया था।⁵⁹

एक अन्य अवसर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव पर सभा में मतदान कराया गया था। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।⁶⁰

विधेयक के पुरःस्थापन के बाद उसका प्रकाशन एवं परिचालन

जब कोई विधेयक पुरःस्थापित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति को छोड़कर जब पुरःस्थापन से पहले ही उसे प्रकाशित कर दिया गया हो, वह विधेयक सचिवालय द्वारा उस विधेयक के उद्देश्य एवं कारण संबंधी विवरण तथा प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन, यदि कोई हों, सहित उसी तारीख को जिस तारीख को विधेयक पुरःस्थापित किया गया हो, भारत के राजपत्र (असाधारण भाग II, खंड 2) में प्रकाशित किया जाता है।⁶⁰

चूंकि पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक की प्रतियां राज्य सभा के सदस्यों के बीच सामान्यतः परिचालित कर दी जाती हैं, इसलिए यथा पुरःस्थापित विधेयक की प्रतियां उन्हें पुनः परिचालित नहीं की जाती हैं। किन्तु, राज्य सभा में विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के बाद उसकी प्रतियां लोक सभा के सदस्यों के बीच पारस्परिक आधार पर परिचालित की जाती हैं। ये प्रतियां विधि मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति के सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय आदि को भी भेजी जाती हैं।

शुरू में, जैसा कि केन्द्रीय विधान मंडल में होता था, एक सदन में पुरःस्थापित किए गए विधेयकों की प्रतियां, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में, दूसरे सदन के सदस्यों के बीच परिचालित नहीं की जाती थीं। 4 अगस्त, 1952 को विधि मंत्री (श्री सी०सी० बिस्वास) ने लोक सभा द्वारा यथापारित भ्रष्टाचार निवारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1952 पर विचार करने हेतु प्रस्ताव करते हुए यह सुझाव दिया था कि जब कोई विधेयक लोक सभा से आता है तो उस विधेयक, जिस रूप में वह लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, की प्रतियां, उसके उद्देश्य एवं कारण संबंधी विवरण तथा अन्य संबद्ध दस्तावेजों के लिए उद्धरणों, जो भी संलग्न हों, सहित राज्य सभा के सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इनके न होने से राज्य सभा के सदस्यों को बहुत असुविधा होती थी। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि भविष्य में राज्य सभा के सदस्यों के लिए भी विधेयक की प्रतियां, आदि परिचालित किए जाने के लिए सचिव को अनुदेश दिया जाए।⁶¹ तदनुसार, तत्कालीन सचिव ने लोक सभा के सचिव के सामने इस मामले को उठाया था और इस बात पर सहमति हो गई थी कि एक सदन में पुरःस्थापित किए गए विधेयकों की प्रतियां दूसरे सदन के सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।⁶² तभी से यह परिपाटी चली आ रही है कि एक सदन में पुरःस्थापित किए गए विधेयकों की प्रतियां दूसरे सदन के सदस्यों के लिए परिचालित की जाती हैं।

विधेयक के पुरःस्थापन के बाद प्रस्ताव (द्वितीय वाचन)

विधेयक पुरःस्थापित होने के बाद, संबंधित मंत्री अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित कोई प्रस्ताव कर सकता है अर्थात् (1) इस पर विचार किया जाए; अथवा (2) इसे राज्य सभा की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए; अथवा (3) इसे लोक सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए; अथवा (4) इसे इस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।⁶³

किसी भी प्रस्ताव को विधेयक की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध करवा दिए जाने के बाद ही उपस्थित किया जा सकता है। यदि विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव किए जाने वाले दिन से कम से कम दो दिन पहले तक उपलब्ध न करवायी गयी हों तो कोई भी सदस्य आपत्ति कर सकता है तथा ऐसी आपत्ति सभापति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने तक बनी रहती है।⁶⁴ भले ही विधेयक की प्रतियां सदस्यों को इसके पुरःस्थापन से दो दिन पहले परिचालित की जानी अपेक्षित होती हैं, आमतौर पर विधेयक के संबंध में अगला प्रस्ताव तब तक विधेयक पुरःस्थापित किए जाने वाले दिन ही नहीं किया जाता जब तक कि सभापति संबंधित मंत्री के अनुरोध पर सभी तथ्यों पर विचार करने और सदन की राय लेने के बाद इसकी अनुमति न दें। तथापि, ऐसे उदाहरण भी हैं जब जिस दिन विधेयक पुरःस्थापित किया गया, उसी दिन उस पर विचार भी किया गया।⁶⁵

विचार के लिए प्रस्ताव

किसी विधेयक पर विचार करने (अथवा उसे पारित करने) का कोई भी प्रस्ताव उसके प्रभारी सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता।⁶⁶ विद्यमान परिपाटी के अनुसार, सामान्यतया विधेयक का प्रभारी सदस्य औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता है और उसके बाद अपना भाषण देता है।

एक बार जब संबंधित मंत्री ने बिना भाषण किए केवल प्रस्ताव कर दिया और यह कहा कि पहले वह सदस्यों के विचार सुनना चाहेंगे, तो एक सदस्य ने आपत्ति की। इस प्रक्रिया पर आपत्ति करने वाले सदस्य ने मांग की थी

कि मंत्री को विधेयक के उपबंधों का विवरण देना ही चाहिए। सभा मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय से पहले ही भोजनावकाश के लिए स्थगित हो गई और मंत्री ने सभा के पुनः समवेत होने के बाद भाषण दिया।⁶⁷

एक अन्य अवसर पर, जबकि संबंधित मंत्री तो भाषण देकर विधेयक के उपबंधों का विवरण देना चाहता था किंतु उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाना था और यह बात मंत्री पर भी लागू थी।⁶⁸

एक अन्य अवसर पर, प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) ने पहले औपचारिक रूप से संविधान (चौंसठवां और पैंसठवां संशोधन) विधेयकों, 1989 (पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में) पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए और उसके बाद दोनों विधेयकों से संबंधित मंत्रियों ने बारी-बारी से विधेयकों के उपबंधों का विवरण देते हुए अपने भाषण दिए।⁶⁹

इस चरण में विधेयक के किसी खंड में संशोधनों का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं दी जाती। किंतु यदि प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर विचार किया जाए, तो कोई भी अन्य सदस्य संशोधन के रूप में प्रस्ताव रख सकता है कि विधेयक को सभा की प्रवर समिति अथवा लोक सभा की सहमति से दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को भेज दिया जाए अथवा विधेयक को संशोधन में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि तक के लिए राय जानने हेतु परिचालित कर दिया जाए। यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव रखता है कि विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजा जाए, तो कोई भी सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव रख सकता है कि इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए, अथवा इसका विलोमतः भी हो सकता है अथवा इसे राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।⁷⁰

विधेयक को प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को भेजने अथवा इसे परिचालित करने का संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखे जाने के फौरन बाद रखा जाता है, प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद अथवा विधेयक पर खण्डशः विचार किए जाने के दौरान संशोधन नहीं रखा जा सकता। फिर भी ऐसे अवसर आए हैं जब विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव रखे जाने और उस पर आंशिक चर्चा हो चुकने के बाद विधेयक के प्रभारी सदस्य ने सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करते हुए स्वयं ही विधेयक को प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा।⁷¹

जिस दिन विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है अथवा उसके बाद के किसी ऐसे दिन जिसके लिए विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाती है, विधेयक के सिद्धांतों और इसके उपबंधों पर मोटे तौर पर चर्चा की जाती है किंतु उस पर, विधेयक के सिद्धांतों को समझाने के लिए जितनी चर्चा आवश्यक है, उससे अधिक विस्तार से चर्चा नहीं की जाती।⁷² मिलती-जुलती प्रकृति के दो विधेयकों पर विचार किए जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद उन पर साथ-साथ चर्चा की जा सकती है किंतु प्रस्ताव सदन में अलग-अलग रखे जाने चाहिए।⁷³

सार्वजनिक राय जानने के लिए परिचालन

विधेयक पुरःस्थापित कर दिए जाने के बाद विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।⁷⁴ ऐसा प्रस्ताव विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए विधेयक पर विचार करने अथवा उसे प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव में संशोधन के माध्यम से भी रखा जा सकता है।⁷⁵ विधेयक के परिचालन के लिए किए जाने वाले प्रस्ताव में उस पर सार्वजनिक राय जानने हेतु अवधि निर्दिष्ट की जानी चाहिए।⁷⁶

सार्वजनिक राय जानने के लिए विधेयक को राज्य सरकारों के माध्यम से परिचालित किया जाता है। उनसे विधेयक को अपने-अपने राजपत्र में प्रकाशित करने और विधेयक के उपबंधों पर अपने, राज्य विधायिकाओं और ऐसे सरकारी निकायों एवं अन्य व्यक्तियों के विचार, जिनसे राज्य सरकारें परामर्श लेना उपयुक्त समझें, प्रस्ताव में निर्दिष्ट अवधि के भीतर दो प्रतियों में भेजने के लिए कहा जाता है।⁷⁷

विधेयक पर राय प्राप्त होने के बाद सचिवालय में उनकी जांच की जाती है और उनका सम्पादन किया जाता है, ताकि उनमें कोई आपत्तिजनक अथवा अनादरसूचक बात न रहे। अप्रासंगिक अथवा अशिष्ट बातों को उससे हटा दिया जाता है। इस प्रकार संपादित और संकलित विचारों को मुद्रित करवाने के बाद विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा सभापटल पर रखा जाता है और सदस्यों को यह परिचालित किया जाता है।⁷⁸

जब विधेयक को राय जानने के प्रयोजन से परिचालित करने का प्रस्ताव किया जाता है और विधेयक को निदेशानुसार परिचालित कर दिया जाता है और तत्संबंधी राय प्राप्त हो जाती है तो यदि प्रभारी सदस्य उसके बाद विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही जारी रखना चाहता है तो वह यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक को सदन की प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाए बशर्तें सभापति ने विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव की अनुमति न दी हो।⁷⁹

राज्य सभा में पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयक राय जानने के लिए परिचालित किए गए थे:

विशेष विवाह विधेयक, 1952;⁸⁰ छावनी (संशोधन) विधेयक, 1952;⁸¹ हिन्दू विवाह और विवाह विच्छेद विधेयक, 1952;⁸² हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता विधेयक, 1953⁸³ केवल छावनी (संशोधन) विधेयक, 1952 को प्रवर समिति को सौंपा गया था, अन्य तीनों विधेयकों को संयुक्त समितियों को सौंपा गया था और अंततः सभी विधेयक पारित हो गए थे।

विधेयक को किसी प्रवर अथवा संयुक्त समिति को सौंपे जाने हेतु प्रस्ताव

जब किसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो सामान्य प्रक्रिया और परिपाटी यह है कि प्रस्ताव में समिति में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित सदस्यों के नाम भी दिए जाते हैं।⁸⁴

जब ट्रेड मार्क विधेयक, 1995, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, विचार के लिए कार्यावलि में शामिल किया गया था, तो कुछ सदस्य चाहते थे कि इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाए। उद्योग मंत्री इसके लिए सहमत हो गए थे और उन्होंने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था। तथापि, नियुक्ति के लिए प्रस्तावित सदस्यों के नामों की घोषणा उस समय नहीं की गई थी। उनकी घोषणा, उपसभापति द्वारा अगले दिन की गई थी।⁸⁵

यदि कोई सदस्य प्रवर समिति में काम करने के लिए राजी न हो तो उसे उस समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता। प्रस्तावक सदस्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह जिस सदस्य के नाम का प्रस्ताव करना चाहता है, वह समिति में काम करने के लिए राजी है।⁸⁶

विधि मंत्री ने विशेष विवाह विधेयक, 1952 को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा था। कुछ सदस्यों द्वारा उन्हें समिति में सम्मिलित किये जाने से अनिच्छा प्रकट किये जाने पर मंत्री ने दूसरे नाम दिए थे।⁸⁷

एक सदस्य ने संबंधित मंत्री द्वारा पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 1995 को, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, सदन की प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव किए जाने पर कतिपय सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अपना नाम प्रस्ताव में होने के बावजूद कहा था कि उसने संसदीय कार्य मंत्री को पहले ही सूचित कर दिया है कि वह समिति में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।⁸⁸

यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य और उसके साथ-साथ विधेयक के प्रभारी मंत्री विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव करने हेतु उसमें संशोधन की सूचना देते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंत्री द्वारा दी गई सूचना को प्राथमिकता दी जाती है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1981 पर कार्यावलि के अनुसार विचार किया जाना था। विधेयक के प्रभारी मंत्री ने विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव की सूचना दी। प्रस्ताव को अनुपूरक कार्यावलि में शामिल करके परिचालित कर दिया गया। इससे पहले एक सदस्य ने भी प्रस्ताव में संशोधन करने की सूचना इस बात पर विचार करने के लिए दी थी कि विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेज दिया जाए। विधेयक को संयुक्त समिति को भेजे जाने के सरकारी प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने के बाद गैर-सरकारी सदस्य के संशोधन को नहीं लिया गया, हालांकि इसमें शामिल सदस्यों के नाम उन नामों से भिन्न थे जो मंत्री के प्रस्ताव में प्रस्तावित किए गए थे। उपसभापति ने एक औचित्य प्रश्न के संबंध में यह निर्णय दिया कि चूंकि विधेयक के प्रभारी सदस्य ने स्वयं विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है, इसलिए किसी अन्य सदस्य द्वारा संशोधन के रूप में कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकता; यह संशोधन केवल विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव में किया जा सकता है।⁸⁹

एक अन्य अवसर पर विधेयक के प्रभारी मंत्री ने चिट फंड विधेयक, 1982 जिस रूप में लोक सभा में पारित किया गया, पर विचार करने हेतु सूचना दी थी। राज्य सभा में यह मांग की गई कि विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया जाए जैसाकि लोक सभा में किया गया था। इसलिए मंत्री ने तदनुसार एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे पहले, विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने हेतु सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि सरकारी प्रस्ताव को प्राथमिकता प्राप्त है और इसलिए उसे स्वीकृत कर लिया गया।⁹⁰

किन्तु, यदि सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों की विषय-वस्तु भिन्न-भिन्न हो तो उन्हें अलग-अलग रूप में ही माना जाता है, हालांकि सबका प्रयोजन विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने का ही होता है।

प्रेस परिषद् विधेयक, 1956 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में, विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने संबंधी तीन संशोधन प्राप्त हुए थे, जो इस प्रकार थे, (1) पन्द्रह सदस्यों से प्राप्त संशोधन जिसमें आठ दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; (2) बीस सदस्यों से प्राप्त संशोधन जिसमें आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; और (3) इक्कीस सदस्यों से प्राप्त संशोधन जिसमें आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ये संशोधन उपस्थित किए गए और चूंकि प्रत्येक संशोधन को सदस्यों की संख्या और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रस्तावित समय-सीमा के कारण अलग-अलग माना गया था, इसलिए उन्हें अलग-अलग ही रखा गया।⁹¹

विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव में केवल राज्य सभा के सदस्यों के नाम शामिल किए जाते हैं। सरकारी विधेयक के मामले में सामान्यतः प्रभारी मंत्री का नाम प्रस्ताव में शामिल किया जाता है।

किन्तु, व्यापार चिह्न विधेयक, 1995 और पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समितियों को भेजे जाने के प्रस्तावों में किसी भी मंत्री का नाम शामिल नहीं किया गया था।⁹²

जो मंत्री दूसरे सदन के सदस्य होते हैं, उन्हें भी प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है किन्तु समिति के सदस्यों के रूप में जिन मंत्रियों के नाम इस प्रकार शामिल किए जाएंगे, उन्हें उस समिति में कोई मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।⁹³

यदि विधेयक को प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को भेजे जाने संबंधी मूल प्रस्ताव में शामिल किए गए नामों में कोई परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता हो तो, उस स्थिति को छोड़कर जब सभा बिना किसी औपचारिक संशोधन के यह परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, एक संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।

हिन्दू विवाह और विवाह विच्छेद विधेयक, 1952 को उपर्युक्त समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्यों के नामों में परिवर्तन किया गया था क्योंकि वे सेवा-निवृत्त होने वाले थे। तब सभा ने संशोधित रूप में प्रस्ताव स्वीकृत किया था।⁹⁴

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक, 1956 को संयुक्त समिति को भेजे जाने के मूल प्रस्ताव में राज्य सभा से दस सदस्यों और लोक सभा से बीस सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए गए थे। किन्तु प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मंत्री ने राज्य सभा से पन्द्रह सदस्यों और लोक सभा से तीस सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए। तब सभापति ने मंत्री को सभा की अनुमति मांगने के लिए कहा और मंत्री ने वैसा ही किया। उसके बाद सभापति ने सभा से पूछा कि क्या प्रस्तावित परिवर्तन करने के लिए मंत्री को सभा की अनुमति प्राप्त है। किसी भी सदस्य ने अपनी असहमति प्रकट नहीं की।⁹⁵

राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956 को समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव पर सभा में मतदान कराए जाने से पहले उसमें उन नामों को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन किया गया था जो मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित किए गए थे।⁹⁶

रेल संरक्षण बल विधेयक, 1956 पर विचार करने के प्रस्ताव में विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने के लिए एक अन्य संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। उस संशोधन में सदस्यों के और नाम जोड़ने के लिए एक और संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। किन्तु ये संशोधन अस्वीकृत हुए थे।⁹⁷

लोकपाल विधेयक, 1985 को एक संयुक्त समिति को भेजने हेतु सहमति का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद एक मुद्दा उठाया गया कि समिति में किसी महिला सदस्य को शामिल नहीं किया है। तभी संबंधित मंत्री ने उसमें संशोधन करने और समिति में अन्य सदस्य के स्थान पर एक महिला सदस्य को शामिल करने की पेशकश की। किन्तु सभा ने इस मामले में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियात्मक पहलू पर विचार करने के बाद यह दृष्टिकोण अपनाया कि मंत्री को इस प्रयोजन के लिए एक औपचारिक संशोधन का प्रस्ताव करना चाहिये। उसी दिन मध्याह्न भोजनावकाश समाप्त होने के बाद जब सभा पुनः समवेत हुई तो ऐसा ही किया गया।⁹⁸

किसी समिति में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं यह निर्धारित नहीं किया गया है और यह संख्या अलग-अलग समिति के संबंध में अलग-अलग हो सकती है। किन्तु परिपाटी के अनुसार जहां तक संभव हो सके समिति का संघटन ऐसा होना चाहिये कि वह सभा के सभी दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व करे।

जब संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 1993 को संयुक्त समिति को भेजे जाने के लिए सहमति का प्रस्ताव संबंधित मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया तो सदस्यों ने समिति में कुछ दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व न रखे जाने पर आपत्ति की। इसलिए प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना स्थगित कर दिया गया। अगले दिन संबंधित मंत्री ने सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का आदर करते हुए नए सिरे से एक प्रस्ताव उपस्थित किया।⁹⁹

जब पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया और वह स्वीकृत हो गया तो कुछ सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की कि प्रस्तावित समिति में सभा के कुछ प्रमुख दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। इस बात पर आग्रह किया गया कि समिति का संघटन ऐसा होना चाहिये कि उससे सदन का संघटन प्रतिबिम्बित हो। बाद में, एक अनौपचारिक चर्चा के बाद संबंधित मंत्री ने एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया किन्तु उसके बारे में भी यही कहा गया कि उससे सभा के विभिन्न दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व प्रतिबिम्बित नहीं होता है। प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया जिससे समिति में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों की सदस्यता का लगभग वही अनुपात हो गया जोकि उनका सदन में था।¹⁰⁰

समिति की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव में एक विशिष्ट तारीख अथवा अवधि का उल्लेख किया गया होता है और समिति को उस तारीख तक अथवा उस अवधि के भीतर सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। जहां किसी विशिष्ट तारीख का उल्लेख न किया गया हो वहां समिति के लिए सामान्य अनुदेश ये होते हैं कि वह 'आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक' अथवा 'आगामी सत्र के प्रथम दिन' अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1954 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के सहमति प्रस्ताव को राज्य सभा द्वारा 16 सितम्बर, 1954 को स्वीकृत किया गया था और समिति ने निर्धारित तारीख 20 सितम्बर, 1954 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था।¹⁰¹ महापत्तन न्यास विधेयक, 1963 संबंधी प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के लिए तीन दिन का समय निर्धारित किया गया था।¹⁰² चिट फंड विधेयक, 1982 के संबंध में चार दिन,¹⁰³ और व्यापार चिह्न विधेयक, 1995 के संबंध में चौदह दिनों का समय निर्धारित किया गया था।¹⁰⁴

ऐसी परम्परा रही है कि समिति में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित सदस्यों को विधेयक के प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव पर सामान्यतः बोलने की अनुमति नहीं दी जाती।¹⁰⁵

एक सदस्य (डा० बी० आर० अम्बेडकर) ने, जिनका नाम अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक, 1954 संबंधी संयुक्त समिति में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित सदस्यों में था, उपर्युक्त परम्परा को देखते हुए प्रस्ताव पर बोलने से पहले समिति से अपना नाम वापस ले लिया।¹⁰⁶

जहां तक प्रस्ताव पर चर्चा के विस्तार का संबंध है, जैसाकि सभापति द्वारा बहुत पहले ही टिप्पणी की गई थी, संसदीय परंपरा के अनुसार जब विधेयक पर सहमति का प्रस्ताव किया जाता है तो कुछ टिप्पणियां ही की जाती हैं, इस चरण में विधेयक पर पूर्ण चर्चा आवश्यक नहीं है।¹⁰⁷ तथापि, हाल ही में विधेयकों को संयुक्त समितियों को सौंपने के प्रस्तावों को बिना चर्चा के ही स्वीकृत किए जाने की सामान्य परिपाटी रही है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1981; मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981; पोत-परिवहन अभिकर्ता (लाइसेंसिंग) विधेयक 1987; एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिन्ड्रोम (एड्स) निवारण विधेयक, 1989; लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 संयुक्त समितियों को सौंपने के प्रस्ताव बिना चर्चा के ही स्वीकृत किए गए थे।¹⁰⁸

सभा द्वारा किसी विधेयक को प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद सभा विधेयक के सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्ध हो जाती है।

जब सदन में निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1952 को संयुक्त समिति को सौंपने हेतु सहमति प्रदान करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद सदन को विधेयक के सिद्धान्तों पर आपत्ति करने से विवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। सभापति ने व्यवस्था दी थी कि “जब यह प्रस्ताव इस सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तो इसमें संदेह नहीं कि सदन इसके सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्ध हो गया है। किन्तु प्रवर समिति में कार्य करने वाले कोई भी सदस्य यदि खुले रूप से अथवा अन्यथा अपनी आपत्तियां व्यक्त करना चाहें, तो वे ऐसा कर सकते हैं।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब यह विधेयक इस सदन में दूसरे सदन से आया था तो सदन को इसके सिद्धान्तों, इसकी विवक्षाओं, ब्यौरों और खण्डों इत्यादि पर चर्चा करने की पूरी आजादी थी।¹⁰⁹

राज्य सभा द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के बाद इसे एक संदेश के साथ लोक सभा को सहमति के लिए भेजा जाता है। प्रस्ताव में समिति में नियुक्त राज्य सभा के सदस्यों के नाम दिए जाते हैं और समिति में लोक सभा के सदस्यों की संख्या भी नियत की जाती है। लोक सभा से अनुरोध किया जाता है कि वह समिति के लिए अपने सदस्यों को नामनिर्देशित करे और उनके नामों की सूचना राज्य सभा को दे। संयुक्त समिति में राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों का अनुपात 1:2 है।

लोक सभा में निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1952 को बयालीस सदस्यों की एक संयुक्त समिति, जिसमें लोक सभा से तीस सदस्य और राज्य सभा से बारह सदस्य थे, को सौंपने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया था। प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने के दौरान एक मुद्दा उठाया गया कि पहले संयुक्त समिति के गठन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निश्चित की जाए और संयुक्त समिति हेतु इस सदन द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का मामला दूसरे सदन के आदेश के लिए नहीं छोड़ा जाए। सभापति ने टिप्पणी की थी कि संयुक्त प्रवर समितियों की स्थापना हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पूरी तरह तैयार होने तक उन्होंने सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला था कि वह जहां तक हो सके ऐसी संयुक्त समितियों को इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया संबंधी नियमों के तैयार होने के मुद्दे की परवाह किए बिना ही गठित करे और इस बार जिस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, उससे सदन बाध्य नहीं होगा।¹¹⁰

नियम समिति ने इस मामले पर विचार किया और उसकी यह राय थी कि प्रत्येक संयुक्त समिति में लोक सभा और राज्य सभा द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या का अनुपात 2:1 होना चाहिए। समिति ने इस प्रयोजनार्थ दोनों सदनों के प्रक्रिया संबंधी नियमों में शामिल करने हेतु विधेयकों से संबंधित संयुक्त समिति के लिए कुछ नियम भी तैयार किए थे। किंतु लोक सभा की नियम समिति की यह राय थी कि इस संबंध में परंपरा संतोषजनक रूप से चल रही है और इस विषय पर नियमों में कोई विस्तृत उपबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।¹¹¹ अतः यह अनुपात आपसी परामर्श से निर्धारित किया गया है।

यदि दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत किसी सहमति प्रस्ताव में कोई तथ्यात्मक त्रुटि है अथवा दूसरा सदन पहले करने वाले सदन द्वारा पहले से ही स्वीकृत प्रस्ताव की शर्तों में संशोधन करते हुए कोई सिफारिश करता है तो, या तो वह त्रुटि दूर कर दी जाती है अथवा एक अन्य प्रस्ताव स्वीकृत करने के माध्यम से संशोधन किया जाता है और एक संदेश के माध्यम से पहले सदन को इसकी सूचना दी जाती है।

संयुक्त समिति में हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता विधेयक, 1953 के बारे में सहमति प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के दौरान लोक सभा ने यह सिफारिश की थी कि संयुक्त समिति को निर्देश दिया जाए कि वह मूल प्रस्ताव में बताए गए “आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन अथवा उससे पहले” की बजाय 31 मार्च, 1955 को अथवा उससे पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। लोक सभा के इस संदेश की सूचना राज्य सभा को 10 दिसम्बर, 1954 को दी गई और राज्य सभा ने इस सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया।¹¹²

राज्य सभा में परिसीमा विधेयक, 1962 को राज्य सभा के दस और लोक सभा के बीस सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। लोक सभा ने अपने सहमति संदेश में तीस सदस्यों को नियुक्त किया। लोक सभा में एक प्रस्ताव के माध्यम से इस त्रुटि को ठीक किया गया। राज्य सभा को एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य सभा को दस अधिक सदस्यों के नाम हटाने के संबंध में सूचना दी गई थी।¹¹³

लोक सभा ने पोत-परिवहन अधिकर्ता (लाइसेंसिंग) विधेयक, 1987 संबंधी संयुक्त समिति के लिए अपने तीस सदस्यों के नामों की सूचना राज्य सभा को दी थी। लोक सभा ने पहले सूचित किए गए एक सदस्य के नाम को दूसरे नाम से प्रतिस्थापित करने के संबंध में पहले किए गए प्रस्ताव को संशोधित करने हेतु दूसरा प्रस्ताव स्वीकृत किया और इस आशय का संदेश राज्य सभा को भेजा।¹¹⁴

पीठासीन अधिकारियों द्वारा किसी विषय को संयुक्त समिति को सौंपा जाना

लोक सभा में पुरःस्थापित किये गये संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 (नये अनुच्छेद 330-क और 332-क का अन्तःस्थापन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के अन्त में लोक सभा ने सभापति से परामर्श कर इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने और यह निर्देश देने के लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया कि संयुक्त समिति शरदकालीन सत्र, 1996 के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। तदनुसार, विधेयक को इकतीस सदस्यों—इक्कीस सदस्य लोक सभा से और दस सदस्य राज्य सभा से—वाली संयुक्त समिति को सौंप दिया गया।¹¹⁵

विधेयक को विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को सौंपा जाना

अप्रैल, 1993 में विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की शुरुआत से ही उक्त समितियां उन विधेयकों की जांच करने के उपरांत उन पर अपने प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करती हैं जो उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सम्बद्ध हों। किसी भी सदन में पुरःस्थापित इन विधेयकों को सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा, जैसी भी स्थिति हो इन समितियों को सौंपा जाता है।¹¹⁶ विधेयक को, इस प्रकार सौंपे जाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया यह है कि किसी विधेयक के सभा में पुरःस्थापित होने के बाद यदि उसकी विषय-वस्तु सभापति के नियंत्रण में कार्य करने वाली समिति से संबंधित होती है तो वह उसे उस समिति को सौंप देता है।¹¹⁷ यदि विधेयक किसी ऐसी समिति से संबंधित है, जो लोक सभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में है तो अध्यक्ष द्वारा सभापति से परामर्श करने के उपरांत विधेयक समिति को भेजा जाता है। लोक सभा में भी ऐसी ही

प्रक्रिया अपनायी जाती है।¹¹⁸ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जबकि विधेयकों को पुरःस्थापन से पहले ही अथवा सभा में उन पर विचार किए जाने के दौरान ही विभाग-संबंधित समितियों को सौंप दिया गया।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (रेगुलेशन) विधेयक, 1993 पर, जिस रूप में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, संबंधित मंत्री द्वारा बताए जाने के अनुसार अत्यावश्यकता को देखते हुए 10 अगस्त, 1993 को विचार किया जाना था। मांग की गई थी कि इसे संबंधित समिति को सौंपा जाए। अतः विधेयक पर विचार नहीं किया गया। तदुपरांत अध्यक्ष ने सभापति से परामर्श करके विधेयक को सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समिति को सौंप दिया।¹¹⁹

सभापति ने अध्यक्ष से परामर्श करके पब्लिक सैक्टर लोहा और इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1993 (जिसे लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाना था) को उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों से संबंधित स्थायी समिति को सौंप दिया था।¹²⁰

व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव का राज्य सभा में पुरःस्थापना के दौरान विरोध किया गया था, इसलिए प्रस्ताव ही उपस्थित नहीं किया गया। बाद में अध्यक्ष द्वारा इसे श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को सौंप दिया गया था।¹²¹

(1) दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टियां और पेंशन विधेयक, 1994 तथा (2) उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टियां और पेंशन विधेयक, 1994 पर विचार करने हेतु प्रस्तावों पर 22 और 23 अगस्त, 1994 को चर्चा की गई थी। 23 अगस्त, 1994 को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कतिपय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत होते हुए सूचित किया कि सभापति से इन विधेयकों को गृह मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति को सौंपने का अनुरोध किया जाएगा। तदनुसार, सभापति ने विधेयकों को समिति को सौंप दिया।¹²²

जब कभी विधेयक स्थायी समितियों को सौंपे जाते हैं, सदस्यों को तदनुसार बुलेटिन के माध्यम से सूचित किया जाता है। सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा विधेयक को स्थायी समिति को सौंपते समय समय-सीमा निर्दिष्ट की जा सकती है, जिसके दौरान समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए।¹²³

जैसाकि ऊपर बताया गया है पब्लिक सैक्टर लोहा और इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1993 को संबंधित स्थायी समिति को सौंपा गया था और समिति को अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना था। तथापि, समिति के लिए इस समय-सीमा को 18 मार्च, 1994 तक बढ़ाया गया था।¹²⁴

दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1995 दिनांक 18 मई, 1995 को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को इन निर्देशों के साथ सौंपा गया कि वह दो दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।^{124क}

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1997 दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 को श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को इन निर्देशों के साथ सौंपा गया कि वह 31 अक्टूबर, 1997 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।¹²⁵ लॉटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1998 दिनांक 10 जून, 1998 को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को इन निर्देशों के साथ सौंपा गया कि वह 3 जुलाई, 1998 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।¹²⁶ इसी प्रकार, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को अगले सत्र के प्रथम दिन तक स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1998 की जांच करनी थी।¹²⁷ (30 जुलाई, 1998 को समिति को सौंपा गया)। गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को दिनांक 7 दिसम्बर, 1998 को सौंपे गए लोकपाल विधेयक, 1998 की दिनांक 11 दिसम्बर, 1998 तक जांच की जानी थी तथा प्रतिवेदन दिया जाना था।¹²⁸ केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 दिनांक 10 दिसम्बर, 1998 को गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को इन निर्देशों के साथ सौंपा गया कि वह 16 दिसम्बर, 1998 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।¹²⁹ अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधेयक, 1999 को दिनांक, 21 जनवरी, 2000 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंपते हुए यह आवश्यक महसूस किया गया कि समिति द्वारा जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को 15 फरवरी, 2000 तक विनिर्दिष्ट किया जाए।¹³⁰ इसी प्रकार, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2003 को दिनांक 30 मई, 2003 को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को इन निर्देशों के साथ सौंपा गया कि वह अगले सत्र (199वां सत्र) के प्रथम सप्ताह तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।^{130क}

एक सदन द्वारा विभाग-संबंधित स्थायी समिति को सौंपा गया और पारित किया गया विधेयक दूसरे सदन द्वारा प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है।

व्यापार चिह्न विधेयक, 1995 को 6 अगस्त, 1993 को सम्बद्ध विभाग-संबंधित स्थायी समिति को सौंपा गया था। विधेयक को लोक सभा द्वारा 29 मई, 1995 को पारित किया गया था। राज्य सभा ने विधेयक को 7 अगस्त, 1995 को प्रवर समिति को सौंपा था।

विधेयकों संबंधी संयुक्त समितियों की भांति, विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां भी लोक सभा के भंग हो जाने पर निष्क्रिय हो जाती हैं। जहां तक अध्यक्ष के नियंत्रण वाली समितियों का संबंध है, राज्य सभा के पुरःस्थापित एवं लंबित ऐसे विधेयक, जिन्हें पूर्ववर्ती समितियों को सौंपा गया था, उन्हें उनके पुनर्गठन के उपरांत नये सिरे से सौंपे जा सकते हैं। अध्यक्ष के नियंत्रण वाली समितियों के मामले में पुनर्गठन के पश्चात् वे स्वतः ही उन्हें पूर्व में सौंपे गये विधेयकों पर विचार करना आरम्भ कर सकती हैं।¹³¹

प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया

किसी विधेयक पर राज्य सभा की प्रवर समिति अथवा सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद प्रभारी सदस्य निम्नलिखित में से कोई भी प्रस्ताव कर सकता है, अर्थात् विधेयक पर, समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए; अथवा विधेयक को, प्रतिवेदित रूप में, बिना किसी परिसीमा के अथवा केवल विशेष खंडों या संशोधनों के संबंध में अथवा समिति को विधेयक में कोई विशेष या अतिरिक्त उपबंध करने के अनुदेशों के साथ पुनः सौंपा जाए; अथवा विधेयक को, यथास्थिति, प्रतिवेदित रूप में उस पर राय या और आगे राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाए। यदि प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए तो कोई भी सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव किए जाने पर इस आधार पर आपत्ति कर सकता है कि सदस्यों को विधेयक की प्रति दो दिन पहले उपलब्ध नहीं करवायी गयी है और जब तक सभापति प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे तब तक ऐसी आपत्ति अभिभावी रहेगी।¹³² इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद समिति के प्रतिवेदन पर विचार किए जाने और उसे सौंपे गए विषयों तक सीमित रहता है। किन्तु सदस्य विधेयक के सिद्धांतों से सुसंगत कोई वैकल्पिक सुझाव दे सकते हैं।¹³³

यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक यथास्थिति समिति को पुनः सौंपा जाए अथवा उस पर राय जानने या आगे और राय जानने के प्रयोजन से परिचालित या पुनः परिचालित किया जाए।¹³⁴

वित्त मंत्री द्वारा बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में विचार करने का प्रस्ताव किए जाने पर एक सदस्य ने इस संशोधन का प्रस्ताव रखा कि विधेयक को पुनः प्रवर समिति को सौंपा जाए और यह मांग की कि उसके संशोधन पर मंत्री के प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले चर्चा की जाए और मत लिया जाए। उपसभापति ने इस पर सहमति नहीं दी और कहा कि परंपरा यह रही है कि प्रस्ताव तथा उसके संबंध में संशोधनों पर एक साथ चर्चा की जाए।¹³⁵

स्थायी समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद की प्रक्रिया

किसी विधेयक के संबंध में स्थायी समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के बाद विधेयक पर विचार किया जाता है और उसके बाद खण्डशः विचार किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रवर अथवा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयकों के विपरीत स्थायी समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं किया जाता। इसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि स्थायी समिति का प्रतिवेदन 'व्यापक सर्वसम्मति' पर आधारित और 'विश्वसनीय' होता है और इसलिए उसे समिति द्वारा विचारित सलाह माना जाता है।¹³⁶ यह विधेयक के प्रभारी मंत्री अथवा अन्य सदस्य पर निर्भर करता है कि वह समिति द्वारा की गई सिफारिशों अथवा सुझावों को ध्यान में रखकर आवश्यक संशोधनों का सभा में प्रस्ताव करे।

जिस स्थायी समिति को डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994 सौंपा गया था उसने विधेयक में कई संशोधन करने का सुझाव दिया था और संशोधनों का प्रस्ताव विधेयक के प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक पर खण्डशः विचार के दौरान किया गया।¹³⁷

खण्डशः विचार किया जाना

विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद विधेयक को खण्डशः विचार के लिए रखा जाता है। सभापति प्रत्येक खण्ड को अलग-अलग ले सकता है और जब इससे संबंधित संशोधन निबटा दिए जाते हैं तो वह प्रस्ताव रखता है: “यह खण्ड (अथवा संशोधित रूप में यह खण्ड, जैसी भी स्थिति हो) विधेयक का अंग बने।”¹³⁸ यदि सभापति ठीक समझे तो किसी खण्ड पर विचार किया जाना स्थगित कर सकता है।¹³⁹

प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक, 1953 पर खण्डशः विचार के दौरान एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि विधेयक में कुछ स्पष्ट त्रुटियां हैं और जब तक इन त्रुटियों को दूर न कर दिया जाए तब तक इस पर आगे कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं होगा। सभापति ने व्यवस्था दी थी कि यदि सभा को मालूम है कि इसमें त्रुटियां हैं, तो यह जानते हुए विधेयक पारित करना उचित नहीं है इसलिए, उसने विधेयक पर विचार किए जाने को उस दिन मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। दोपहर 12 बजे विधेयक को विचार के लिए रखा गया और मंत्री ने त्रुटियों को दूर करने हेतु संशोधनों का प्रस्ताव किया।¹⁴⁰

नागालैण्ड राज्य (संशोधन) विधेयक, 1981 के एक खण्ड में यह उपबंध किया गया था कि “जब तक संसद् द्वारा संविधान के अनुच्छेद 158 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस संबंध में उपबंध नहीं किया जाता तब तक नागालैण्ड के राज्यपाल के भते और विशेषाधिकार वही होंगे, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।” “संविधान के” शब्दों को हटाने के लिए एक शुद्धि-पत्र जारी किया गया था, एक सदस्य ने तर्क पेश किया कि ऐसा औपचारिक संशोधन के माध्यम से किया जाना चाहिए था न कि शुद्धि-पत्र के माध्यम से। उपसभापति ने सहमति प्रदान की किन्तु यह कहा कि भविष्य में ऐसा किया जाना चाहिए और इसे पूर्वोदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।¹⁴¹

यदि कोई अनुसूची अथवा अनुसूचियां हों, तो उस पर या उन पर खण्डों को निपटाने के बाद विचार किया जाता है। अनुसूचियों में उसी रीति से संशोधन किया जा सकता है जिस रीति से खण्डों में संशोधन किया जाता है। मूल अनुसूचियों पर विचार किए जाने के बाद नई अनुसूचियों पर विचार किया जाता है।¹⁴² खण्डों और अनुसूचियों को एक साथ एक ही प्रस्ताव में रखा जा सकता है। विधेयक के खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, यदि कोई हो, और शीर्षक पर नए खण्डों और नई अनुसूचियों सहित अन्य सभी खण्डों और अनुसूचियों को निपटा दिए जाने के बाद विचार किया जाता है।¹⁴³

खण्डों का संशोधन

किसी संशोधन की सूचना, किसी अन्य सूचना की तरह ही लिखित रूप में महासचिव को संबोधित की जानी अपेक्षित है, जिस पर सदस्य द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किये जाने चाहिये और उसे समय-समय पर संसदीय समाचार में अधिसूचित कार्य के समय के दौरान ही सूचना अनुभाग में भेजा जाना चाहिए।¹⁴⁴ ऐसी सूचना सभा में विधेयक पर विचार किये जाने से कम से कम एक दिन पहले तक दी जानी अपेक्षित है। कोई भी सदस्य संशोधन की अपेक्षित सूचना न दिये जाने की स्थिति में उस संशोधन को उपस्थित किये जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति कर सकता है और जब तक सभापति उस संशोधन के उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे तब तक ऐसी आपत्ति कायम रहती है।¹⁴⁵ सभापीठ को कुछ विशिष्ट मामलों में इससे अल्पावधि की सूचना पर संशोधन उपस्थित किये जाने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है।¹⁴⁶ संशोधन सही रूप में होना चाहिये और यदि आवश्यक समझा जाये, तो उसे परिचालित किये जाने से पूर्व उसको संबंधित सदस्य के परामर्श से सचिवालय द्वारा उपयुक्त रूप से संपादित किया जाता है।

संशोधनों की स्वीकार्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(1) संशोधन विधेयक के क्षेत्र के भीतर होना चाहिए और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से संगत होना चाहिये।⁴⁷

नागालैण्ड राज्य (संशोधन) विधेयक, 1981 में मूल विधेयक की धारा 32 में कोई संशोधन किया जाना शामिल नहीं था। सम्बद्ध मंत्री ने नियमों को सभा पटल पर रखे जाने से संबंधित उस धारा की उप-धारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने उस संशोधन के संबंध में नियम 96(i) को आस्थगित करने हेतु एक प्रस्ताव की सूचना भी दी थी। उस संशोधन को एक पृथक् सूची में एक पाद-टिप्पण के साथ परिचालित किया गया था जिसमें नियम 96(i) को आस्थगित करने हेतु प्रस्ताव की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था और इसे भी अलग से परिचालित किया गया था। नियम को आस्थगित करने के प्रस्ताव को उपस्थित किया गया था और तत्पश्चात् उस संशोधन को स्वीकृत किया गया था।⁴⁸

(2) ऐसा कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हो।⁴⁹

यद्यपि ऐसा कोई संशोधन परिचालित किया जाये जिसका उद्देश्य विधेयक के किसी खण्ड का विलोपन करना है, और उसे सभा में मत लेने के लिये उपस्थित तक कर दिया जाये, तो भी इस शर्त के सिद्धान्त के अनुसार ऐसी स्थिति में उचित कार्यवाही उस खण्ड के विरुद्ध मत देना ही है। तथापि, यह शर्त उस मामले में लागू नहीं होती जिसमें संशोधन का उद्देश्य केवल कुछ शब्दों या यदि कोई उप-खण्ड हों, तो उनका विलोपन करना ही है बशर्ते कि ऐसे किसी संशोधन का समूचे खण्ड के विलोपन का प्रभाव न हो।

जब एक सदस्य संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 के एक खण्ड को निकाल देने हेतु एक संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते थे, तो सभापति ने इसे इस आधार पर अनुचित ठहराया था कि यह एक नकारात्मक संशोधन था और सदस्य उस खण्ड के विरुद्ध मत दे सकते थे।⁵⁰

(3) कोई संशोधन उसी प्रश्न पर सभा के किसी पूर्व निर्णय से असंगत नहीं होना चाहिये।⁵¹

(4) कोई संशोधन तुच्छ या ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे कि वह खण्ड अबोध्य हो जाये या व्याकरण की दृष्टि से ठीक न रह जाये जिसे संशोधित करने का उसमें प्रस्ताव किया गया हो।⁵²

यदि कोई संशोधन किसी अनुवर्ती संशोधन या अनुसूची का उल्लेख करे या उसके बिना यह बोधगम्य न हो तो प्रथम संशोधन उपस्थित किये जाने से पहले अनुवर्ती संशोधन या अनुसूची की सूचना देनी होगी जिससे कि वे संशोधन समग्र रूप से बोधगम्य हो सकें।⁵³

संशोधनकारी विधेयक में संशोधन

किसी अधिनियम में संशोधन चाहने वाले विधेयक में संशोधन किये जाने का क्षेत्र सीमित है। सामान्यतया, मूल अधिनियम की उन धाराओं में, जिनका संशोधनकारी विधेयक में जिक्र नहीं किया गया हो, संशोधन तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि वे संशोधनकारी विधेयक के माध्यम से किये जाने वाले संशोधनों के अनुवर्ती न हों या विधेयक के क्षेत्र के भीतर न आते हों।

जब संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, 1956 विचाराधीन था, तब एक सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 29, 30 और 35 का संशोधन करने के लिये, जिनका विधेयक में जिक्र नहीं किया गया था, कुछ संशोधन उपस्थित करने की अनुमति मांगी थी। उपसभापति ने उन संशोधनों को नियम विरुद्ध घोषित कर दिया था। जब सदस्य ने विधेयक पर खण्डशः विचार के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा था कि इसी तरह के संशोधन पर लोक

सभा में विचार की अनुमति दी गयी थी, तो उपसभापति ने कहा था कि इस सभा की यह परिपाटी रही है कि उस धारा में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती जिसके संबंध में सरकार द्वारा संशोधन किये जाने की मांग नहीं की जा रही हो।¹⁵⁴

निरसनकारी और संशोधनकारी विधेयक में संशोधन

ऐसे किसी विधेयक का उद्देश्य “अप्रचलित विनियमनों को हटाना, अनावश्यक बातों को निकाल देना तथा असंगत अधिनियमनों को अस्वीकार कर देना है।” यह निर्णय किया गया है कि किसी निरसनकारी और संशोधनकारी विधेयक में केवल पूर्णतया औपचारिक संशोधन ही शामिल होने चाहिए जिन पर कोई विवाद न हो तथा जिनसे कोई सिद्धांत का प्रश्न न उठ सके।

निरसनकारी और संशोधनकारी विधेयक, 1953 पर खण्डशः विचार की अवस्था पर, दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण अधिनियम, 1950 और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 से संबंधित दो प्रविष्टियों को मूल संशोधन माना गया था और उनको कुछ सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त करने पर संशोधन उपस्थित कर हटा दिया गया था तथा उपसभापति ने यह स्वीकार किया था कि उक्त प्रविष्टियां औपचारिक स्वरूप की नहीं थीं।¹⁵⁵

उन विधियों को जारी रखने संबंधी विधेयक में संशोधन किया जाना, जिनकी कालावधि समाप्त हो रही हो

यदि किसी ऐसे अधिनियम को जारी रखना अपेक्षित हो, जिसकी अवधि सीमित है, तो उसकी अवधि एक निर्दिष्ट तिथि तक बढ़ाने के लिए संसद् में अलग से एक विधेयक लाया जाता है। ऐसे विधेयकों में संशोधन की गुंजाइश बहुत ही सीमित होती है। मूल अधिनियम की ऐसी धाराओं में संशोधन चाहने वाले संशोधनों को इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है, जिन्हें इस विधेयक में शामिल न किया गया हो।

निवारक नज़रबंदी (संशोधन) विधेयक, 1954 पर चर्चा के दौरान एक सदस्य मूल अधिनियम में कुछ संशोधन की अनुमति चाहते थे। उपसभापति ने उन्हें व्यवस्था के विरुद्ध करार देते हुए टिप्पणी की कि यह विधेयक ‘कालावधि समाप्त होने वाली विधियों को जारी रखने हेतु विधेयक’ की श्रेणी के अंतर्गत आता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्थापित परंपरा के अनुसार चलते हुए, मूल अधिनियम में, जिसे जारी रखने का प्रस्ताव है, संशोधन चाहना उचित नहीं होगा।¹⁵⁶

पुनः जब एक सदस्य ने निवारक नज़रबंदी (अनुवर्तन) विधेयक, 1957 में उस क्षेत्र के संबंध में संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जिस पर इसे लागू होना था, उपसभापति ने इस विषय पर पहले दी गई व्यवस्था को दोहराया और ‘मे’ज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस’, 15वां संस्करण (पृ 532-33) से उद्धृत किया कि “कालावधि समाप्त होने वाली विधियों को जारी रखने हेतु विधेयक” के संबंध में उपस्थित किए जाने वाले संशोधन के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:

- (क) यदि कोई संशोधन ऐसे अधिनियम के उपबंधों में संशोधन चाहता है, जिसे जारी रखने अथवा स्थायी बनाने का प्रस्ताव है अथवा पहले ही कालावधि समाप्त किसी संविधि को विधेयक में शामिल करने का प्रस्ताव है, तो वह संशोधन विधेयक के सीमा-क्षेत्र में नहीं आता है; और
- (ख) उस तिथि के बदलने के लिए विधेयक के प्रवर्तनशील खण्ड में संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है, जिस तिथि तक उस विधेयक को लागू रहना हो।¹⁵⁷

राष्ट्रपति की सिफारिश की अपेक्षा वाले संशोधन

यदि कोई सदस्य ऐसा संशोधन उपस्थित करना चाहता हो, जिसे संविधान के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना उपस्थित नहीं किया जा सकता, तो वह सूचना के साथ राष्ट्रपति द्वारा मंत्री की मार्फत भेजी गई सिफारिश को अनुबद्ध करेगा और सदस्य द्वारा दी गई संशोधन की सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन नहीं हो जाता।¹⁵⁸

परंपरा यह है कि सदस्य आम तौर पर अपनी ओर से राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के लिए सचिवालय को अपना आवेदन देते हैं। सदस्य के पत्र की एक प्रति सिफारिश की अपेक्षा वाले संशोधन के साथ संबद्ध मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है। संशोधन पर सिफारिश देने अथवा रोकने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश की सूचना संबंधित मंत्री द्वारा महासचिव को लिखित रूप से दी जाती है।¹⁵⁹ यदि समय हो, तो इसे 'संसदीय समाचार' में प्रकाशित किया जाता है।¹⁶⁰

सामान्यतया राज्य सभा में संशोधन की ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनमें आय-कर या उत्पाद शुल्क में किंचित फेर-बदल करने अर्थात् सदन के समक्ष वित्त विधेयक में निर्धारित दरों में संशोधन करने या कर में कमी करने का अनुरोध किया जाता है। ऐसी सूचनाओं को राष्ट्रपति की सिफारिशें प्राप्त करने हेतु वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है और ऐसी सूचनाओं के प्रस्ताव को सिफारिशें प्राप्त किये बिना सदन में उपस्थित नहीं किया जा सकता है,¹⁶¹ क्योंकि राज्यों की अभिरुचि वाला कोई ऐसा कर या शुल्क लगाने या उसमें कोई परिवर्तन करने वाले संशोधनों को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना उपस्थित नहीं किया जा सकता है।¹⁶²

भारतीय टैरिफ (चौथा संशोधन) विधेयक, 1952 के खण्ड 2 में दो संशोधनों को राज्य सभा में नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनके लिये नियमों के अधीन राष्ट्रपति को संस्वीकृति अपेक्षित थी और इस संबंध में संस्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी।¹⁶³

तथापि, ऐसे किसी संशोधन के प्रस्ताव को उपस्थित करने हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है जिसका उद्देश्य विधेयक में प्रस्तावित किसी कर को समाप्त करना या उसमें कमी करना है।¹⁶⁴

संशोधनों की सूची

जिन संशोधनों की सूचना दी जा चुकी हो, उनका विन्यास समय-समय पर जारी की गयी संशोधन सूची में यथासाध्य उसी क्रम में किया जाता है जिसमें कि उन पर सदन में विचार किया जा सके। किसी खंड में एक ही स्थान पर एक जैसा प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विन्यास करते समय उस संशोधन को पूर्वता दी जाती है जिसके संबंध में विधेयक के प्रभारी सदस्य से सूचना प्राप्त हो गई हो। इसके अध्यक्षीय संशोधनों का विन्यास उस क्रम में किया जाता है जिसमें कि उनकी सूचनायें प्राप्त हुई हों।¹⁶⁵ सामान्यतया सूची में संशोधनों का खण्ड-वार इस क्रम में विन्यास किया जाता है: किसी विद्यमान खण्ड के लिये नया खण्ड प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन; किसी उप-खण्ड या उप-पैरा का विलोपन करने हेतु संशोधन; किसी विद्यमान उप-खण्ड या उप-पैरा के लिये किसी उप-खण्ड या उप-पैरा को प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन; कतिपय शब्दों का विलोपन करने हेतु संशोधन; कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करने, जोड़ने या अन्तःस्थापित करने हेतु संशोधन; और किसी नये खण्ड को जोड़ने या अन्तःस्थापित करने हेतु संशोधन। एक से अधिक सदस्यों से प्राप्त हुई एक ही तरह के संशोधनों की सूचनाओं की स्थिति में, सदस्यों के नाम कोष्ठकों में दिये जाते हैं। किसी विधेयक के खण्डों और अनुसूचियों से संबंधित संशोधनों को उन संशोधनों से अलग से सूचीबद्ध किया जाता है, जिन्हें विधेयक के विचारार्थ उपस्थित किया गया हो अर्थात् किसी विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपने हेतु संशोधन या किसी विधेयक पर राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित करने हेतु संशोधन। किसी विधेयक के संबंध में संशोधनों की अनेक सूचियां जारी की जा सकती हैं; यदि समय हो, तो उन सभी संशोधनों की एक समेकित सूची भी जारी की जा सकती है। संशोधनों की सूचियों को राज्य सभा के सभी सदस्यों, मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।¹⁶⁶

सदन का सत्रावसान होने पर संशोधनों की सभी सूचनायें व्यपगत हो जाती हैं और अगले सत्र के लिये नई सूचनायें दी जानी चाहिए।¹⁶⁷ तथापि, किसी सरकारी विधेयक के मामले में कोई संशोधन, जिसकी सूचना प्रभारी मंत्री से मिली हो, इस बात के कारण व्यपगत नहीं हो जाता है कि वह मंत्री या सदस्य नहीं रहा है और ऐसा संशोधन विधेयक नये प्रभारी मंत्री के नाम से मुद्रित कर दिया जाता है।¹⁶⁸

सभापति को प्रस्तावित किये जाने वाले नये खण्डों या संशोधनों का चयन करने की शक्ति प्राप्त है और यदि वह ठीक समझे, तो ऐसे किसी सदस्य से, जिसने संशोधन की सूचना दी हो, उस संशोधन के उद्देश्य की ऐसी व्याख्या करने के लिये कह सकता है जिससे कि वह उस पर कोई निर्णय ले सके।¹⁶⁹

संशोधनों का उपस्थित किया जाना, उन पर विचार किया जाना और उनका वापस लिया जाना

जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये, स्वीकृत हो गया हो, तब कोई सदस्य सभापति द्वारा पुकारे जाने पर उसमें वह संशोधन उपस्थित करता है जिसकी उसने पहले सूचना दे दी हो। समय बचाने और तर्कों की पुनरावृत्ति न होने देने की दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भर अनेक संशोधनों को लाने हेतु एक ही चर्चा की अनुमति दी जाती है।¹⁷⁰ किसी विधेयक के खण्ड में संशोधन का प्रस्ताव उस खण्ड को सभा के समक्ष रखे जाने के तत्काल पश्चात् उपस्थित करना पड़ता है। सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए सभा में उपस्थित होना चाहिये जब उस खण्ड को विचारार्थ लिया जाये जिससे यह सम्बद्ध है। एक सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य की ओर से संशोधन प्रस्ताव उपस्थित करने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई सदस्य उस समय सभा में उपस्थित न हो जब प्रस्ताव उपस्थित करने हेतु उसका नाम पुकारा जाये तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने का अवसर खो देता है।

जब किसी विशिष्ट खण्ड में संशोधन उपस्थित किये गये हों तो सदस्य उस खण्ड और उससे संबंधित संशोधनों पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यदि समय हो तो संशोधनों को सभा पटल पर रखने वाले सदस्यों को अपने संशोधनों के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल जाता है। साधारणतया संशोधनों पर विधेयक के उन खण्डों के क्रम में विचार किया जाता है जिनसे वे संबंधित होते हैं।¹⁷¹ किसी खण्ड पर चर्चा पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सभापति उपस्थित किये गये संशोधनों को सभा का मत लेने के लिये रखते हैं।

उपस्थित किये गये किसी संशोधन को प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य द्वारा इसके वापस किये जाने हेतु किए गये विशिष्ट अनुरोध पर ही उसे सभा की अनुमति से वापस लिया जा सकता है। यदि संशोधन को वापस लेने की अनुमति का विरोध किया जाता है तो उसे निपटायें जाने हेतु सभा का मत लेने के लिये रखना पड़ेगा।¹⁷² यदि किसी संशोधन पर कोई संशोधन प्रस्तावित किया गया हो तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जा सकता है जब तक कि उससे संबंधित प्रस्तावित संशोधन का निपटारा न कर दिया जाये।¹⁷³

विधेयक का पारण (तृतीय वाचन)

जब विधेयक के सभी खण्डों और अनुसूचियों, यदि कोई हों पर विचार कर लिया गया हो तथा सभा का मत ले लिया गया हो, तब विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पारित किया जाये।¹⁷⁴

एक अवसर पर, जब गृह मंत्री ने यह प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया कि संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 1977 को यथासंशोधित रूप में पारित किया जाये, तब कुछ प्रक्रियागत प्रश्न उठाये गये थे।

उपसभाध्यक्ष ने नियम 126 के साथ पठित नियम 71 का उल्लेख करते हुए यह टिप्पणी करके इस मामले को वहीं समाप्त कर दिया था कि: "हमारे नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि सभापीठ को यह शक्ति प्राप्त हो कि वह प्रभारी सदस्य को इस बात के लिए बाध्य कर सके कि प्रस्ताव पारित कराने के लिये उसे उपस्थित किया जाये। चूंकि प्रभारी सदस्य उपस्थित नहीं कर रहे हैं इसलिये इस संबंध में आगे कुछ नहीं किया जा सकता है।" एक अन्य विधेयक, दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, 1977 को तत्पश्चात् विचारार्थ लिया गया और उसमें भी संशोधन किया गया और मंत्री ने उस विधेयक के संबंध में अगला प्रस्ताव भी उपस्थित नहीं किया था।¹⁷⁵ दोनों ही विधेयक लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गये थे।

इस प्रस्ताव पर आपत्ति की जा सकती है कि विधेयक यथासंशोधित रूप में उसी दिन पारित किया जाए जिस दिन विधेयक पर विचारण समाप्त हुआ हो।¹⁷⁶ तथापि, इस संबंध में सामान्य प्रथा यह है कि प्रस्ताव उसी दिन उपस्थित किया जाता है।

विधेयक को पारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सभा द्वारा किए गये औपचारिक, मौखिक अथवा किसी संशोधन के आनुषंगिक संशोधनों को छोड़कर किसी अन्य संशोधन को उपस्थित नहीं किया जा सकता।¹⁷⁷

इस प्रस्ताव पर कि "विधेयक (अथवा यथासंशोधित रूप में विधेयक) को पारित किया जाये", चर्चा विधेयक के समर्थन में अथवा विधेयक अस्वीकृत करने के लिए दिए जाने वाले तर्कों तक सीमित रहेगी और भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक उल्लेख नहीं करेगा जितना उसके तर्कों के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, जो सामान्य रूप के होंगे।¹⁷⁸

प्रत्यक्ष गलतियों का ठीक किया जाना

विधेयक के राज्य सभा द्वारा पारित हो जाने के बाद सभापति को प्रत्यक्ष गलतियों को ठीक करने और ऐसे अन्य परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होगी, जो राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के आनुषंगिक हों।¹⁷⁹

एक अवसर पर सभापति द्वारा सूचित किया गया कि उन्होंने दो विधेयकों, अर्थात् मुस्लिम वक्फ विधेयक और बालक विधेयक, के अधिनियमन सूत्र में एकरूपता बनाए रखने के लिए संशोधन किया है। एक सदस्य द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसा संशोधन के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है तो सभापति ने टिप्पणी की कि प्रत्यक्ष गलतियों को ठीक करने हेतु उनको आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं।¹⁸⁰

बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ होने से पहले वित्त मंत्री ने सभा में एक वक्तव्य दिया था और उन्होंने सभा का ध्यान उनके द्वारा लोक सभा में पुरःस्थापित वित्त विधेयक, 1956 में हुई मुद्रण की अशुद्धियों की ओर दिलाया था।¹⁸¹

राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक विधायी परामर्शी विधि मंत्रालय को छानबीन के लिए भेजे जाते हैं ताकि सभापति को प्रत्यक्ष गलतियों इत्यादि को ठीक करने में मदद मिल सके। नियम यह है कि विधायी परामर्शी द्वारा बतायी गयी और सभापीठ द्वारा स्वीकार की गई प्रत्यक्ष गलतियों को विधेयकों को लोक सभा को भेजने से पहले ठीक कर दिया जाता है। संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित ऐसे विधेयकों की, जो राज्य सभा के पास हों, राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेजने से पहले, अनिवार्य रूप से संवीक्षा की जाती है। ऐसी संवीक्षा विधेयक की अनुमति प्राप्त प्रति के मुद्रित होने से पहले और उसके बाद सभापति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले की जाती है।

विधेयक पर वाद-विवाद का स्थगन

राज्य सभा में विधेयक पर चल रही चर्चा के किसी भी चरण में सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाए।¹⁸²

लोक सभा द्वारा यथा पारित संसद् (निरहता निवारण) संशोधन विधेयक, 1974 पर आगे विचार किए जाने को एक सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए और सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से स्थगित कर दिया गया था।¹⁸³

सभापति विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित किए जाने के प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखने से पहले एक से अधिक सदस्यों को विरोध करने अथवा बोलने की अनुमति दे सकते हैं। विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित करने के प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने अथवा वापस लिए जाने पर विधेयक पर वाद-विवाद चलता रहता है।

एक सदस्य ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अध्यादेश, 1968 और संबंधित विधेयक का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर वाद-विवाद को स्थगित किया जाए। यह प्रस्ताव मत-विभाजन द्वारा अस्वीकृत हो गया।¹⁸⁴

जब लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में महापतन न्यास विधेयक, 1963 पर चर्चा चल रही थी, तो एक मामला उठाया गया था कि क्या विधेयक को लोक सभा की प्रवर समिति की बजाय संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए था। जैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठे, एक सदस्य ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि विधेयक पर आगे चर्चा को स्थगित किया जाए। सदस्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाने के बाद, सदस्य ने सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस ले लिया और विधेयक पर वाद-विवाद चालू रहा।¹⁸⁵

किन्तु, यदि सभापति की राय यह हो कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव राज्य सभा के नियमों का दुरुपयोग है तो वह उस पर या तो तुरन्त मत ले सकेंगे या प्रस्ताव को प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेंगे।¹⁸⁶

विधेयक का वापस लिया जाना

किसी विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के किसी भी चरण में प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए और यदि ऐसी अनुमति दे दी जाती है तो उस विधेयक के संबंध में कोई और प्रस्ताव नहीं किया जाएगा।¹⁸⁷ कुछ ऐसे कारण जिनके आधार पर विधेयकों को वापस लिए जाने की अनुमति दी गई है, इस प्रकार हैं: विधेयक में शामिल विधायी प्रस्ताव को हटाया जाना है; अथवा सरकार विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है; अथवा सरकार इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाना चाहती है। कुछ ऐसे विधेयकों का, जो राज्य सभा में पुरःस्थापित तो किए गए किन्तु बाद में उन्हें वापस ले लिया गया, नीचे उल्लेख किया गया है और उनके वापस लिए जाने की संबंधित तारीखें कोष्ठकों में दी गई हैं।

पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 (11 मार्च, 1991); व्यवसाय संघ और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988 (30 मई, 1990); प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1988 (26 मार्च, 1992); भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) विधेयक, 1988 (28 नवम्बर 1995); खेल-कूद रंगभेद निवारण विधेयक, 1988 (26 अगस्त, 1995); अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 1989 (12 अगस्त, 1992); संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (13 जून, 1994); लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 (13 जून, 1994); विकलांग कल्याण एवं अधिकार संरक्षण बोर्ड विधेयक, 1991 (22 अगस्त, 1995); मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्कीय अंगघातग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1991 (2 जून, 1995); विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1991 (1 जून, 1995); अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 (30 मार्च, 1995); कम्पनी विधेयक, 1993 (10 सितम्बर, 1996); अवक्रय (संशोधन) विधेयक, 1989 (12 सितम्बर, 1996); पांडिचेरी (प्रशासन) संशोधन विधेयक, 2000 (1 अगस्त, 2000); दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 (7 दिसम्बर, 2001); दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 (13 मार्च, 2002); भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 (21 मार्च, 2002); और कंपनी विधेयक, 1997 (7 मई, 2003)।

जब कोई विधेयक प्रवर या संयुक्त समिति के विचाराधीन हो तो विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव की सूचना स्वतः समिति को सौंपी गई मानी जाएगी और समिति द्वारा राज्य सभा को दिए प्रतिवेदन में अपनी राय व्यक्त किए जाने के बाद वह प्रस्ताव कार्यावलि में रखा जाएगा।¹⁸⁸

जब किसी विधेयक का आरम्भ लोक सभा में हुआ हो और वह राज्य सभा में लंबित हो तो प्रभारी सदस्य को राज्य सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें लोक सभा से यह सिफारिश की जाएगी कि लोक सभा राज्य सभा द्वारा विधेयक को वापस लेने की अनुमति दिए जाने से सहमत हो और जब यह प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा स्वीकृत हो जाए और उस पर लोक सभा द्वारा सहमति प्रदान कर दी जाए तब प्रभारी सदस्य विधेयक को वापस लेने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेगा।¹⁸⁹ उसके बाद उस आशय का एक संदेश लोक सभा को भेजा जाता है।

इसी प्रकार राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा में लंबित पड़े किसी विधेयक को वापस लेने के लिए लोक सभा में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है।¹⁹⁰ नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनमें पूर्व में राज्य सभा द्वारा पारित किए गए और लोक सभा में लंबित पड़े विधेयक को वापस लेने के लिए लोक सभा की सिफारिश के अनुसार राज्य सभा में सहमति का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

मणिपुर राज्य पहाड़ी लोक (प्रशासन) विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1954; अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1965; अधिवक्ता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1968; आयुध (संशोधन) विधेयक, 1981; भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1992; माल बहुविधि परिवहन विधेयक 1992; दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 1992; संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990।¹⁹¹

निर्धारित परिपाटी के अनुसार जब सरकार द्वारा किसी विधेयक को वापस लिए जाने का अनुरोध किया जाता है तब संबंधित मंत्री द्वारा उस तारीख, जिस तारीख को विधेयक को वापस लिए जाने का प्रस्ताव किया जाना है, से पहले विधेयक को वापस लिए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण सदस्यों में परिचालित किया जाता है।¹⁹²

यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाता है जो सभापति, यदि वह उचित समझें, प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक विवरण देने की अनुमति दे सकते हैं और उसके बाद, बिना किसी वाद-विवाद के प्रस्ताव पर मत लेते हैं।¹⁹³

लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल विधेयक, 1959 पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा के बीच में ही स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि सरकार का विधेयक पर आगे कार्यवाही करने का विचार नहीं है। सदस्यों ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए यह आपत्ति की कि मंत्री को चर्चा पूरी होने के बाद ही विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगनी चाहिए थी। उपसभापति ने नियम 117(पुराना) का उल्लेख करते हुए मंत्री और विधेयक को वापस लिए जाने का विरोध करने वाले सदस्य को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी। उसके बाद विधेयक को वापस लिए जाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से सभापीठ द्वारा उपस्थित किया गया और मत-विभाजन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।¹⁹⁴

16 अगस्त, 1995 को लोक सभा द्वारा यथापारित भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1995 को 17 अगस्त, 1995 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। सरकार ने दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1995 नाम से एक व्यापक विधेयक लाने का प्रस्ताव किया और इसलिए लोक सभा द्वारा पारित विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव किया। किन्तु कुछ सदस्यों ने विधेयक को वापस लिए जाने का विरोध किया और इसलिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।¹⁹⁵

विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना

सचिवालय द्वारा एक विधेयक पंजी रखी जाती है, जिसमें सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयकों को दर्ज किया जाता है। जब राज्य सभा में आरंभ होने वाले किसी विधेयक के बारे में विधेयक के विभिन्न चरणों से संबद्ध कोई भी प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उस विधेयक के संबंध में कोई और प्रस्ताव नहीं किया जाता और ऐसा विधेयक राज्य सभा में लंबित विधेयकों की पंजी से हटा दिया जाता है। संबद्ध प्रस्ताव निम्नलिखित हैं: विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए; विधेयक को प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को सौंपा जाए; विधेयक पर विचार किया जाए; विधेयक पर प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप से विचार किया जाए; विधेयक को (अथवा यथास्थिति संशोधित रूप में विधेयक को) पारित किया जाए।¹⁹⁶ यदि किसी विधेयक को वापस ले लिया जाता है¹⁹⁷ अथवा किसी विधेयक को पुरःस्थापन के बाद अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत आने के कारण धन विधेयक ठहराया जाता है,¹⁹⁸ तो भी सभा के समक्ष लंबित विधेयक को लंबित विधेयकों की पंजी से हटा दिया जाता है।

धन विधेयकों से इतर विधेयकों को लोक सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाया जाना

यदि धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित करके लोक सभा को भेजा गया हो और लोक सभा उसे संशोधन सहित राज्य सभा को लौटा दे तो वह सभा पटल पर रखा जाता है।¹⁹⁹ संशोधित विधेयक के पटल पर रखे जाने के बाद कोई भी मंत्री दो दिन की सूचना देने के बाद या सभापति की सहमति से बिना सूचना दिए प्रस्ताव कर सकता है कि संशोधनों पर विचार किया जाए।²⁰⁰ संशोधनों पर विचार किए जाने के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर इसे कार्यावलि में शामिल किया जाता है। यदि संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो सभापति उन संशोधनों को राज्य सभा के सामने ऐसी रीति से रखता है जिसे वह उन पर विचार के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझे।²⁰¹

लोक सभा द्वारा किए गए संशोधन की विषय-वस्तु से संगत कोई संशोधन उपस्थित किया जा सकता है किन्तु विधेयक में कोई और संशोधन तब तक उपस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लोक सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन से आनुषंगिक या वैकल्पिक न हो।²⁰²

यदि राज्य सभा लोक सभा द्वारा किए गए संशोधन से सहमत होती है तो वह लोक सभा को इस आशय का एक संदेश भेजती है, किन्तु यदि वह उस संशोधन से सहमत नहीं है या किसी और संशोधन या वैकल्पिक संशोधन का प्रस्ताव करती है, तो वह विधेयक को संशोधित रूप में लोक सभा को इस आशय के एक संदेश के साथ लौटा देती है।²⁰³

यदि विधेयक इस संदेश के साथ राज्य सभा को लौटा दिया जाता है कि लोक सभा उस संशोधन/उन संशोधनों पर आग्रह करती है जिनसे राज्य सभा असहमत है तो यह समझा जाता है कि संशोधन/संशोधनों के बारे में सभाएं अंतिम रूप से असहमत हो गई हैं।²⁰⁴ ऐसे मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर विचार-विमर्श और मतदान के प्रयोजनार्थ दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक आमंत्रित करने की अपनी मंशा को अधिसूचित कर सकता है।²⁰⁵ दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के तीन उदाहरण मिलते हैं अर्थात्, देहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959, बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 के संबंध में।²⁰⁶

लोक सभा में आरम्भ होने वाले तथा राज्य सभा को पारेषित विधेयक

जब लोक सभा में आरम्भ होने वाला कोई विधेयक लोक सभा द्वारा पारित करके राज्य सभा को पारेषित कर दिया जाता है तो लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक को अग्रेषित करने वाले संदेश की महासचिव द्वारा सूचना दी जाती है और विधेयक को सभा पटल पर रखा जाता है।²⁰⁷ तत्पश्चात् लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक की प्रतियां राज्य सभा के सदस्यों को परिचालित की जाती हैं। यदि संदेश ऐसे समय प्राप्त होता है जब राज्य सभा का सत्र न चल रहा हो तो संदेश को 'संसदीय समाचार' में प्रकाशित किया जाता है।

ऐसे किसी विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित किए जाने से पहले, लोक सभा विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कर सकती है और राज्य सभा से समिति में शामिल होने की संस्तुति कर सकती है। महासचिव द्वारा लोक सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश को सभा को सूचित किया जाता है। उसके बाद विधेयक का प्रभारी मंत्री उचित सूचना देने के बाद लोक सभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है और साथ ही यह भी निश्चित कर सकता है कि राज्य सभा का अमुक-अमुक सदस्य संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा।

लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक को सभा पटल पर रख दिए जाने के बाद संबंधित मंत्री कभी भी 'विधेयक पर विचार किया जाए' नामक प्रस्ताव को उपस्थित करने के अपने इरादे की सूचना दे सकता है।²⁰⁸ जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दे, इस प्रस्ताव को सूचना प्राप्त होने के दिन से दो दिन बाद की तिथि से पहले की कार्यावलि में शामिल नहीं किया जाता।²⁰⁹ इस संबंध में सामान्य प्रक्रिया यह है कि अत्यावश्यकता की स्थिति में जब भी कोई मंत्री यह चाहता है कि विधेयक पर दो दिन बाद की तिथि से पहले विचार किया जाए तो वह सभापति को एक पत्र लिखकर उनसे दो दिन की सूचना अवधि से छूट दिए जाने का अनुरोध करता है। सभापति प्रत्येक मामले पर गुणावगुण आधार पर विचार करके तदनुसार निर्देश देता है।²¹⁰

लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में असम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक, 1969 के संबंध में संदेश की सूचना 24 दिसम्बर, 1969 को दी गई थी और विधेयक पर उसके फौरन बाद नियम 123 के निलंबन हेतु एक प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकृत करके विचार हेतु रखा गया।²¹¹

जब 15 दिसम्बर, 1977 को, लोक सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 1977 को यथापारित रूप में कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाना था तो सदस्यों द्वारा इस आधार पर आपत्ति की गई कि दो दिन का नोटिस नहीं दिया गया है। उपसभापति ने टिप्पणी की कि ऐसा करना उचित है क्योंकि सभापति इस विधेयक को दो दिन से पहले की कार्यावलि में शामिल करने पर सहमत हो गए थे।²¹²

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986 जो 6 मई, 1986 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और जिस पर 8 मई, 1986 को विचार किया जाना था, पर विचार किए जाने के संबंध में जब आपत्ति की गई तब सभापति ने यह टिप्पणी की कि सूचना देने की अनिवार्यता समाप्त करने का उनको प्राधिकार है और उन्होंने कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसरण में ही ऐसा किया है।²¹³

15 दिसम्बर, 1961 को लोक सभा द्वारा यथापारित एक बहुत बड़े धन विधेयक—प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पर 16 दिसम्बर, 1987 को विचार किए जाने पर सदस्यों ने आपत्ति की क्योंकि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। उपसभापति ने टिप्पणी की कि भविष्य में जब कभी महत्वपूर्ण, विशेषकर उपर्युक्त प्रकार के विधेयक विचार किए जाने हेतु सूचीबद्ध किए जाने हों, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके उपबंधों को पूरा पढ़ने के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय मिले ताकि "सभा में होने वाली चर्चा सार्थक हो सके।"²¹⁴

जिस दिन प्रस्ताव को कार्यावलि में रखा जाता है, उस दिन मंत्री यह प्रस्ताव करता है कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए। उस दिन या उसके बाद किसी दिन जिसके लिए चर्चा स्थगित की जाए, विधेयक के सिद्धान्त और सामान्य उपबंधों पर चर्चा की जाती है किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं की जाती जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या करने के लिए आवश्यक हो।²¹⁵

यदि विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को पहले से न सौंपा गया हो तो कोई भी सदस्य इस स्तर पर इस संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए। यदि संशोधन स्वीकृत हो जाता है तो विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया माना जाता है और समिति में उसके संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए और प्रवर समिति को सौंपे गए किसी भी अन्य विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है।²¹⁶ लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए और उसके द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपे गए थे:

महापत्तन न्यास विधेयक, 1963; बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1968; चिट फंड विधेयक, 1982; पेटेंट्स (संशोधन) विधेयक, 1995; और व्यापार चिह्न विधेयक, 1995।

यदि यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाता है तो विधेयक पर खंडशः विचार किया जाता है। संशोधनों पर विचार करने और विधेयक पारित करने की प्रक्रिया वही है जो राज्य सभा में आरम्भ होने वाले विधेयकों के संबंध में नियमावली में दी गई है जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है।²¹⁷ यदि विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हो जाए तो लोक सभा को यह सूचित करते हुए सन्देश भेजा जाता है कि राज्य सभा ने विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।²¹⁸ यदि विधेयक संशोधनों के साथ पारित किया जाए तो विधेयक इस संदेश के साथ लोक सभा को लौटा दिया जाता है कि वह राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों (पूर्णतया आनुषंगिक और औपचारिक संशोधनों सहित) पर सहमति प्रदान करे।²¹⁹ राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों को, लोक सभा को संदेश के साथ लौटाए गए विधेयक की प्रति में समाविष्ट कर दिया जाता है। लोक सभा द्वारा यथापारित हाल ही के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक जिनमें राज्य सभा द्वारा संशोधन किया गया था, इस प्रकार हैं:

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1990; जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1990; प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990; मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000; उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000; और बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000।²²⁰

यदि लोक सभा राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन से असहमत हो या राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन को और संशोधनों के साथ स्वीकार करे या राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के स्थान पर और संशोधनों का प्रस्ताव करे तो विधेयक और अधिक संशोधित रूप में लोक सभा से प्राप्त होने पर राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।²²¹ उसके बाद कोई भी मंत्री, दो दिन की सूचना देकर अथवा सभापति की सहमति से सूचना दिए बिना ही, यह प्रस्ताव कर सकता है कि संशोधनों पर विचार किया जाए।²²²

यदि यह प्रस्ताव कि संशोधनों पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाता है तो सभापति संशोधनों को राज्य सभा के समक्ष ऐसी रीति से रखता है जिसे वह उन पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझे।²²³ लोक सभा द्वारा किए गए संशोधनों के विषय से संगत और संशोधन उपस्थित किए जा सकते हैं किन्तु विधेयक में कोई और संशोधन तब तक उपस्थित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह लोक सभा द्वारा किए गए संशोधन से आनुषंगिक या वैकल्पिक न हो।²²⁴ राज्य सभा, लोक सभा द्वारा मूल

रूप से पारित या लोक सभा द्वारा और अधिक संशोधित, जैसी भी स्थिति हो, विधेयक से सहमत हो सकती है, अथवा विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकती है कि वह उस संशोधन या संशोधनों का जिनसे लोक सभा असहमत है, आग्रह करती है।²²⁵ यदि बाद वाली स्थिति हो तो यह समझा जाता है कि संशोधनों के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हैं।²²⁶

जब लोक सभा में आरम्भ होने वाले तथा राज्य सभा को पहुंचाए गए किसी विधेयक के संबंध में राज्य सभा में उपस्थित किए गए निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो यह समझा जाता है कि विधेयक राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है: (1) विधेयक को राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए; (2) विधेयक पर विचार किया जाए; (3) राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए; अथवा (4) विधेयक को (अथवा यथास्थिति) अथवा यथासंशोधित विधेयक को पारित किया जाए।²²⁷ एक बार ऐसा हुआ था जब लोक सभा द्वारा पारित विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। 5 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा द्वारा यथापारित बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसी प्रकार 18 मार्च, 2002 को लोक सभा द्वारा यथापारित आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 राज्य सभा द्वारा 21 मार्च, 2002 को अस्वीकृत कर दिया गया। इन दोनों ही मामलों में इस प्रयोजन के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी।²²⁸

विधेयकों को स्वीकृति

जब कोई विधेयक संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और वह राज्य सभा के पास है तो तत्पश्चात् उसकी एक प्रति पर सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।²²⁹ सभापति द्वारा, या उपसभापति द्वारा, यदि वह सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, दो सहमति प्रतियां इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ पृष्ठांकित की जाती हैं कि विधेयक को संसद् के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् एक प्रति सचिवालय में प्राप्त की जाती है और दूसरी प्रति विधि और न्याय मंत्रालय में रहने दी जाती है जिसके माध्यम से विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सभापति के नई दिल्ली में अनुपस्थित होने पर, अविलम्बनीयता की स्थिति में महासचिव सभापति की ओर से (या उपसभापति की ओर से जब वह सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों) विधेयक का प्रमाणीकरण कर सकेगा।²³⁰

सभापति की अनुपस्थिति में महासचिव द्वारा प्रमाणीकृत नवीनतम विधेयक मणिपुर पंचायती राज विधेयक, 1994 था, जिसे 12 अप्रैल, 1994 को प्रमाणीकृत किया गया था; लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक, 1961; प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 1961 और योग उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) विधेयक, 1977 को भी महासचिव द्वारा उपसभापति की ओर से प्रमाणीकृत किया गया था।

जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास या तो यह घोषणा करने का विकल्प है कि (क) वह विधेयक को स्वीकृति देता है, या (ख) कि वह उसकी स्वीकृति रोकता है²³¹ और (ग) वह सिवाय धन विधेयक के, किसी भी विधेयक को सभा को अपनी इस सिफारिश के साथ लौटा सकता है कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किसी ऐसे संशोधन पर विचार करें जिसका वह अपने संदेश में उल्लेख करे।²³² प्रथम स्थिति में विधेयक कानून बन जाता है। दूसरी स्थिति में, विधेयक को वीटो (अस्वीकार) कर दिया जाता है और वह

कानून नहीं बन सकता है। तीसरी स्थिति में, यदि विधेयक संसद् के सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा।²³³

(क) विधेयक को स्वीकृति

राष्ट्रपति द्वारा इस रूप में स्वीकृति दी जाती है:

“मैं इस विधेयक को स्वीकृति देता हूँ/देती हूँ... राष्ट्रपति।”

यदि किसी कारण से, राष्ट्रपति के प्रकार्यों का उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वहन किया जा रहा है या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल रहा है या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रकार्यों का निर्वहन कर रहा है, तो पृष्ठांकन में “राष्ट्रपति” शब्द में आवश्यक परिवर्तन कर दिये जाते हैं।

1961 में तेईस विधेयकों, 1965 में एक विधेयक और 1982 में तीन विधेयकों पर उपसभापति द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे और उन्हें उपराष्ट्रपति द्वारा, जोकि उस समय राष्ट्रपति के प्रकार्यों का निर्वहन कर रहे थे, स्वीकृति दी गयी थी। 1977 में आठ विधेयकों पर उपसभापति द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे और उस समय राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाल रहे उपराष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वीकृति दी गयी थी।²³⁴ 1969 में छह विधेयकों पर उपसभापति द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे और उन्हें श्री एम० हिदायतुल्लाह (भारत के मुख्य न्यायाधीश) द्वारा स्वीकृति दी गयी थी जो उस समय राष्ट्रपति के प्रकार्यों का निर्वहन कर रहे थे।

(ख) स्वीकृति रोक लेना

राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित रूप में स्वीकृति रोक ली जाती है:

“मैं इस विधेयक पर स्वीकृति रोकता हूँ.... राष्ट्रपति।”

संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संसद् सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1991 सचिवालय द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया था। उक्त विधेयक को राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति रोके जाने के पृष्ठांकन सहित सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से इस सचिवालय को लौटाया गया।²³⁵ स्वीकृति पर रोक लगाने के संबंध में उपसभापति ने तदनुसार राज्य सभा को सूचित किया।²³⁶

लोक सभा में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग विधेयक, 1954 उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के निरसन के कारण लोक सभा को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने से पहले वापस कर दिया गया था। अध्यक्ष ने इस मामले में लोक सभा में एक उद्घोषणा की।²³⁷

किसी गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाया जाना

जब कभी संसद् के सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटाया जाता है, तब पुनर्विचार के लिए विनिर्दिष्ट किसी प्रश्न या किन्हीं प्रश्नों को सभापति द्वारा सदन के समक्ष उपस्थित किया जाना अपेक्षित है और उस/उन पर उस रीति से चर्चा की जाती है और मत लिया जाता है जिससे किसी विधेयक के संशोधनों को लिया जाता है, अथवा ऐसी कोई अन्य रीति भी अपनायी जा सकती है जिसे सभापति सभा द्वारा उस/उन पर विचार किये जाने के लिए सबसे अधिक -वही-सुविधाजनक समझे।²³⁸

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 को, जिस रूप में वह संसद् के सदनों द्वारा पारित किया गया था, 19 दिसम्बर, 1986 को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को, विशेष रूप से इसके खण्ड 16 पर पुनर्विचार किये जाने के लिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र और राज्य सरकारों अथवा

उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को कतिपय आधार पर डाक-वस्तुओं को बीच में ही रोक लेने अथवा उन्हें निरुद्ध किये जाने की शक्ति दिए जाने का प्रावधान था, 7 जनवरी, 1990 को राज्य सभा को लौटा दिया। चूंकि उस समय सभा का सत्र नहीं चल रहा था, अतः राष्ट्रपति का यह संदेश संसदीय-समाचार में प्रकाशित किया गया।²³⁹ इस विधेयक को, राष्ट्रपति द्वारा लौटाए गए रूप में, सभा के पुनः समवेत होने पर महासचिव द्वारा 12 मार्च, 1990 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। राष्ट्रपति के संदेश की एक प्रति लोक सभा सचिवालय को भी सूचना के लिए भेजी गई थी।²⁴⁰ तब से यह विधेयक सभा पटल पर रखा हुआ है और उस पर पुनर्विचार नहीं हुआ है।

इस संदर्भ में, एक प्रश्न उठा कि क्या यह विधेयक नौवीं लोक सभा के भंग हो जाने से व्यपगत हो गया है जबकि यह विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए लम्बित था और बाद में राष्ट्रपति द्वारा इसे राज्य सभा को लौटा दिया गया था और तभी से यह राज्य सभा में विचारार्थ लम्बित है। इसलिए इस मामले को विधि और न्याय मंत्रालय के पास भेजा गया, जिनका मत इस प्रकार था:

उन परिस्थितियों को संविधान के अनुच्छेद 107 के खण्ड (5) में निर्दिष्ट किया गया है, जिनमें कोई विधेयक व्यपगत हो जाता है। अनुच्छेद 107 ऐसे विधेयक से संबद्ध नहीं है, जिसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तदनुसार, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे जाने के बाद, यदि लोक सभा भंग भी हो जाती है, तो भी राष्ट्रपति के पास विचार के लिए लम्बित पड़ा विधेयक व्यपगत नहीं होता। इस प्रकार का समर्थन डी० डी० बसु द्वारा अपनी पुस्तक 'कमेंट्री ऑन द कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' (वालयूम-जी, 1983, पृष्ठ 38) में भी पुरुषोत्तमन नम्बूद्री **बनाम** केरल राज्य के मुकदमे में (1962 सप्लीमेंटरी) (1) एस०सी०आर० 753 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय से उद्धृत करते हुए किया गया है। एम० एन० कौल और एस० एल० शकधर द्वारा भी प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीज़र ऑफ पार्लियामेंट, नामक पुस्तक में (1991) पृ० 176 में इस विचार का समर्थन किया गया है। अतः लोक सभा के भंग होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित कोई विधेयक व्यपगत नहीं होता।

राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अनुसरण में संसद् के सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटाये जाने पर, संसद् के दोनों सदनों द्वारा उस विधेयक पर नए सिरे से विचार किया जाना अपेक्षित होता है। जैसाकि राज्य सभा सचिवालय की टिप्पणी में बताया गया है, भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 राज्य सभा में अभी लम्बित है। यदि अनुच्छेद 107 के खण्ड (4) में अंतर्विष्ट सिद्धांत को भी लागू किया जाए, जिसमें यह व्यवस्था है कि राज्य सभा में लम्बित कोई ऐसा विधेयक जिसे लोक सभा में पारित न किया हो, लोक सभा के भंग होने पर भी व्यपगत नहीं होगा, तो भी इस विधेयक को व्यपगत हुआ नहीं कहा जा सकता। इसलिए, किसी भी प्रकार से, विचाराधीन विधेयक, जो अब राज्य सभा में लम्बित है, को नौवीं लोक सभा के भंग हो जाने से व्यपगत हुआ नहीं कहा जा सकता।²⁴¹

तथापि, संविधान के अनुच्छेद 368 के अर्थान्तर्गत, संविधान में संशोधन चाहने वाले किसी विधेयक के मामले में, राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित विशेष बहुमत द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रहता।²⁴²

अनुच्छेद 111 में, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अपनी सहमति दिए जाने या सहमति रोके जाने अथवा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने के बारे में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब किसी विधेयक को सदनों द्वारा पारित किए जाने के दिन ही राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। उदाहरण के लिए, संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 राज्य सभा द्वारा अंतिम रूप से 12 मार्च, 1991 को पारित किया गया था और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति उसी दिन प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार, पंजाब में आम चुनाव रद्द किए जाने संबंधी विधेयक, 1991 भी राज्य सभा द्वारा अंतिम रूप से 17 सितम्बर, 1991 को पारित किया गया था और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति उसी दिन प्राप्त हो गई थी।

विधेयक की स्वीकृति-प्राप्त प्रति को महासचिव द्वारा सभा पटल पर रखा जाता है। जिन विधेयकों के संबंध में लोक सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है, उन विधेयकों की प्रति को जिस रूप में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई है, लोक सभा के महासचिव द्वारा अभिप्रमाणित करके राज्य सभा सचिवालय को सभा पटल पर रखे जाने के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार जब किसी विधेयक पर राज्य सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है, तब उस विधेयक की राज्य सभा के महासचिव द्वारा अभिप्रमाणित प्रति लोक सभा सचिवालय को भेजी जाती है।

धन विधेयक और वित्तीय विधेयक

संविधान के अंतर्गत, लोक वित्त से संबंधित विधेयकों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

- (क) वास्तविक रूप से धन विधेयक अर्थात् वे विधेयक जो केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिये गये सभी खण्डों अथवा किसी भी एक खण्ड में उल्लिखित मामलों से संबंधित हैं।
- (ख) अन्य वित्तीय विधेयक जो अनुच्छेद 110 के खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले से तथा अन्य मामलों से भी संबंधित हैं।
- (ग) ऐसे विधेयक जो उपर्युक्त श्रेणी (क) और (ख) के अंतर्गत नहीं आते; परन्तु जिनमें भारत की संचित निधि में से किया जाने वाला व्यय अंतर्गस्त है।

धन विधेयकों को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अंतर्गत आने वाले अन्य वित्तीय विधेयकों को अनुच्छेद 117 के क्रमशः खंड (1) और (3) में शामिल किया गया है।

धन विधेयक

धन विधेयक की परिभाषा

किसी भी ऐसे विधेयक को धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी एक विषय से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात् (क) किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन; (ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन; (ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा; ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना; (घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग; (ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना; (च) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मद्धे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा; या (छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय का कोई आनुषंगिक विषय¹²⁴³ तदनुसार, यदि किसी विधेयक में उपखंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट सभी मामले या उनमें से कोई भी मामला शामिल है और यदि उसमें अन्य मामले भी शामिल हों, तो इस बात का निर्णय करना कि क्या ऐसा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या उक्त अन्य मामले उपखंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के आनुषंगिक मामले हैं। तथापि, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धन संबंधी शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीस या की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण भी धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है¹²⁴⁴

धन विधेयक का प्रमाणीकरण

यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होता है।²⁴⁵ जब कोई धन विधेयक राज्य सभा को पारेषित किया जाता है तब ऐसे प्रत्येक धन विधेयक पर लोक सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाणपत्र पृष्ठांकित किया जाता है कि वह एक धन विधेयक है।²⁴⁶ यह प्रमाणपत्र इस रूप में होता है: “मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थान्तर्गत एक ‘धन विधेयक’ है।”

जब सभा द्वारा भारतीय टैरिफ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1952 को, लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार के लिये लिया ही जाने वाला था, उस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किये जाने के संबंध में प्रश्न उठाया गया। सदस्य ने यह तर्क दिया कि इस बात को राज्य सभा (कार्जिसिल ऑफ स्टेट्स) के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये कि यह लोक सभा अध्यक्ष को सिफारिश करे कि कोई विशिष्ट विधेयक, जो उसके विचारार्थ आया है, अनुच्छेद 110 के अर्थ के दायरे में धन विधेयक नहीं है। सदन के नेता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार प्रकट किया कि “हम इस सभा में ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जिससे इस प्रश्न पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय पूर्णतया निरर्थक हो जाए। जब हमें लोक सभा अध्यक्ष से इस संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है तो उस स्थिति में राज्य सभा को इस प्रश्न पर पुनः विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।” सभापति ने यह कहा, “यदि आप यह कहने लगे कि यह केवल धन विधेयक नहीं है, तो इस शब्द में ‘केवल’ कुछ भी नहीं है। प्रत्येक बात का अन्य सभी बातों पर प्रभाव पड़ता है। आप यह कभी नहीं कह सकते हैं कि इसके वित्तीय अंश का राजनीतिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य पहलुओं से कोई संबंध नहीं है।” उन्होंने यह कहते हुए चर्चा को समाप्त कर दिया कि यह एक धन विधेयक है और सभा को इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या यह उस पर कोई सिफारिशें देने के लिये तैयार है। सभा को ऐसा करने की छूट है।²⁴⁷

1953 में, भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1952 का धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किये जाने के प्रश्न पर दोनों सभाओं के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। सभापति ने इस संबंध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये:

अनुच्छेद 110(1) में बताया गया है कि धन विधेयक क्या है। अनुच्छेद 110(2) में बताया गया है कि कौन-सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। अनुच्छेद 110(3) में कहा गया है कि यदि इस संबंध में कोई आशंका उत्पन्न होती है तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यह आशंका भिन्न-भिन्न ढंग से उत्पन्न हो सकती है: प्रथमतः, लोक सभा में जब किसी विधेयक पर कार्यवाही आरंभ की जाती है तो यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि “क्या यह एक धन विधेयक है?” या जब किसी विधेयक पर कार्जिसिल ऑफ स्टेट्स में कार्यवाही आरंभ की जाती है तो यह आशंका व्यक्त की जा सकती है कि क्या यह एक धन विधेयक है और तत्पश्चात् यह मामला लोक सभा के अध्यक्ष के पास भेजा होगा या यह आशंका लोक सभा अध्यक्ष के मन में ही उत्पन्न हो सकती है, जैसाकि अब हमें यह सूचित किया जाता है कि लोक सभा अध्यक्ष के मन में इस विधेयक को लेकर आशंका उत्पन्न हो गयी थी और तत्पश्चात् उन्होंने यह निर्णय किया कि यह एक धन विधेयक है। यह प्रश्न अनुच्छेद 110(4) द्वारा शासित होता है। जब कोई विधेयक राज्य सभा को पारेषित किया जाता है तब ये लोक सभा अध्यक्ष के एक प्रमाणपत्र के साथ पारेषित किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि यह एक धन विधेयक है। इस विशिष्ट मामले में हम सामान्यतया ब्रिटेन की संसद् (ब्रिटिश पार्लियामेंट) की प्रक्रिया द्वारा शासित होते हैं। वहां पर संसद् अधिनियम की धारा (3) में यह उल्लेख किया गया है कि जब कोई धन विधेयक “हाउस ऑफ लार्ड्स” को भेजा जाता है, उसे स्पीकर (हाउस ऑफ कामन्स के अध्यक्ष) के इस प्रमाणपत्र के साथ पृष्ठांकित किया जायेगा कि यह एक धन विधेयक है। ऐसा प्रमाणपत्र सभी प्रयोजनों हेतु निर्णायक होता है और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी। वहां पर इस तरह की प्रक्रिया है जिससे हम शासित होते हैं।²⁴⁸

इस मामले का अंततोगत्वा उस समय समाधान हो गया था जब प्रधान मंत्री ने यह विचार व्यक्त किया था कि:

...यह घोषणा करने में कि कोई विधेयक धन विधेयक है लोक सभा अध्यक्ष का प्राधिकार ही अंतिम है। जब लोक सभा अध्यक्ष इस आशय का प्रमाणपत्र दे देते हैं, तो उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोक सभा अध्यक्ष इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि वह इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए या अपना प्रमाणपत्र देने के लिए किसी से परामर्श करे।²⁴⁹

धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

किसी धन विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है।²⁵⁰ जब कोई धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया जाता है तो उसके पश्चात् उसे राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाता है। लोक सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को भेजा गया कोई धन विधेयक, यथाशीघ्र, महासचिव द्वारा सभा पटल पर रखा जाता है।²⁵¹ यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये, स्वीकृत होने के बाद विधेयक को खण्डशः विचार के लिए लिया जाता है। इस अवस्था पर विधेयक में वे संशोधन उपस्थित किये जाते हैं जिनकी सिफारिश लोक सभा को जानी हो।²⁵² विधेयक पर खण्डशः विचार किये जाने और संशोधनों का, यदि कोई हों, निबटारा किये जाने के बाद विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि विधेयक को लौटाया जाये।²⁵³ जब यह प्रस्ताव कि विधेयक को लौटाया जाये, स्वीकृत हो जाये तो उस स्थिति में जब राज्य सभा कोई सिफारिशें न करे तो इस संदेश के साथ कि राज्य सभा को इस संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं और ऐसी स्थिति में जब राज्य सभा किन्हीं संशोधनों की सिफारिश करती है तो लोक सभा को इस संदेश के साथ सूचित करते हुए कि अमुक संशोधनों की सिफारिश की गई है, विधेयक लोक सभा को लौटा दिया जाता है।²⁵⁴ विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को अपनी सिफारिशों सहित, यदि कोई हों, लौटाया जाना अपेक्षित है।²⁵⁵

ऐसा होने पर लोक सभा, राज्य सभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।²⁵⁶ यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गए और लोक सभा द्वारा स्वीकार किये गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाता है।²⁵⁷ यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाता है जिसमें वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।²⁵⁸

ऐसे कई दृष्टान्त रहे हैं जब धन विधेयकों को राज्य सभा द्वारा अपनी सिफारिशों सहित लौटाया गया था और राज्य सभा द्वारा की गयी सिफारिशों को लोक सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ऐसे दृष्टान्त निम्नलिखित हैं:

त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1956 के मामले में राज्य सभा ने विधेयक के संबंध में एक अध्यादेश का निरसन करने वाले एक खण्ड को जोड़े जाने की सिफारिश की थी।²⁵⁹

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक, 1957 और संपदा-शुल्क तथा रेल यात्री किराया शुल्क (वितरण) विधेयक, 1957 के मामले में राज्य सभा ने वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करने के लिये इन विधेयकों के लम्बे शीर्षक में एक संशोधन किये जाने की सिफारिश की थी।²⁶⁰

आयकर विधेयक, 1961 में, राज्य सभा ने विधेयक के खण्ड 13, 88 और 288 में संशोधन किये जाने की सिफारिश की थी।²⁶¹

विनियोग (रेल) विधेयक, 1985; विनियोग (रेल) (संख्यांक 2) विधेयक, 1985; विनियोग विधेयक, 1985; विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1985; और पंजाब विनियोग विधेयक, 1985 में, राज्य सभा ने गणतन्त्र वर्ष में एक संशोधन, अर्थात् पैतीसवें को छत्तीसवें करने के संबंध में सिफारिश की थी।²⁶²

ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं जब राज्य सभा ने धन विधेयकों को अपनी सिफारिशों के साथ लौटा दिया था और लोक सभा ने राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। दो उदाहरण निम्नलिखित हैं:

राज्य सभा ने वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1977 के पांच खण्डों और विधेयक की अनुसूची में संशोधन किये जाने की सिफारिश की थी।²⁶³

राज्य सभा ने वित्त विधेयक, 1978 के खण्ड 36 में संशोधन किये जाने की सिफारिश की थी।²⁶⁴

लोक सभा से, राज्य सभा द्वारा संस्तुत संशोधनों के संबंध में उसके निर्णय की सूचना देने वाला एक संदेश प्राप्त होता है और इस संदेश की सूचना सभा को दी जाती है।²⁶⁵

यदि राज्य सभा विधेयक को निर्धारित चौदह दिन की अवधि के भीतर नहीं लौटाती है तो इस अवधि की समाप्ति पर इस विधेयक को लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया समझा जाता है।²⁶⁶ चौदह दिन की अवधि की गणना राज्य सभा सचिवालय में विधेयक प्राप्त होने की तिथि से की जाती है, राज्य सभा में इसके सभापटल पर रखे जाने की तिथि से नहीं।²⁶⁷ चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 संविधान के निर्वाचन पर लागू होता है।²⁶⁸ इसलिए उक्त चौदह दिन की अवधि की गणना इस अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार की जाती है। अतः राज्य सभा द्वारा धन विधेयक के प्राप्त होने की तिथि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आम तौर पर लोक सभा द्वारा पारित विधेयक को उस सदन द्वारा यथाशीघ्र राज्य सभा को भेज दिया जाता है बशर्ते कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए।

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1955, जोकि एक धन विधेयक था, को लोक सभा द्वारा उस समय पारित किया गया था जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था, किंतु इसका बाद में समवेत होना निश्चित था। अध्यक्ष ने लोक सभा को सूचित किया कि कानूनी व्याख्या के अनुसार, जब राज्य सभा का सत्र न चल रहा हो, तब भी विधेयक को राज्य सभा के सचिव को भेजा जा सकता है और ऐसा माना जाएगा कि विधेयक राज्य सभा को प्राप्त हो गया है। तथापि, उन्होंने लोक सभा के सचिव को निदेश दिया था कि विधेयक को राज्य सभा को तत्काल न भेजकर थोड़े समय बाद भेजा जाए जिससे कि चौदह दिन की अवधि राज्य सभा का सत्र प्रारम्भ होने से पहले ही समाप्त न हो जाये। इससे राज्य सभा को विधेयक पर चर्चा करने का अवसर मिल सकेगा। तदनुसार, लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1955 को पारित यह विधेयक 16 अगस्त, 1955 को राज्य सभा के पुनः समवेत होने पर उसे भेजा गया था।²⁶⁹

इसी प्रकार त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1956, जोकि एक धन विधेयक था, को लोक सभा द्वारा जब 29 मार्च, 1956 को पारित किया गया था तो राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था और इसे राज्य सभा के 23 अप्रैल, 1956 को पुनः समवेत होने पर ही उसे भेजा गया था।²⁷⁰

ऐसे कई उदाहरण हैं जब राज्य सभा धन विधेयकों को निर्धारित अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटा सकी और इसलिए संबंधित विधेयकों को इस अवधि के बाद संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया गया था।

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 और 5 विधेयक, 1978 लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में 21 दिसम्बर, 1978 को सचिवालय में प्राप्त हुए थे और विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1978, 22 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ था। राज्य सभा 26 दिसम्बर, 1978 को विधेयकों पर विचार किए बिना ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। अतः प्रथम दो विधेयकों को 5 जनवरी, 1979 को और तीसरे विधेयक को 6 जनवरी, 1979 को पारित किया गया मान लिया गया था।

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1994; विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 1994; और विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 1994 लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में सचिवालय में क्रमशः 19, 20 और 22 दिसम्बर, 1994 को प्राप्त हुए थे। विधेयकों पर 23 दिसम्बर, 1994 को राज्य सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले विचार नहीं किया जा सका। इसलिए इन तिथियों से 14 दिन की अवधि बीत जाने के बाद इन विधेयकों को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया मान लिया गया था।

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1995 लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में 7 दिसम्बर, 1995 को सचिवालय में प्राप्त हुआ था। सभा के लगातार बार-बार स्थगित होने के कारण इस विधेयक पर 21 दिसम्बर, 1995 तक विचार नहीं किया जा सका। तथापि, विधेयक को 22 दिसम्बर, 1995 की कार्यावलि में भी नहीं रखा गया था जबकि सभा अनियत तिथि के लिए स्थगित कर दी गई थी। अतः यह ऐसा एकमात्र उदाहरण है जबकि राज्य सभा का सत्र चल रहा था और सभा द्वारा धन विधेयक को लौटने के लिए निर्धारित 14 दिन की अवधि बीत गई।

वर्ष 1996-97 के लिए केन्द्रीय बजट, उत्तर प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर बजट से संबंधित दस विधेयक लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में सचिवालय को 12 मार्च, 1996 को प्राप्त हुए थे, उनमें से छह विधेयकों से संबंधित संदेशों की सूचना सभा को उसी दिन देकर उन्हें सभा पटल पर रख दिया गया।²⁷¹ अन्य चार विधेयकों से संबंधित संदेशों को 'संसदीय समाचार' के माध्यम से परिचालित किया गया²⁷² क्योंकि सभा निर्धारित समय से पहले उसी दिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई थी इसलिए इन विधेयकों को 27 मार्च, 1996 को संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया गया।

विनियोग विधेयक (सं. 2) विधेयक, 1998²⁷³ (12 जून, 1998 को सचिवालय में प्राप्त हुआ) पर राज्य सभा द्वारा विचार नहीं किया जा सका क्योंकि सभा उसी दिन 3 जुलाई, 1998 तक स्थगित हो गई। विनियोग (रेल) लेखानुदान, 1999; विनियोग (रेल) सं० 2 विधेयक, 1999 और विनियोग (रेल) विधेयक, 1999²⁷⁴ (राज्य सभा में 15 मार्च, 1999 को प्राप्त हुआ); विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1999 विनियोग विधेयक, 1999 और विनियोग (सं० 2) विधेयक 1999²⁷⁵ (18 मार्च, 1999 को प्राप्त हुआ) पर भी विचार नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सभा 19 मार्च, 1999 को 12 अप्रैल, 1999 तक के लिए स्थगित हो गई। इसी तरह, सूती वस्त्र उपकर (निरसन) विधेयक, 2000²⁷⁶ तथा प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक, 2000²⁷⁷ लोक सभा द्वारा पारित रूप में क्रमशः 8 और 11 मई, 2000 को प्राप्त हुए थे। विधेयकों पर 17 मई, 2000 को राज्य सभा के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने तक विचार नहीं किया जा सका। इन सभी विधेयकों को उन तारीखों से 14 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सभाओं द्वारा पारित हुआ समझा गया। विनियोग (सं० 4) विधेयक, 2002 तथा विनियोग (सं० 5) विधेयक, 2002 और विनियोग(रेल) सं० 3 विधेयक, 2002^{277a} और विनियोग (रेल) सं० 4 विधेयक, 2002^{277b} लोक सभा द्वारा पारित रूप में क्रमशः 1 और 12 अगस्त, 2002 को प्राप्त हुए थे। इन विधेयकों को भी राज्य सभा के 12 अगस्त, 2002 को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने के कारण विचारार्थ नहीं लिया जा सका था।

धन विधेयक के पारित होने के बाद लोक सभा सचिवालय द्वारा विधेयक पर अध्यक्ष के इस पृष्ठांकन के प्रमाणपत्र के साथ यह कहते हुए कि यह (भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थान्तर्गत) एक धन विधेयक है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है²⁷⁸ जिस धन विधेयक को पारित हुआ मान लिया गया हो, उसके संबंध में उक्त प्रमाणपत्र के अलावा यह पृष्ठांकन भी किया जाता है कि संबंधित विधेयक को "भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 के खण्ड (5) के अंतर्गत संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया गया है"²⁷⁹ तथापि, किसी ऐसे राज्य से संबंधित धन विधेयक के बारे में, जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो, अनुच्छेद 110 के सन्दर्भ को अध्यक्ष के प्रमाणपत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है"²⁸⁰।

धन विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता।

आयकर विधेयक, 1961 को लोक सभा की प्रवर समिति को सौंपा गया था। राज्य सभा में जब इस संबंध में प्रश्न पूछा गया तो सभापति द्वारा स्पष्ट किया गया कि केवल वित्त विधेयकों को संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है, धन विधेयकों को नहीं। चूंकि अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया है कि यह एक धन विधेयक है, अतः इसे संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता²⁸⁰।

धन विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने पर आपत्ति

राज्य सभा में कोई विधेयक पुरःस्थापित किए जाने पर या उसके पश्चात् किसी प्रक्रम में, यदि यह आपत्ति की जाती है कि विधेयक अनुच्छेद 110 के अर्थान्तर्गत एक धन विधेयक है और राज्य सभा में इस पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए तो सभापति, यदि वह आपत्ति को वैध ठहराए, निदेश देता है कि इस विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही समाप्त कर दी जाए।²⁸¹ यदि सभापति को आपत्ति की वैधता के संबंध में कोई सन्देह हो तो उसे इस मामले को लोक सभा अध्यक्ष को सौंपना होता है और संविधान के अनुच्छेद 110 के खण्ड (3) के अनुसार इस प्रश्न पर उसका निर्णय अन्तिम होता है।²⁸²

जब एक सदस्य ने पेंशन विधेयक, 1977, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी और अन्य लाभ प्रदान किए जाने का उपबंध किया गया था, को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति मांगी तो वित्त राज्य मंत्री ने इस आधार पर उस प्रस्ताव का विरोध किया कि उक्त विधेयक एक धन विधेयक है। कुछ चर्चा करने के बाद उक्त प्रस्ताव पर निर्णय को आगामी सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया।²⁸³ आगामी सत्र में उस प्रस्ताव पर पुनः चर्चा आरम्भ होने पर उपसभाध्यक्ष ने कहा कि चूंकि यह मामला सन्देहास्पद है, इसलिए इस विधेयक को उस पर निर्णय लिए जाने के लिए नियम 186(8) के अन्तर्गत अध्यक्ष को सौंप दिया जाना चाहिए।²⁸⁴ तदनुसार, उसे अध्यक्ष को सौंप दिया गया था।²⁸⁵ अध्यक्ष ने यह कहा कि उक्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110(1)(छ) के साथ पठित अनुच्छेद 110(1)(ड) के दायरे में आता है और इसलिए यह एक धन विधेयक है। उपसभापति ने तदनुसार अध्यक्ष का निर्णय घोषित कर दिया और यह व्यवस्था दी कि उक्त विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।²⁸⁶

वित्तीय विधेयक

अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इन्हें मौटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है—(1) ऐसे विधेयक जो अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करते हैं किन्तु उनमें केवल यही विषय शामिल नहीं होते हैं बल्कि इनके अलावा अन्य विषय भी शामिल होते हैं, अर्थात् ऐसा विधेयक जिसमें कराधान का खंड विनिर्दिष्ट तो किया गया है किन्तु वह केवल कराधान से ही संबंधित नहीं होता है। ऐसे विधेयक अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अन्तर्गत आते हैं; (2) साधारण विधेयक जिन्हें अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा। ऐसे विधेयक अनुच्छेद 117 के खंड (3) के अन्तर्गत आते हैं; संदर्भ की सुविधा के लिए पहले वाले विधेयकों को श्रेणी 'क' के वित्त विधेयक और बाद वाले विधेयकों को श्रेणी 'ख' के वित्त विधेयक कहा जा सकता है।

श्रेणी 'क' के वित्तीय विधेयक

ऐसे विधेयकों की दो बातें धन विधेयकों के समान होती हैं, अर्थात् (i) इन्हें राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता और (ii) इन्हें तब तक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश न की गई हो।²⁸⁷ किन्तु, ये धन विधेयक नहीं हैं, इसलिए अनुच्छेद 109 के खण्ड (2) से (5) तक के उपबंध इन पर लागू नहीं होते और इसलिए इन विधेयकों को अस्वीकृत करने अथवा उनमें संशोधन करने का राज्य सभा को उसी तरह पूरा अधिकार होता है जैसाकि उसे गैर-वित्तीय विधेयकों के मामले में होता है। इन विधेयकों को साधारण विधेयकों की तरह ही राज्य सभा में पारित किया जाना होता है और ऐसे किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच अन्तिम रूप से असहमति होने पर अनुच्छेद 108 में विनिर्दिष्ट एक संयुक्त बैठक बुलाए जाने के उपबंध का सहारा लिया जाता है।

अनुच्छेद 117(1) के अन्तर्गत, अनुच्छेद 110(1)(क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला कोई भी संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। किन्तु किसी कर को घटाने या उसका उत्सादन करने हेतु कोई संशोधन किए जाने के लिए ऐसी सिफारिश अपेक्षित नहीं है।²⁸⁸

एक सदस्य ने वित्त अधिनियम, 1961 के एक खंड में संशोधन के प्रस्ताव की अनुमति मांगी ताकि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी के संबंध में प्राप्त छूट को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में भी लागू किया जा सके। वित्त मंत्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) ने बताया कि इस संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इस अर्थ में इसकी शक्ति से बाहर है कि इस संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व-सहमति लेना आवश्यक होता है। इससे पहले कि संशोधन पर मत लिया जाता, एक सदस्य ने इस मुद्दे पर उपसभापति का विचार जानना चाहा। उपसभापति ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है। तथापि, वह संशोधन अस्वीकृत हो गया।²⁸⁹ 1 मई, 1961 को उपसभापति ने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने यह कहा था कि संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है तब उनके ध्यान में अनुच्छेद 117(1) था। उन्होंने अपनी राय में संशोधन करते हुए कहा कि अनुच्छेद 274(1) के अन्तर्गत किसी ऐसे संशोधन के प्रस्ताव के लिए, जो किसी ऐसे कर या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध हैं, में परिवर्तन करता है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अपेक्षित है। यह कहा जा सकता है कि जिस आयकर में परिवर्तन करने के लिए विशिष्ट संशोधन की अनुमति मांगी गई थी, वह ऐसा कर है जिसमें राज्य हितबद्ध हैं क्योंकि उसके शुद्ध आगम राज्यों को बांट दिए जाते हैं। इसीलिए ऐसे संशोधन के लिए अनुच्छेद 274(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित है।²⁹⁰

श्रेणी 'ख' के वित्तीय विधेयक

किसी भी साधारण विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसा (ऐसे) उपबंध समाविष्ट हो सकता है (सकते हैं) जिसके (जिनके) पारित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, उदाहरण के लिए, अधिकारियों या अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना आदि, ऐसे विधेयक में एक साधारण विधेयक के सभी घटक होते हैं अर्थात् उसे किसी भी सदन में प्रारम्भ किया जा सकता है और राज्य सभा को उसे अस्वीकृत करने या उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार होता है। किन्तु उसमें विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे वित्तीय उपबंध की दृष्टि से जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त है, उसे किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति ने सिफारिश न की हो।²⁹¹

अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत, लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक के संबंध में राज्य सभा के लिए अलग से राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करनी होती है।

लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1980 पर विचार किए जाने से पहले, राज्य सभा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने हेतु अलग से राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के संबंध में एक औचित्य प्रश्न उठाया गया था। उपसभापति ने सूचित किया कि मंत्री द्वारा महासचिव को संबोधित एक पत्र में उस सिफारिश के संबंध में बताया गया था और यह टिप्पणी की कि सम्बद्ध मंत्री से प्राप्त पत्र इस बात का पर्याप्त सबूत है कि सिफारिश की गयी है।²⁹² इसी तरह का प्रश्न मंत्री द्वारा चाय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में विचार किये जाने का प्रस्ताव उपस्थित किये जाने के पश्चात् पुनः उठाया गया था। इस मामले में, "लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में" शब्द उस विधेयक के संबंध में सिफारिशों की सूचना देने वाले पत्र में छोड़ दिये गये थे। उपसभापति ने यह व्यवस्था दी थी कि यदि विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, तो पत्र में तदनुसार कहा जाना चाहिये और यदि विधेयक राज्य सभा में प्रवर्तित हुआ हो तो उसकी सिफारिश की तारीख दी जानी चाहिये।²⁹³ चार विनियोग विधेयक, 1981 पर विचार के समय जिस तारीख को राष्ट्रपति ने सिफारिश की थी, उसे दर्शाने में चूक किये जाने के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था और तब उपसभापति ने अपनी पूर्ववर्ती व्यवस्था को दोहराते हुए यह विचार प्रकट किया था कि "राष्ट्रपति की ओर से दो सिफारिशें होनी चाहियें: एक जब विधेयक लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाता है, और दूसरे जब लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् उसे इस सभा के समक्ष लाया जाता है।...इसलिये, यह आवश्यक था कि जब राष्ट्रपति ने सिफारिश की थी तो वह तारीख दी जानी चाहिये।"²⁹⁴

इससे पहले भी एक मौके पर जब यह औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि विशेष विवाह विधेयक, 1952 पर अनुच्छेद 117(3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित है, तब सभापति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार प्रकट किया था कि सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रत्येक विधेयक, जिससे भारत की संचित निधि में से कुछ व्यय करना पड़ सकता है, अनुच्छेद 117 के खण्ड (3) के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आता है और उन्होंने अनुच्छेद 255 के उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा कि सभा के लिये यह उचित नहीं है कि इस अवस्था पर विधेयक पर विचार रोक दिया जाये।²⁹⁵

संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1991, जिसे लोक सभा द्वारा यथापारित रूप में, के मामले में राज्य सभा द्वारा उस पर विचार किये जाने हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के संबंध में "अनुमति देते समय उसकी संवीक्षा के अध्यधीन" सूचित किया गया।²⁹⁶ तथापि, आखिरकार विधेयक पर अनुमति रोक ली गयी थी।

जो वित्तीय विधेयक नहीं हैं

अनुच्छेद 117 का खण्ड (2), उस अनुच्छेद के खण्ड (1) का अपवाद है और जिसमें यह बताया गया है कि कौन-कौन से विधेयक खण्ड (1) के कार्यक्षेत्र के दायरे के अन्तर्गत वित्त विधेयक नहीं हैं। अतः कतिपय विशिष्ट विषयों के लिये उपबंध करने वाले विधेयक, अर्थात् जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीस की या की गयी सेवाओं के लिए फीस की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करने वाले अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करने वाले विधेयक, यद्यपि प्रथम दृष्टया उनमें वित्तीय स्वरूप के उपबंध अन्तर्विष्ट हों, संविधान के प्रयोजनों के लिये वित्तीय विधेयक नहीं हैं और इसलिये सभा में उनके पुरःस्थापन या पारण के संबंध में कोई विशेष घटक नहीं है। साधारण विधेयकों की तरह उन्हें किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है, उनके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश अपेक्षित नहीं है और उन्हें राज्य सभा द्वारा साधारण रीति से अस्वीकार किया जा सकता है या उनमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसे किसी विधेयक से भारत की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, तो ऐसे विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव उपस्थित करने से पूर्व अनुच्छेद 117(3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करनी पड़ेगी।

अनुच्छेद 117(1) के अधीन किसी विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने पर आपत्ति किया जाना

यदि किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हो, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड (1) में उल्लिखित किन्हीं विषयों का उपबन्ध किया गया हो, तो सभापति निदेश दे सकेगा कि इसे कार्यावलि में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।²⁹⁷

किसी विधेयक के पुरःस्थापन के लिये रखे जाने पर कोई सदस्य उस अवस्था पर या उसके पश्चात् किसी अवस्था पर आपत्ति कर सकेगा कि संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड (1) के अर्थ के दायरे के अन्तर्गत यह विधेयक एक वित्तीय विधेयक है और इसे राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिये।²⁹⁸ यदि सभापति यह निर्णय देता है कि यह विधेयक एक वित्तीय विधेयक है, तो वह विधेयक पर चर्चा तुरन्त समाप्त कर देता है और यह निदेश देता है कि इसे कार्यावलि से निकाल दिया जाये और इसे राज्य सभा में लम्बित विधेयकों की पंजी से हटा दिया जाये।²⁹⁹

तथापि, यदि सभापति को आपत्ति की वैधता के सम्बन्ध में कोई सन्देह हो, तो उसे उस मामले को लोक सभा अध्यक्ष के पास भेजना पड़ेगा और यदि लोक सभा अध्यक्ष तथा सभापति के बीच कोई सहमति न हो,

तो सभापति को उस मामले की सूचना राज्य सभा को देनी पड़ेगी और इस बारे में राज्य सभा की राय मालूम करनी पड़ेगी कि क्या वह इस विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही करना चाहती है।³⁰⁰

2 जून, 1995 को, कल्याण मंत्री ने मानसिक अवरुद्धता और प्रमस्तिष्कीय अंगघातग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास, विधेयक, 1991 को, जिसे राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, वापस लिये जाने का एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। विधेयक को वापस लिये जाने के कारणों के कथन में, मंत्री ने यह कहा था कि:

विधेयक के खंड 19 में यह उपबंध किया गया है कि न्यास अपनी आय, लाभों या व्युत्पन्न अभिलाषों के संबंध में आयकर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110(1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 117(1) के अधीन यह विधेयक एक वित्तीय विधेयक होगा। तथापि, इसे अनजाने में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। अतः, इसे राज्य सभा से वापस लिया जा रहा है और इसे लोक सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा।³⁰¹

वित्तीय विधेयक को प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपा जाना

धन विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। तथापि, वित्तीय विधेयक के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे कई अवसर आये हैं जब राज्य सभा ने उन वित्तीय विधेयकों को अपनी प्रवर समितियों को सौंपा था जिन्हें पहले लोक सभा, जहां वे पुरःस्थापित किये गये थे, की प्रवर समितियों को सौंपा गया था।

जीवन बीमा निगम विधेयक, 1956 के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा विचार किये जाने का प्रस्ताव उपस्थित किये जाने के पश्चात् एक सदस्य ने उस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने हेतु एक संशोधन उपस्थित किया था। वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) ने एक 'औचित्य के प्रश्न' पर बोलते हुए कहा कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की संभावना के प्रश्न पर विचार किया गया था; किन्तु लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 92 के परन्तुक को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि जीवन बीमा निगम विधेयक को संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि विधेयक का खंड 37 संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के अंतर्गत आता है। जिसके अंतर्गत यह एक 'वित्तीय विधेयक' बन जाता है। इस संदर्भ में, एक सदस्य ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 110 में यह नहीं कहा गया है कि किसी वित्तीय विधेयक को संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता। उनका तो यहां तक कहना था कि संविधान में यह भी नहीं कहा गया है कि कोई 'धन विधेयक' संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जाना चाहिए। जहां तक वित्तीय विधेयकों का संबंध है, दोनों सदनों की शक्तियां इस बात को छोड़कर कि ऐसे विधेयक दूसरे सदन में भी पुरःस्थापित करने होंगे, एक समान हैं। जहां तक वित्तीय विधेयकों का संबंध है, इस बारे में राज्य सभा को यह अधिकार है कि वह लोक सभा की सिफारिशों से सहमत न हो और ऐसी असहमति होने की स्थिति में, एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस संदर्भ में, उपसभापति ने इस प्रकार से निर्णय दिया:

जहां तक वित्तीय विधेयकों का संबंध है, इन्हें प्रवर समिति को सौंपने की बाबत इस सभा को उतना ही अधिकार प्राप्त है, जितना कि लोक सभा को और यह कि हमारे नियमों के अंतर्गत भी ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई संयुक्त समिति न हो और लोक सभा में किसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया हो, तो इस सभा को भी यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को अपनी प्रवर समिति को सौंप दे। अतः, इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है; किन्तु निस्सन्देह, माननीय वित्त मंत्री प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं और मैं इस पर सभा में मत लूंगी।³⁰²

महापत्तन न्यास विधेयक, 1963 के मामले में भी, उस समय इसी प्रकार का एक मुद्दा उठा था जब विधेयक को इस आधार पर कि विधेयक अनुच्छेद 117(1) से संबंधित है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को न सौंपकर लोक सभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। यद्यपि विधेयक की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर आगे कार्यवाई नहीं की गई और राज्य सभा ने विधेयक को अपनी प्रवर समिति को सौंप दिया।³⁰³

पुनः, जब बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1968 को भी संयुक्त समिति को न सौंपकर लोक सभा द्वारा किसी मुद्दे को आधार बनाकर इसे अपनी प्रवर समिति को सौंप दिया गया था, तब भी संबंधित मंत्री महोदय ने यह कहा था कि चूंकि विधेयक अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कुछ मामलों से संबंध रखता है, इसलिए इसे

संयुक्त समिति को नहीं सौंपा गया। किन्तु, उन्होंने राज्य सभा के इस अधिकार को स्वीकार किया कि वह किसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंप सकती है और अन्ततोगत्वा, ऐसा ही किया गया।³⁰⁴

अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयक

अध्यादेशों का प्रख्यापन

उस समय को छोड़कर जब संसद् के दोनों सदन सत्र में हों, यदि ऐसे किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन्हें उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।³⁰⁵ राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार प्रख्यापित किये गये अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद् के किसी अधिनियम का होता है; किन्तु ऐसा प्रत्येक अध्यादेश संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है और संसद् के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले-पहले दोनों सदन उस अध्यादेश का निरनुमोदन चाहने वाला संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर उक्त अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहता। इसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है।³⁰⁶

राष्ट्रपति, किसी सदन में पुरःस्थापित किए गए और उस सदन³⁰⁷ के समक्ष अथवा किसी समिति³⁰⁸ के समक्ष लम्बित पड़े किसी विधेयक के उपबंधों को लागू किए जाने के लिए अथवा किसी एक सदन द्वारा पहले ही पारित, किन्तु दूसरे सदन द्वारा पारण के लिए लंबित विधेयक के उपबंधों को प्रवर्तित किये जाने के लिए³⁰⁹ अथवा किसी बिल्कुल नए विषय पर अथवा किसी अस्थायी प्रयोजन हेतु³¹⁰ अध्यादेश जारी कर सकता है।

सभा में आपत्ति उठाया जाना

सदस्यों ने सरकार द्वारा अध्यादेश, विशेषकर संसद् सत्र के अति निकट की तारीखों को, जारी करने के अधिकार का बार-बार इस्तेमाल करने पर आपत्ति की है।

उदाहरण के लिए 15 नवम्बर, 1971 को सदस्यों ने बहुत-से अध्यादेश जारी किए जाने पर आपत्ति की थी और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था कि संसद्, जो शीघ्र ही समवेत होने वाली है, का अनुमोदन लिए बिना अध्यादेशों के माध्यम से कुछ कर लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस संदर्भ में, उपसभापति ने कहा कि:

जैसाकि माननीय सदस्यों द्वारा इस ओर इंगित किया गया है, इस सभा पटल पर बहुत-से अध्यादेश रखे जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्यतः अध्यादेश अत्यन्त असामान्य अथवा असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किए जाने चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में, इस विधायी प्रक्रिया का अवलंबन नहीं लेना चाहिए। सभा के नेता द्वारा भी इसी बात की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि सही अर्थों में यदि कहा जाए तो संविधान के उपबंधों के अनुसार यह कोई आपात की स्थिति नहीं है, फिर भी कुछ-कुछ आपात जैसी है; मेरे विचार से उनका कहने का अभिप्राय यह है कि हालांकि संविधान के उपबंधों के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा नहीं की गई है, फिर भी स्थिति कुछ-कुछ आपात जैसी है। और इसलिए, उन्होंने कहा था कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसे अध्यादेश जारी करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया था... किन्तु, सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि जब कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो उस अध्यादेश की एक प्रति सरकार को यथासंभव शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के पटल पर अवश्य रखनी होती है। उसका यह एक संवैधानिक दायित्व होता है।

मैंने पहले भी कहा है कि अध्यादेश जारी करने के संबंध में संवैधानिक उपबंध विद्यमान हैं। यह एकदम से अलग मुद्दा है कि क्या ऐसा करना राजनैतिक, प्रजातांत्रिक अथवा नैतिक दृष्टि से उचित है या नहीं, किन्तु जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस संबंध में अपने मन की अति कटु

भावनाएं और बहुत ही कड़े विचार प्रकट किए हैं। मुझे आशा है कि इस सभा में पूरे विपक्ष द्वारा व्यक्त किए गए ऐसे कड़े विचारों पर सरकार अवश्य ध्यान देगी और भविष्य में, अध्यादेश जारी करने और कानून बनाने के लिए इस प्रकार से बिल्कुल ही अवलंबन नहीं लिया जाएगा और यदि कभी जरूरत पड़े भी तो ऐसा बहुत कम से कम अवसरों पर किया जाएगा।³¹¹

इसके पश्चात्, 17 नवम्बर, 1980 को सदस्यों ने दस अध्यादेश जारी किए जाने पर आपत्ति उठाई। तब सभापति की टिप्पणी इस प्रकार थी, “...जहां तक सरकार एवं इन अध्यादेशों को पारित कराने की बाबत उसकी नीति को देखते हुए इन अध्यादेशों पर मेरी प्रतिक्रिया का संबंध है, मैं पहले ही यह कह चुका हूँ कि मैं अध्यादेशों को पसन्द नहीं करता...”³¹²

पुनः, जब वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सभा पटल पर रखा जा रहा था, तब भी सरकार द्वारा राजस्व संबंधी अध्यादेश जारी किए जाने की बाबत औचित्य का प्रश्न उठाया गया था। इसका सभापति द्वारा निम्नलिखित रूप से उत्तर दिया गया:

मैं आशा करता हूँ, कि सरकार इन विचारों तथा संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखेगी और भविष्य में, अध्यादेश, विशेष रूप से वित्तीय अध्यादेश यथासंभव कम-से-कम अवसरों पर और केवल तभी जारी किए जाएंगे जब ऐसा करना बिल्कुल ही अनिवार्य तथा अत्यावश्यक हो।³¹³

अध्यादेश का सभा पटल पर रखा जाना

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित होता है।³¹⁴ सामान्यतया इन अध्यादेशों को, राष्ट्रपति द्वारा इनके प्रख्यापन के पश्चात् बुलाई गई सभा की उस पहली बैठक में रखा जाता है, जिसमें सदन का औपचारिक कामकाज किया जाता है। उस अध्यादेश के संबंध में, जिसमें सभा के समक्ष लम्बित किसी विधेयक के उपबंधों को पूर्णतः अथवा अंशतः अथवा संशोधनों सहित शामिल किया गया हो, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी अध्यादेश के साथ-साथ सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित होता है, जिनके अन्तर्गत अध्यादेश के माध्यम से विधान बनाया जाना आवश्यक हो गया था।³¹⁵

राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को भी राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की ही तरह सभा पटल पर रखा जाता है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के जारी होने से पहले जारी किए गए किसी अध्यादेश को राज्य विधान-मंडल के समक्ष न रखा जा सका हो तो उसे भी सभा पटल पर रखा जा सकता है।

असम के राज्यपाल द्वारा असम विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 1981, 31 मार्च, 1981 को विधान सभा का चार महीने की अवधि के लिए सत्रावसान करने के बाद 1 अप्रैल, 1981 को प्रख्यापित किया गया था। उसके बाद विधान सभा की बैठक 29 जून, 1981 को केवल एक दिन के लिए हुई। अगले दिन इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। संसद् का सत्र 17 अगस्त, 1981 को आरंभ हुआ। असम विनियोग विधेयक, 1981 जोकि इस सभा के विचाराधीन था, के सम्बन्ध में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या राज्यपाल के अध्यादेश को अनुच्छेद 213(2)(क) के तहत सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित था।³¹⁶ अध्यादेश की वैधता अवधि 31 जुलाई, 1981 को समाप्त हो गई किंतु इसे विधान सभा की बैठक की तिथि अर्थात् 29 जून, 1981 से अनुच्छेद 213(2)(क) के तहत छह सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया। अतः यह अध्यादेश 9 अगस्त, 1981 को निष्प्रभावी हो गया। अध्यादेश को 29 जून, 1981 को विधान सभा के पटल पर रखे जाने की जिम्मेदारी बनती थी और विधान सभा इस अध्यादेश का उसी दिन अथवा उसके बाद की किसी तिथि को निरनुमोदन कर सकती थी किंतु इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। न तो इस अध्यादेश को विधान सभा में रखा गया और न ही विधान सभा द्वारा इस पर कोई कार्यवाही ही की गई। अतः सभापति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी दी कि “इसे विधान सभा के पटल पर रखे जाने की जिम्मेदारी की शुरुआत हुई थी और उसे पूरा नहीं किया गया, संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि इस प्रयोजनार्थ संसद् विधान सभा की स्थानापन्न बन जाए। छह सप्ताह बीत जाने के बाद अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला कोई भी संकल्प संसद् में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और अध्यादेश को सभा, जिसका सत्र 29 जून, 1981 को आरंभ हुआ था, के पटल पर रखे जाने का मामला भी

समाप्त हो गया क्योंकि इसका निरनुमोदन करने वाला संकल्प विधान सभा अथवा संसद में रखा जाना संभव नहीं था.... एक ऐसे अध्यादेश को सभा पटल पर रखने से, सिवाय इसके कि माननीय सदस्यों को इसकी सूचना मिलती, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जिसकी वैधता अवधि दो बार समाप्त हो गई हो और सदस्यों को सूचना देने का प्रयोजन तो अध्यादेश की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध करवाने से पर्याप्त रूप से सिद्ध हो गया है। अतः किसी भी संवैधानिक उपबंध का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि अनुच्छेद 213(2) (क) का अक्षरशः पालन किया जाए तो अध्यादेश को विधान सभा की बैठक होने पर पटल पर रखा जाना आवश्यक था, इसे 29 जून, 1981 को विधान सभा के पटल पर रखा गया, किन्तु उस त्रुटि की भरपाई उसे हमारी सभा के पटल पर रखकर नहीं की जा सकती क्योंकि हमारी सभा अनुच्छेद 213(2)(क) के अंतर्गत 17 अगस्त, 1981 को कार्य नहीं कर सकती थी।³¹⁷

अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक

यदि सरकार किसी अध्यादेश के उपबंधों को दीर्घ अवधि के लिए जारी रखना चाहती है अथवा उन्हें स्थायी बनाना चाहती है तो उसका स्थान लेने वाला एक विधेयक लाया जाता है जब कभी किसी अध्यादेश का स्थान लेने वाला, संशोधन सहित या बिना संशोधन के कोई विधेयक लाया जाता है तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जाना अपेक्षित होता है, जिनके कारण अध्यादेश के माध्यम से विधान बनाना आवश्यक हो गया था।³¹⁸

एक अवसर पर संबंधित मंत्री ने विशेष संरक्षा समूह अध्यादेश, 1995 को प्रख्यापित करने हेतु आवश्यक परिस्थितियों से संबंधित विवरण को सभा पटल पर रखने के स्थान पर उसे सभा में पढ़ा था।³¹⁹

सामान्यतः किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा किसी अध्यादेश का निरनुमोदन चाहने वाले किसी परिणियत संकल्प (की सूचना) और संबंधित सरकारी विधेयक पर साथ-साथ चर्चा की जाती है।³²⁰ यदि संकल्प स्वीकृत हो जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि अध्यादेश का निरनुमोदन हो गया है और विधेयक स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि संकल्प अस्वीकृत हो जाता है तो विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव पर मत लिया जाता है और विधेयक पर बाकी चरणों की कार्यवाही की जाती है।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प और उससे संबंधित विधेयक पर चर्चा 5 अगस्त, 1991 को की गई थी। संकल्प उपसभापति के निर्णायक मत से स्वीकृत हुआ। विधेयक पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।³²¹

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1958, जिसे इस विषय पर पहले जारी किए गए एक अध्यादेश का स्थान लेना था, को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था और राज्य सभा की बैठक एक सप्ताह बाद 18 अगस्त, 1958 को आयोजित हुई, इस बैठक में अध्यादेश को सभा पटल पर रखा गया। इस बीच लोक सभा ने विधेयक को अपनी प्रवर समिति को सौंप दिया। राज्य सभा में इस आधार पर विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठा कि अध्यादेश को राज्य सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था और उसे इसका निरनुमोदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए था तथा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए था। इस मुद्दे पर सभापति ने व्यवस्था दी कि सदस्यों को विधेयक के लोक सभा से आने पर उसमें परिवर्तन/संशोधन करने का मौका दिया जाएगा तथा बैठक के आयोजन में विलंब होने तथा विधेयक पर शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता के कारण विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया। तथापि, सभापति ने स्पष्ट किया कि इसे पूर्वोदाहरण नहीं समझा जाएगा।³²²

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

सूचना

किसी गैर-सरकारी सदस्य को, अर्थात् मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य को, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो, अपने इस इरादे की सूचना एक मास

पहले देनी होती है जब तक कि सभापति इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे दे।³²³ सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति उद्देश्यों तथा कारणों के कथन सहित संलग्न किया जाना अपेक्षित होता है। यदि इस कथन में संशोधन किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा सभापति के निदेशानुसार³²⁴ और संबंधित सदस्य के परामर्श और सहमति से किया जाता है। एक सदस्य गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए निर्धारित किसी एक दिन में तीन से अधिक विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर सकता।

पचास के दशक के आरंभिक वर्षों में, विधेयकों और संकल्पों की सूचनाओं की परस्पर पूर्ववर्तिता के निर्धारण के लिए बैलट के आयोजन के संबंध में सभापति द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार, विधेयक की सूचना देने वाला सदस्य अपना नाम सूचना कार्यालय में रखी जाने वाली संख्यांकित सूची में दर्ज करा सकता है। सदस्य द्वारा प्रत्येक विधेयक के लिए दी गई सूचना हेतु एक संख्या पर, अधिकतम तीन संख्या तक, अपना नाम दर्ज कराया जाता है। अतः प्रत्येक आर्वटित दिन के लिए प्रति सदस्य तीन विधेयकों की सीमा है।³²⁵

किसी विधेयक को, उसके सदृश किसी विधेयक के लोक सभा में लंबित रहते हुए भी राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के संबंध में कोई रोक नहीं है।

प्रारूपण

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का प्रारूप तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित सदस्यों का है। तथापि, सचिवालय सदस्यों को हर संभव तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान करता है ताकि उनके विधेयक तकनीकी या प्रक्रियागत आधारों पर अमान्य न हो जायें। जब विधेयक प्राप्त होता है तो उसकी इस अध्याय में पूर्वोल्लिखित अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए संवीक्षा की जाती है। जब किसी विधेयक का किसी सदस्य द्वारा समुचित रूप से प्रारूप तैयार नहीं किया गया हो, तो उससे इस विषय में परामर्श किया जाता है और विधेयक में कोई परिवर्तन अपेक्षित हों, तो ऐसा केवल संबंधित सदस्य की अनुमति से ही किया जाता है।

पूर्ववर्तिता

गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दी गयी विधेयकों की सूचनाओं की सापेक्ष पूर्ववर्तिता, सभापति द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार, लॉटरी द्वारा उस दिन निर्धारित की जाती है, जिसका कि सभापति निदेश दें, परंतु जो उस दिन से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व होता है जिसके संबंध में लॉटरी होगी।³²⁶ सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होती है, अर्थात्: (क) वे विधेयक जिनका पुरःस्थापन किया जाना है; (ख) वे विधेयक जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 111 के अधीन लौटाये गये हों; (ग) वे विधेयक जो राज्य सभा द्वारा पारित किये गये हों तथा लोक सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये हों; (घ) वे विधेयक जो लोक सभा द्वारा पारित किये गये हों तथा राज्य सभा को पहुंचाये गये हों; (ङ) वे विधेयक जिनके संबंध में विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो; (च) वे विधेयक जिनके संबंध में किसी संयुक्त/प्रवर समिति का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो; (छ) वे विधेयक जो उन पर राय जानने के लिये परिचालित किये गये हों; (ज) वे विधेयक जो पुरःस्थापित किये गये हों और जिनके संबंध में कोई और प्रस्ताव न किया गया हो; और (झ) अन्य विधेयक।³²⁷

एक ही खण्ड के अधीन आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता लॉटरी द्वारा निर्धारित की जाती है।³²⁸ तथापि, उन विधेयकों के मामले में, जिन्हें पुरःस्थापित किया जाना है, उनको कार्यावलि में उस क्रम से

सूचीबद्ध किया जाता है जिस क्रम में उनके संबंध में सूचनायें प्राप्त हुई हों और इस प्रयोजनार्थ कोई बैलट नहीं किया जाता है। जहां तक उपर्युक्त खण्ड (ज) के अधीन आने वाले विधेयकों का संबंध है, प्रभारी सदस्यों के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाते हैं और लॉटरी में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले सदस्यों के विधेयकों को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निबटाने के लिये नियत किसी दिवस की कार्यावलि में सम्मिलित किया जाता है।³²⁹ यदि किसी सदस्य के नाम में एक से अधिक विधेयक लंबित हों, तो वह अपने विधेयकों में से एक विधेयक का चयन कर सकता है।³³⁰

नियम 25 में संशोधन किए जाने से पहले परिपाटी यह चली आ रही थी कि उन विधेयकों का जो पुरःस्थापित किए गए हों और जिनके संबंध में कोई और प्रस्ताव न किया गया हो या स्वीकृत न हुआ हो उनके पुरःस्थापन के क्रमानुसार वर्गों में विन्यास किया जाता था और प्रत्येक वर्ग में सापेक्ष पूर्ववर्तिता का निर्धारण लॉटरी द्वारा किया जाता था और ऐसे दस विधेयकों को, जिनके संबंध में, आगामी प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हो गई हो, सम्बद्ध कार्यावलि में शामिल कर लिया जाता था। इसलिए, नियम संबंधी समिति की सिफारिश पर इस नियम में संशोधन कर दिया गया ताकि विधेयकों की बजाय विधेयकों के प्रभारी सदस्यों के नामों का बैलट किया जाए, (बैलट किए गए दस सदस्यों में से) किसी भी सदस्य को किसी एक सत्र में विचार किए जाने के लिए एक से अधिक विधेयक की अनुमति नहीं दी जाती। इस संशोधन की सिफारिश करते हुए समिति ने टिप्पणी की:

इस (पुरानी) प्रक्रिया के कारण उन सदस्यों को बहुत निराशा होती है जो बाद में विधेयक पुरःस्थापित करते हैं और इसलिए जिन्हें सभा में अपने विधेयकों पर विचार किए जाने हेतु वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार तो इस प्रक्रिया के कारण विधेयक सभा में विचार किए जाने हेतु इतनी देर से आते हैं कि विधेयकों के पुरःस्थापित किए जाने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। विगत में कई ऐसे अवसर आए हैं जब विधेयक 3-4 वर्ष बीत जाने के बाद चर्चा के लिए आए हैं और कुछ मामलों में तो वे आए ही नहीं चूंकि इन विधेयकों को प्रस्तुत करने वाले सदस्य इस बीच सेवानिवृत्त हो चुके थे... समिति उम्मीद करती है और उसे विश्वास भी है कि प्रस्तावित प्रक्रिया से गैर-सरकारी सदस्यों की निराशा को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा तथा गैर-सरकारी सदस्यों की पहल पर ज्यादा से ज्यादा विधेयक सभा में चर्चा के लिए आएंगे।³³¹

तथापि, 1969 के प्रारंभ में कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि गैर-सरकारी सदस्यों के बहुत सारे विधेयक लंबित पड़े हैं और उन सबको कार्यावलि में शामिल करने की परिपाटी अपनाने से व्यावहारिक तौर पर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तब समिति ने यह सिफारिश की थी कि आगे से प्राथमिकता के क्रम में केवल उन्हीं प्रथम दस विधेयकों को किसी दिन विशेष की कार्यावलि में शामिल किए जाने की जरूरत है जिनके संबंध में आगामी प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हो गई हों।³³²

पुरःस्थापन

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के निपटानार्थ आवंटित दिन को उस दिन के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की सूची में पहली मद के रूप में पुरःस्थापनार्थ विधेयकों को दर्ज किया जाता है।³³³ किसी विधेयक को वापस लेने हेतु अनुमति के लिए किसी प्रस्ताव के मामले में, उस विधेयक को पुरःस्थापनार्थ विधेयकों से पहले दर्ज किया जाता है।³³⁴

परिपाटी के अनुसार किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है लेकिन अनेक दृष्टांत ऐसे हैं जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित करने के प्रस्तावों का विरोध किया गया था और उन्हें सदन द्वारा भी अस्वीकृत कर दिया गया था।

उदाहरणार्थ, संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, 1956 (विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति के प्रस्ताव को मत-विभाजन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था);³³⁵ सदस्यों के वेतन और भत्ते, 1968 के संबंध में दो विधेयक (प्रस्ताव अस्वीकृत हुए);³³⁶ संविधान (संशोधन) विधेयक, 1993 (अनुच्छेद 370 के

विलोपनार्थ, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ);³³⁷ संविधान (संशोधन) विधेयक, 1993 (अनुच्छेद 30 के विलोपनार्थ, विरोध के बाद प्रस्ताव वापस ले लिया गया)।³³⁸

पुरःस्थापन के पश्चात् प्रस्ताव

विधेयक के पुरःस्थापन के पश्चात् उसके संबंध में अगला प्रस्ताव विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने वाले दिन ही नहीं किया जाता है। जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के पुरःस्थापन के पश्चात् अगली विधायी अवस्थाओं के बारे में सापेक्ष अग्रता का निर्धारण लॉटरी निकाल कर किया जाता है। सत्रावधि में प्रत्येक आर्वटित दिन के लिए पृथक से लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी में प्राप्त प्राथमिकता के आधार पर प्रभारी सदस्य अपने विधेयक के संबंध में अपना कोई भी अगला प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। तथापि, कोई सदस्य उसी सत्र में एक से अधिक विधेयक विचारार्थ नहीं ले सकता है।³³⁹ चूंकि लॉटरी में विधेयकों के केवल ऐसे दस प्रभारी सदस्यों के नाम ही निकाले जाते हैं, जिनके नाम से एक से अधिक विधेयक लंबित होते हैं, अतः विधेयकों की लॉटरी के परिणाम को अधिसूचित करते समय उनसे अगले प्रस्तावों हेतु कार्यावलि में सम्मिलित किये जाने हेतु अपने किसी एक विधेयक का चयन करने का अनुरोध किया जाता है।³⁴⁰

पचास के दशक के आरंभ में एक अवसर पर एक सदस्य ने एक ही बैठक में तीन विधेयक उपस्थित कर दिये। पहला विधेयक अस्वीकृत हो गया, दूसरे विधेयक पर अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुशंसा के अभाव में आगे विचार नहीं किया गया और तीसरे विधेयक पर विचार किया गया।³⁴¹

गैर-सरकारी सदस्यों के किसी विधेयक पर विचार के समय यदि संबंधित सदस्य चर्चा का उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उक्त विधेयक के प्रभारी सदस्य की अनुपस्थिति में संबंधित मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के पश्चात् प्रस्ताव पर सभा में मतदान कराया जा सकता है।³⁴²

लोक सभा में मूलतः प्रारंभ और पारित हुए तथा राज्य सभा को भेजे गए किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को राज्य सभा में किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आर्वटित दिन को विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

राष्ट्रपति की अनुशंसा

किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा उपस्थित किये गये ऐसे विधेयक के संबंध में, जिसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक हो, संबंधित सदस्य को ऐसी अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति को आवेदन करना होता है। सचिवालय को सदस्य से राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर सदस्य के पत्र को आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया जाता है। संबंधित मंत्री सदस्य को राष्ट्रपति के आदेशों की सूचना देता है और सचिवालय को भी इस आशय की सूचना दे दी जाती है। सचिवालय को संबंधित मंत्री से राष्ट्रपति के आदेश के बारे में सूचना प्राप्त होने पर सदस्य को इसकी सूचना दे दी जाती है और इसे संसदीय समाचार (बुलेटिन) में प्रकाशित कर दिया जाता है।³⁴³

राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त न होने पर विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं की जाती है और इसे प्राप्त न किये जाने की दशा में विधेयक पर विचार किये जाने को स्थगित कर दिया जाता है।

एक सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किये गये अनाथालय और विधवा आश्रम विधेयक, 1954 को अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुशंसा, जिसके लिए सदस्य ने आवेदन किया था, प्राप्त नहीं हुई थी। सभापति ने तदनुसार सदन को सूचित किया और इसलिए उक्त विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका।³⁴⁴

एक सदस्य ने स्वयं अपने द्वारा पुरःस्थापित उच्चतर शिक्षा समन्वयमूलक मानक विधेयक, 1953 पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया। उस समय यह औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि चूंकि इस विधेयक के कुछ खंडों में भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्गस्त है, अतः इसके लिए अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उपसभापति ने औचित्य प्रश्न को उचित ठहराते हुए सदस्य को राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का परामर्श दिया। उक्त विधेयक के संबंध में तब तक आगे की कार्यवाही आस्थगित कर दी गई थी।³⁴⁵

बेरोज़गारी राहत विधेयक, 1953 के प्रभारी सदस्य द्वारा उक्त विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव उपस्थित किये जाने से पूर्व उपसभापति ने यह कहा कि इसमें एक तकनीकी दोष यह है कि इस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। प्रस्ताव उपस्थितकर्ता ने यह बताया कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया हुआ है और अनुशंसा की प्राप्ति तक इस विधेयक पर विचार किये जाने को स्थगित रखा जाये। उपसभापति ने इससे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए विधेयक पर विचार किये जाने को स्थगित कर दिया।³⁴⁶

किसी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त न होने की स्थिति में पूर्व में उक्त विधेयक को 'लंबित विधेयक पंजी' से निकाल दिया जाता था।³⁴⁷ तथापि, इस समय ऐसे विधेयकों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जाता है।³⁴⁸

वाद-विवाद का स्थगन

प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर वाद-विवाद को उसी या अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवंटित अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है और लॉटरी में प्राधिमानता प्राप्त कर लेने पर ही उस पर आगे चर्चा हेतु उसे कार्यावलि में सम्मिलित किया जाता है।³⁴⁹ वाद-विवाद अनियत तिथि के लिए स्थगित कर दिये जाने पर बाद में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए आवंटित किसी दिन को यदि संबंधित सदस्य अपने विधेयक पर आगे वाद-विवाद का इच्छुक हो, तो उसे स्थगित वाद-विवाद को पुनः आरंभ करने के लिए सूचना देनी होगी। उस स्थिति में इस प्रकार की सूचना को उस दिन के लिए सम्मिलित किये गये अन्य विधेयकों की अपेक्षा प्राधिमानता दी जाती है।³⁵⁰ गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर वाद-विवाद को सदन में उपस्थित किये गये और स्वीकृत प्रस्तावों पर स्थगित किया गया है। कुछ दृष्टांत नीचे दिये गये हैं:

प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) दूसरा संशोधन विधेयक, 1954 पर चल रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शिक्षा मंत्री के संसदीय सचिव ने यह बताया कि सरकार का इस विषय पर एक व्यापक विधान लाने का विचार है। अतः उक्त विधेयक के उपस्थितकर्ता ने यह कहा कि प्रस्तावित विधेयक के लाये जाने तक उनके विधेयक को लंबित रखा जाये और आगे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाये। सदन ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।³⁵¹

कुछ चर्चा के बाद एक सदस्य ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1962 (आठवीं अनुसूची के संशोधनार्थ) पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।³⁵² भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 के संबंध में भी वाद-विवाद के स्थगन के लिए इसी प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित किया गया और वह स्वीकृत हुआ।³⁵³ दो संविधान संशोधन विधेयकों (अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 291 के संशोधनार्थ) पर वाद-विवाद को प्रस्ताव उपस्थित किये जाने और उनकी स्वीकृति पर पहले विधेयक को आगामी सत्र तक तथा दूसरे विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।³⁵⁴

राय जानने के लिए परिचालन

सरकारी विधेयकों की तरह ही अनेक बार गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के बारे में भी राय जानने के प्रयोजन से उन्हें परिचालित किया गया है। ऐसे विधेयकों और उनके संबंध में बाद में हुई प्रगति का यहां नीचे उल्लेख किया गया है:

1. अनाथालय और विधवा आश्रम विधेयक, 1956 ¹³⁵⁵
2. ऐतिहासिक अभिलेख (राष्ट्रीय महत्व के) विधेयक, 1957 ¹³⁵⁶
3. भारतीय समुद्री बीमा विधेयक, 1959 ¹³⁵⁷
4. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1962 ¹³⁵⁸
5. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 ¹³⁵⁹
6. दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1964 ¹³⁶⁰
7. अक्षम व्यक्तियों की नसबंदी विधेयक, 1964 ¹³⁶¹
8. पत्तन सुरक्षा बल विधेयक, 1968 ¹³⁶²
9. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1966 ¹³⁶³

क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित विधेयक को विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया,³⁶⁴ क्रम संख्या 2, 4 और 8 पर उल्लिखित विधेयक संबंधित सदस्यों के सदस्यता से निवृत्त हो जाने के कारण व्यपगत हो गये; क्रम संख्या 3 और 5 पर उल्लिखित विधेयकों को क्रमशः संयुक्त और प्रवर समितियों को सौंपा गया³⁶⁵ और उन्हें अंततः पारित कर दिया गया; क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा गया और संबंधित सदस्य द्वारा उसे बाद में वापस ले लिया गया,³⁶⁶ क्रम संख्या 7 और 9 पर उल्लिखित विधेयकों को प्रवर समितियों को सौंपे जाने के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।³⁶⁷

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को परिचालित किये जाने के प्रस्तावों को वापस लिये जाने या अस्वीकृत होने के दृष्टांत भी देखने को मिलते हैं।

जब एक सदस्या ने अपने द्वारा पुरःस्थापित 'स्त्री और बालक संस्था अनुज्ञापन विधेयक, 1953' पर राय जानने के लिए उसे परिचालित करने हेतु प्रस्ताव उपस्थित किया तब यह आपत्ति की गई थी कि संसद् सम्पूर्ण भारत के लिए, जिस पर कि उक्त विधेयक लागू होना आशयित है, कानून नहीं बना सकती है। उपसभापति ने सदस्या से उक्त विधेयक को वापस लेने और उसके स्थान पर नया विधेयक, यदि आवश्यक हो, लाने के लिए कहा।³⁶⁸

एक अन्य अवसर पर एक सदस्य द्वारा पुरःस्थापित तेल हाइड्रोजनीकरण निवारण विधेयक, 1962 पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के लिए उपस्थित किये गये प्रस्ताव को सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।³⁶⁹

पंजी

सरकारी विधेयकों की भांति ही सचिवालय द्वारा एक ऐसी पृथक पंजी रखी जाती है, जिसमें सदन में गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित किये गये विधेयकों को दर्ज किया जाता है। सरकारी विधेयकों को

निकाले जाने से संबंधित नियम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी लागू होते हैं।³⁷⁰ सदन द्वारा उसी तरह का विधान पारित कर दिये जाने या उक्त कारण से सदस्य द्वारा अपना विधेयक वापस ले लिए जाने की स्थिति में सदन के समक्ष लंबित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को 'विधेयक-पंजी' से निकाल दिया जाता है।

27 फरवरी, 1987 को एक गैर-सरकारी सदस्य ने मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष करने के लिए अनुच्छेद 326 में संशोधनार्थ संविधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पुरःस्थापित किया था। विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर 4 और 25 नवम्बर, 1988 को चर्चा की गई, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हुई। 20 दिसम्बर, 1988 को संसद् ने संविधान (बासटवां संशोधन) विधेयक, 1988 पारित कर दिया और विधेयक को अनुसमर्थन के लिए राज्य विधान-मंडलों को भेज दिया गया था। नियम 266 के अनुसरण में सभापति द्वारा दिये गये निदेश के अन्तर्गत अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत पहले दिन अर्थात् शुक्रवार, 24 फरवरी, 1989 की कार्यावलि में आगे विचार किये जाने हेतु उक्त विधेयक को सम्मिलित नहीं किया गया। उसे 'विधेयक-पंजी' से भी हटा दिया गया। संबंधित सदस्य को तदनुसार सूचित कर दिया गया।³⁷¹

तथापि, एक अन्य अवसर पर एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा 20 दिसम्बर, 1991 को मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार की मृत्यु होने की दशा में ही मतदान स्थगित किये जाने के लिए पुरःस्थापित किये गये लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को संसद् द्वारा उसी विषय पर सरकारी विधेयक पारित कर दिये जाने और 26 मार्च, 1992 को (1992 का अधिनियम 2) राष्ट्रपति द्वारा उसे अपनी अनुमति प्रदान कर दिये जाने पर 30 अप्रैल, 1992 को वापस ले लिया गया।³⁷²

विधेयक के प्रभारी सदस्य के सदन का सदस्य न रहने³⁷³ या उसे मंत्री नियुक्त कर दिये जाने³⁷⁴ पर भी सदन के समक्ष लंबित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को गैर-सरकारी सदस्यों को विधेयक-पंजी से निकाल दिया जाता है।

पूर्व में मंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति पर प्रभारी सदस्य को स्वयं को मंत्री नियुक्त किये जाने से पूर्व उसके द्वारा पुरःस्थापित किये गये विधेयक को वापस लेने के लिए औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव उपस्थित करना पड़ता था। तदनुसार, उदाहरणार्थ, संबंधित मंत्रियों द्वारा 2 जून, 1967 और 28 दिसम्बर, 1990 को इस आशय के औपचारिक प्रस्ताव उपस्थित कर विधेयकों को वापस लिया गया था।³⁷⁵ लेकिन 1995 में सभापति द्वारा जारी किये गये एक निदेश के पश्चात् दो गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित किये गये 126 विधेयकों को उन्हें मंत्री नियुक्त कर दिये जाने के उपरान्त पंजी से हटा दिया गया था।³⁷⁶

गैर-सरकारी सदस्यों के विधि में अधिनियमित विधेयक

दोनों सदनों में गैर-सरकारी सदस्यों की पहल पर अब तक चौदह विधेयक कानून-पुस्तिका का अंग बन चुके हैं; इनमें से पांच विधेयकों पर राज्य सभा में कार्यवाही आरम्भ हुई और नौ विधेयकों पर लोक सभा में। उन विधेयकों के अतिरिक्त, राज्य सभा ने 5 अगस्त, 1977 को श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा पुरःस्थापित किये गये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को भी 2 मार्च, 1979 को पारित किया था। उक्त विधेयक की सूचना लोक सभा को दी गयी थी और उसे शुक्रवार, 9 मार्च, 1979 को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था, जहां यह इस पर बिना कोई विचार हुए 22 अगस्त, 1979 को छठी लोक सभा भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गया।

नीचे दिए गए विवरण में चौदह विधेयकों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	विधेयक का संक्षिप्त नाम	लोक सभा			राज्य सभा			अधिनियम संख्या स्वीकृति की तिथि
		पुरःस्थापन (पु०) विचार (वि०) पारित (पा०) किए जाने की तिथि	विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य का नाम	प्रवर/संयुक्त समिति को भेजा गया अथवा नहीं	पुरःस्थापन (पु०) विचार (वि०) पारित (पा०) किए जाने की तिथि	विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य का नाम	प्रवर/ संयुक्त समिति को भेजा गया अथवा नहीं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952	16.7.52(पु०) 30.7.52 (वि०) 13.3.53 (वि०) 14.8.53 (वि०) 26.11.53 (वि०) 18.2.54 (वि०) 4.3.54 (वि०) 12.3.54 (वि० एवं पा०)	सैय्यद मोहम्मद अहमद काज़मी (कांग्रेस)	13.3.53 को प्रवर समिति को सौंपा गया	15.3.54 (सभा पटल पर रखा गया) 23.4.54 (वि० एवं पा०)	श्री अख्तर हुसैन (कांग्रेस)	—	1954 का अधिनियम 29 21.5.54
2.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (धारा 435 में संशोधन)	27.11.53 (पु०) 29.4.55 (वि०) 5.8.55 (वि०) 27.7.56 (वि०) एवं पा०)	श्री रघुनाथ सिंह (कांग्रेस)	—	3.8.56 (सभा पटल पर रखा गया) 10.8.56 (वि० एवं पा०)	श्री जे० एन० कौशल (कांग्रेस)	—	1956 का अधिनियम 39 1.9.56
3.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (धारा 2 आदि में संशोधन)	16.9.55 (पु०) 16.12.55 (वि०) 15.3.56 (वि०) 23.3.56 (वि०) एवं पा०)	श्री एस० सी० सामन्त (कांग्रेस)	— 9.3.56 (वि० एवं पा०)	19.12.55 (सभा पटल पर रखा गया)	श्री पी० टी० लिऊवा (कांग्रेस)	—	1956 का अधिनियम 17 6.4.56

4.	विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 [विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित कर दिए जाने पर शीर्षक को इस रूप में परिवर्तित कर दिया गया-“संसद् की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956”]	24.2.56 (पु०) 23.3.56 (वि०) 6.4.56 (वि०) 1.5.56 (वि०) 4.5.56 (वि० एवं पा०)	श्री फ़िरोज़ गांधी (कांग्रेस)	6.4.56 को प्रवर समिति को भेजा गया	7.5.56 (सभा पटल पर रखा गया) 11.5.56 (वि० एवं पा०)	डा० सुब्बारायां (कांग्रेस)	—	1956 का अधिनियम 24 26.5.56
5.	स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954	26.2.54 (पु०) 10.8.56 (वि०) 24.8.56 (वि०) 25.8.56 (वि०) 30.11.56 (वि०) 7.12.56 (वि० एवं पा०)	राजमाता कमलेन्दु- मति शाह (निर्दलीय)	24.8.56 को प्रवर समिति को भेजा गया	10.12.56 (सभा पटल पर रखा गया) 14.12.56 (वि० एवं पा०)	डा० श्रीमती सीता परमानन्द (कांग्रेस)	—	1956 का अधिनियम 105 30.12.56
6.	प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954	31.8.56 (सभा पटल पर रखा गया) 7.12.56 (वि० एवं पा०)	श्री बलवंत सिंह मेहता (कांग्रेस)	—	3.12.54 (पु०) 17.12.54(वि०) 24.8.56 (वि० एवं पा०)	डा० रघुवीर सिंह (कांग्रेस)	—	1956 का अधिनियम 70 15.12.56
7.	हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (धारा 10 में संशोधन)	3.12.56 (सभा पटल पर रखा गया) 7.12.56 (वि० एवं पा०)	श्रीमती उमा नेहरू (कांग्रेस)	—	24.8.56 (पु०) 30.11.56 (वि० एवं पा०)	डा० श्रीमती सीता परमानन्द (कांग्रेस)	—	1956 का अधिनियम 73 20.12.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (धारा 198 में संशोधन)	20.12.57 (पु°) 11.9.59 (वि°) एवं पा°) 27.11.59 (वि° एवं पा°) 23.8.60 (वि°) एवं पा°) 23.12.60 (वि°) एवं पा°)	श्रीमती सुभद्रा जोशी (कांग्रेस)	-	7.12.59 (सभा पटल पर रखा गया) 19.2.60 (वि°) 19.8.60 (वि°) एवं पा°)	डा० श्रीमती सीता परमानंद (कांग्रेस)	-	1960 का अधिनियम 56 26.12.60
9.	अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960	26.2.60 सभा पटल पर रखा गया) 18.3.60 (वि° एवं पा°)	श्री दीवान चन्द शर्मा - (कांग्रेस)	-	8.5.59 (पु°) 4.9.59 (वि°) 30.11.59 (वि°) 19.2.60 (वि° एवं पा°)	श्री कैलाश बिहारी लाल (कांग्रेस)	4.9.59 को संयुक्त समिति को भेजा गया।	1960 का अधिनियम 10 9.4.60
10.	समुद्री बीमा विधेयक, 1963 (राज्य सभा में भारतीय समुद्री बीमा विधेयक, 1959 के रूप में पुरःस्थापित किया गया)	14.3.63 सभा पटल पर रखा गया) 12.3.63 (पु°) 5.1.63 (वि° एवं पा°)	श्री दीवान चन्द शर्मा - (कांग्रेस)	-	20.2.59 (पु°) 17.8.62 (वि°) 8.3.63 (वि° एवं पा°) 19.2.59 (वि° एवं पा°)	श्री एम० पी० भार्गव (कांग्रेस)	17.8.62 को संयुक्त समिति को भेजा गया	1963 का अधिनियम 11 18.4.63
11.	हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963	22.2.63 (पु°) 4.12.64 (वि°) एवं पा°)	श्री दीवान चन्द शर्मा - (कांग्रेस)	-	8.12.64 (सभा पटल पर रखा गया) 11.12.64 (वि° एवं पा°)	श्री एम० पी० भार्गव (कांग्रेस)	-	1964 का अधिनियम 44 20.12.64

12.	संसद् सदस्य वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (धारा 3 और 5 में संशोधन)	10.4.64 (पुं) 24.4.64 (विं एवं पां) 25.9.64 (विं एवं पां)	श्री रघुनाथ सिंह (कांग्रेस)	—	28.4.64 (सभा पटल पर रखा गया) 8.5.64(विं) 18.9.64 (विं एवं पां)	श्री एम० पी० भार्गव (कांग्रेस)	—	1964 <u>का अधिनियम 26</u> 29.9.64
13.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 292, 293 आदि में संशोधन)	20.12.67 (सभा पटल पर रखा गया) 14.3.68 (विं) 29.3.68 (विं) 11.4.68 (विं) 1.5.69 (विं) 16.5.69 (विं एवं पां)	श्री दीवान चन्द्र शर्मा (कांग्रेस)	11.4.68 को प्रवर समिति को भेजा गया	3.5.63(पुं) 26.2.67 (विं) 19.8.67 (विं) 22.5.67 (विं) 4.8.67 (विं) 1.12.67 (विं) 15.12.67 (विं) 22.8.69 (विं एवं पां)	श्री दीवान चमन लाल (कांग्रेस)	19.8.66 को प्रवर समिति को भेजा गया	1969 <u>का अधिनियम 36</u> 7.9.69
14.	उच्चतम न्यायालय की अपील (दांडिक) की अधिकारिता का विस्तारण विधेयक, 1968[लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित कर दिये जाने पर शीर्षक को इस रूप में परिवर्तित कर दिया गया – उच्चतम न्यायालय (दांडिक अपीली अधिकारिता विस्तारण) विधेयक, 1970]	15.11.68 (पुं) 3.4.69 (विं) 18.4.69 (विं) 17.11.69 (विं) 19.12.69 (विं एवं पां) 25.3.70 (विं) 31.7.70 (विं एवं पां)	श्री आनंद नारायण मुल्ला (निर्दलीय)	18.4.69 को प्रवर समिति को भेजा गया	22.12.69 (सभा पटल पर रखा गया) 20.3.70 (विंएवं पां)	श्री एम० पी० भार्गव (कांग्रेस)	—	1970 <u>का अधिनियम 28</u> 9.8.70

संविधान संशोधन विधेयक

संविधान में संशोधन करने की संसद् की शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद् को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है और इसकी प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया गया है। गोलक नाथ मामले तक उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि संसद् बिना किसी प्रकार के अपवाद³⁷⁷ के संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है और यह संविधान के सभी उपबन्धों³⁷⁸ के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तथापि, गोलक नाथ के मामले में न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि मौलिक अधिकार को “छीनने या उसे न्यून करने” वाला संविधान संशोधन अवैध होगा।³⁷⁹ इस निर्णय से संसद् ने संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम बनाया जिसमें स्पष्टतः यह घोषणा की गई थी कि संविधान के उपबन्धों में संशोधन करने की संसद् की संविधायी शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और किसी मौलिक अधिकार को छीनने या उसे न्यून करने को प्रतिबन्धित करने वाला अनुच्छेद 13, अनुच्छेद³⁶⁸ के अन्तर्गत किये गये किसी सांविधान संशोधन पर लागू नहीं होता है।³⁸⁰

केशवानन्द भारती मामले में,³⁸¹ उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ मामले में दिये गये निर्णय की समीक्षा करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 संसद् को संविधान के मूल ढांचे या व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा नेहरू गांधी³⁸² मामले में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धान्त की पुनः अभिपुष्टि की गई और इसे लागू किया गया। मिनर्वा मिल्स³⁸³ मामले में, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में संसद् को सीमित संशोधनकारी शक्ति प्रदान की गई है और इस तरह से सीमित संशोधनकारी शक्ति संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। अतः संसद् अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान को निरस्त या निराकृत करने या इसकी मूल और अनिवार्य विशिष्टताओं को नष्ट करने के लिए स्वयं अधिकार प्राप्त करने हेतु अपनी संशोधनकारी शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती है। न्यायालय ने बाद के मामलों में भी मूल-ढांचे की इस धारणा को स्पष्ट किया है।³⁸⁴

अनुच्छेद 368 की विशेषताएं

संविधान में संशोधन करने की संसद् की शक्ति पर ऊपर वर्णित निर्बंधनों के अतिरिक्त, अनुच्छेद 368 के बारे में कुछ रुचिकर बातों का भी यहां उल्लेख किया जा रहा है।

- (1) संसद् द्वारा संविधान में संशोधन करते समय अपनी साधारण विधायी शक्ति से भिन्न संविधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है;
- (2) किसी विधेयक को पुरःस्थापित करके ही किसी संशोधन की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है;
- (3) ऐसे विधेयक को संसद् के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है;
- (4) इस तरह से आरंभ किये गये विधेयक को प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए;

- (5) प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की अनिवार्यता को देखते हुए किये जाने वाले किसी संशोधन पर दोनों सदनों में असहमति या किसी संविधान संशोधन विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दिये जाने पर उसे दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किये जाने की स्थिति में संयुक्त बैठक के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में वह संशोधन या विधेयक यथास्थिति, विफल हो जाता है। यहाँ नीचे ऐसे दृष्टान्त दिये गये हैं जिनमें एक सदन द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयकों को दूसरे सदन में अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था और इसलिए वे विधेयक विफल हो गये थे:

पूर्ववर्ती शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति और उन्हें प्रदत्त राशि को बंद किये जाने के बारे में संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1970 लोक सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार करने के लिए उपस्थित किये गये प्रस्ताव पर राज्य सभा में 149 मत पक्ष में और 75 मत विरोध में दिये गये। अतः उक्त प्रस्ताव मत के मामूली अन्तर या एक मत से विफल हो गया।

$$\frac{[(149+75) \times 2]}{3} = 149 \frac{1}{3} \text{ मतों की आवश्यकता थी।]}$$

इसके परिणामस्वरूप उक्त विधेयक विफल हो गया।³⁸⁵

पंचायतों और नगरपालिकाओं के बारे में संविधान (चौंसठवां और पैंसठवां संशोधन) विधेयकों, 1989, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, पर विचार करने के लिए उपस्थित किये गये प्रस्तावों पर राज्य सभा में 157 मत पक्ष में और 83 मत विरोध में दिये गये। अतः उक्त प्रस्ताव 3 मत से विफल रहे।

$$\frac{[(157+83) \times 2]}{3} = 160 \text{ मतों की आवश्यकता थी।]}$$

परिणामस्वरूप उक्त विधेयक विफल हो गया।³⁸⁶

पंजाब में राष्ट्रपति शासन के संबंध में संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में³⁸⁷, पर विचार करने के लिए उपस्थित किये गये प्रस्ताव पर लोक सभा में 236 मत प्राप्त हुए जोकि उस सदन की कुल सदस्य संख्या³⁸⁸ अर्थात् 545 से अपेक्षित बहुमत से कम थे। अतः उक्त विधेयक वहाँ विफल हो गया। एक नया विधेयक अर्थात् संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990 लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया और उसे अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया।³⁸⁹ राज्य सभा ने 10 अप्रैल, 1990 को पहले सदन द्वारा किसी प्रस्ताव पर किये गये निर्णय पर उक्त प्रस्ताव की उसी सत्र में पुनरावृत्ति को वर्जित करने वाले नियम 228 को निलंबित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर उक्त विधेयक पर विचार कर उसे पारित कर दिया।³⁹⁰

- (6) एक सदन द्वारा पारित कर दिये गये किसी संविधान संशोधन विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित नहीं किये जाने पर दूसरे सदन से भेजे गये संदेश द्वारा पहले सदन को तदनुसार सूचित कर दिया जाता है।

पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित संविधान (चौंसठवां संशोधन) विधेयक के मामले में राज्य सभा में उक्त विधेयक के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हुए कुछ सदस्यों ने एक मामला उठाया था।³⁹¹ लोक सभा से संदेश प्राप्त होने से पूर्व ही राज्य सभा स्थगित हो गई थी। अतः उक्त संदेश को संसदीय समाचार (बुलेटिन) के माध्यम से परिचालित किया गया था।³⁹²

- (7) विधेयक को पारित कर दिये जाने पर उसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे विधेयक को अपनी अनुमति देनी होती है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अपनी अनुमति देने से इंकार नहीं कर सकता है और न वह किसी साधारण विधेयक की तरह उस विधेयक को संसद् को लौटा ही सकता है।

लोक सभा सचिवालय द्वारा (विधि मंत्रालय के माध्यम से) पंजाब के संबंध में संविधान (उनसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया था। राजनीतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से उक्त विधेयक को संसद् के पुनर्विचारार्थ लौटाने या इस मामले को परामर्श हेतु उच्चतम न्यायालय को सौंपने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति ने महान्यायवादी से परामर्श किया। महान्यायवादी की राय में संविधान में संशोधन संबंधी किसी मामले में इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है।³⁹³

- (8) अनुच्छेद 368 के परन्तुक में उल्लिखित किसी उपबंध में परिवर्तन करने वाले संशोधन का कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।
- (9) इस प्रकार का अनुसमर्थन राज्य विधान-मंडलों द्वारा पारित किये गये संकल्पों द्वारा किया जाना चाहिए।
- (10) राज्य विधान-मंडलों द्वारा किसी संशोधनकारी विधेयक के अनुसमर्थन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि, संशोधनकारी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ध्यान में रखा जाने वाला अनुसमर्थन कर दिया जाना चाहिए। विधेयक पर अपनी सहमति देने के बाद यदि राज्य विधान-मंडल इसका अनुसमर्थन करता है तो प्रथानुसार संकल्प की एक प्रति विधि मंत्रालय को भेजी जाती है।
- (11) केवल संसद् ही संविधान में संशोधन कर सकती है और इस संबंध में राज्यों की भूमिका अनुच्छेद 368 के परन्तुक में उल्लिखित कतिपय प्रकार के संशोधनों के अनुसमर्थन तक ही सीमित है।

राज्य सभा में पुरःस्थापित किये गये संविधान संशोधन विधेयक

किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन लाया जा सकता है। जहां तक संविधान में संशोधन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संबंध है, उन्हें प्रायः प्रत्येक सत्र में नियमों के अध्यक्षीन, दोनों सदनों में पुरःस्थापित किया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसे किसी विधेयक को पारित नहीं किया गया है। जहां तक सरकारी विधेयकों का संबंध है, इस बात पर विचार किये बिना कि उन्हें किस वर्ष में पुरःस्थापित किया गया है, उनकी क्रमवर्ती संख्या उन्हें विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। यह बात पारित किये जाने वाले और संसद् के अधिनियम बनने वाले विधेयकों पर भी लागू होती है। राज्य सभा में अब तक निम्नलिखित संविधान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किये गये हैं और पारित किये गये हैं:

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1967 (सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना), 20 मार्च, 1967 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (उनसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 (पंजाब के संबंध में उद्घोषणा), 14 मार्च, 1988 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 (लोक सभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण जारी रखना), 20 दिसम्बर, 1989 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992, संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित (राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को विधान सभाओं के सदस्यों को निर्वाचक-मंडल में सम्मिलित किया जाना), 3 अप्रैल, 1992 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1994, संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित (कतिपय राज्य अधिनियमों को नवीं अनुसूची में शामिल किया जाना), 19 अप्रैल, 1994 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक, 1994, संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित (शैक्षिक संस्थानों आदि में स्थानों के आरक्षण के बारे में तमिलनाडु अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल किया जाना), 24 अगस्त, 1994 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्य के अधीन सेवाओं में किसी पद श्रेणी या श्रेणियों में अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के संबंध में), 31 मई को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1995 (नौवीं अनुसूची में कतिपय प्रविष्टियों को शामिल करना), विधेयक 1994; संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 (स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के लिए समय विस्तार हेतु), 26 अक्टूबर, 1999 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 2000 (राज्यों में लेवी और कर निर्धारण के बारे में), 9 मार्च, 2000 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 2000 (उत्तरोत्तर वर्ष या वर्षों में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए), 8 मई, 2000 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (बयासीवां संशोधन) विधेयक, 2000 (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए किसी परीक्षा में अर्ह अंकों में छूट या मूल्यांकन के स्तर को कम करने का उपबंध) 23 दिसम्बर, 1999 को पुरःस्थापित किया गया; संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक 2000 (अरुणाचल प्रदेश राज्य पर अनुच्छेद 243 के उपबंध लागू न होना) 17 दिसम्बर, 1999 को पुरःस्थापित किया गया।

ऊपर उल्लिखित विधेयकों के अतिरिक्त, राज्य सभा में सरकार द्वारा निम्नलिखित संविधान संशोधन विधेयक भी पुरःस्थापित किये गये थे, परन्तु उन्हें प्रत्येक विधेयक के समक्ष उल्लिखित कारणों से अधिनियमित नहीं किया जा सका:

संविधान इकतालीसवां संशोधन विधेयक, 1975 (अनुच्छेद 361 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री को संरक्षण), 9 अगस्त, 1975 को पुरःस्थापित किया गया और उसी दिन पारित कर दिया गया और 5 जनवरी, 1976 को लोक सभा को भेज दिया गया; पांचवीं लोक सभा के भंग हो जाने पर यह व्यपगत हो गया।

संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1968, ('खेल-कूद' का राज्य सूची से समवर्ती सूची में अन्तरण) 24 नवम्बर, 1988 को पुरःस्थापित किया गया; यह राज्य सभा में लंबित है।

संविधान (चौसठवां संशोधन) विधेयक, 1990 (पंजाब के संबंध में उद्घोषणा का विस्तार) 27 मार्च, 1990 को पुरःस्थापित किया गया, 28 मार्च, 1990 को पारित किया गया और लोक सभा को भेज दिया गया; यह 30 मार्च, 1990 को वहां विफल हो गया।

संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (निर्वाचन आयोग) 30 मई, 1990 को पुरःस्थापित किया गया; इसे 13 जून, 1994 को वापस ले लिया गया, क्योंकि सरकार इस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती थी।

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 (लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में स्थानों का पुनर्समायोजन) 30 मई, 1990 को पुरःस्थापित किया गया, इसे 29 अप्रैल, 1992 को पारित कर दिया गया और 4 मई, 1992 को लोक सभा को भेज दिया गया; लोक सभा ने 7 मई, 1992 को विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया; 13 जून, 1994 को राज्य सभा द्वारा दी गई सहमति से 14 जून, 1994 को विधेयक को वापस ले लिया गया।

संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1992 (जनसंख्या नियंत्रण और छोटा परिवार प्रतिमान) 22 दिसम्बर, 1992 को पुरःस्थापित किया गया; विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया; 22 मार्च, 1995 को समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया; यह राज्य सभा में लंबित है।

संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997, 28 जुलाई, 1997 को पुरःस्थापित किया गया; यह विधेयक 29 नवम्बर, 1997 को विभाग-संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंपा गया; समिति का प्रतिवेदन 29 नवम्बर, 1997 को सौंपा गया; राज्य सभा में यह विधेयक लंबित है।

इसी तरह, संविधान (सत्तासीवां संशोधन) विधेयक, 1998, 17 दिसम्बर, 1999 को पुरःस्थापित किया गया; अन्य राजनैतिक दलों के साथ परामर्श से व्यापक विधान लाने के लिए विचार उभर कर आया और इसलिए विधेयक पर राज्य सभा में विचार नहीं किया जा सका और यह अभी भी लंबित है।

संशोधनों की श्रेणियां

संविधान में संशोधनों की तीन श्रेणियों का उपबंध किया गया है।³⁹⁴ प्रथम श्रेणी में ऐसे संशोधन आते हैं जिन्हें संसद् द्वारा साधारण बहुमत से पारित विधि द्वारा प्रवृत्त किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में ऐसे संशोधन आते हैं जिन्हें संसद् द्वारा विनिर्दिष्ट 'विशेष बहुमत' से प्रवृत्त किया जा सकता है। तीसरी श्रेणी के संशोधनों को विशेष बहुमत से पारित कर दिये जाने के उपरांत उनका कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक होता है। तथापि, इस श्रेणीकरण में संविधान के ऐसे असंख्य अनुच्छेदों³⁹⁵ को सम्मिलित नहीं किया गया है जोकि मामलों को संसद् द्वारा विधि द्वारा निपटायें जाने के लिए छोड़ देते हैं—उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत नागरिकता प्रदान किया जाना—चूंकि ऐसी विधियों से संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः तीन श्रेणियों के अन्तर्गत ही संशोधनकारी प्रक्रिया का यहां नीचे वर्णन किया गया है।

साधारण बहुमत से संशोधन

निम्नलिखित विषयों से संबंधित विधेयक को सामान्य विधेयक मानते हुए साधारण बहुमत से पारित किया जाता है—नये राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना या नये राज्यों का गठन और विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन;³⁹⁶ राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समाप्ति;³⁹⁷ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण;³⁹⁸ असम, मेघालय और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन;³⁹⁹ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेशों में संशोधन।⁴⁰⁰

इस श्रेणी के संशोधन पर सामान्य विधायी प्रक्रिया लागू होती है। तथापि, इससे पूर्व कि संसद् ऐसे कुछ संशोधनों के बारे में विधान बनाये, संविधान में इस संबंध में कतिपय शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति की अनुशंसा और राष्ट्रपति द्वारा ऐसे विधेयक को विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर संबंधित राज्य के विधान-मंडल को उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजे जाने पर ही किसी नये राज्य आदि के गठन के लिए विधेयक संसद् के किसी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है।⁴⁰¹ इसके अतिरिक्त, राज्यों में किसी विधान परिषद् की समाप्ति या सृजन के लिए संसद् अपनी कानून बनाने की शक्ति का उसी स्थिति में प्रयोग कर सकती है जबकि संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा विधान सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से इस आशय का कोई संकल्प पारित किया गया हो।⁴⁰²

विशेष बहुमत से संशोधन

ऊपर उल्लिखित उपबंधों और अनुसूचियों के अतिरिक्त, जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, संविधान के किसी अन्य उपबंध में संशोधन करने वाले विधेयक को संसद् के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत अर्थात् "उस सदन की कुल सदस्य-संख्या के बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत" से पारित करना होता है। संविधान में वर्णित कुल सदस्य-संख्या से किन्हीं रिक्तियों या किसी कारण से अनुपस्थित सदस्यों पर विचार किये बिना उस सदन की कुल सदस्य-संख्या अभिप्रेत है।⁴⁰³ किसी प्रश्न पर कराये गये मतदान के परिणाम की घोषणा करते समय तटस्थ रहने वालों (मतदान में भाग न लेने वाले सदस्यों) पर विचार नहीं किया जाता है।

किसी संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में किसी सदस्य ने यह इच्छा प्रकट की कि सभापति 'उपस्थित और मतदान करने वाले' अभिव्यक्ति की व्याख्या करें और यह भी सुनिश्चित करना चाहा कि क्या बहुमत का निर्णय करते समय मतदान में भाग नहीं लेने वाले सदस्यों की गणना भी की जायेगी। उपसभापति ने यह कहते हुए कि सामान्य अर्थों में मतदान से 'हां' वाले या 'ना' वाले अभिप्रेत हैं, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि "यह बात सुस्थापित हो चुकी है कि किसी प्रश्न पर कराये गये मतदान के परिणाम की घोषणा

करते समय “तटस्थ रहने वालों” (मतदान में भाग न लेने वाले सदस्यों) पर विचार नहीं किया जाता है। यदि कोई सदस्य ‘इलैक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर’ के माध्यम से या मत-पत्रों पर या किसी भी अन्य तरीके से मतदान में भाग नहीं लेने की इच्छा व्यक्त करता है, तो वह सदन में मात्र अपनी उपस्थिति और मतदान में भाग न लेने की अपनी इच्छा ही प्रकट करता है। वह ‘उपस्थित और मतदान करने वाले’ वाक्यांश के अर्थान्तर्गत अपना मत दर्ज नहीं करता है। ‘उपस्थित और मतदान करने वाले’ अभिव्यक्ति ‘हां’ वाले या ‘ना’ वाले सदस्यों के लिए मत देने वाले सदस्यों से सम्बन्धित है न कि उनसे जो सदन में मात्र उपस्थित होते हैं और सदन के समक्ष किसी प्रश्न पर किये गये मतदान में न तो पक्ष में और न ही विरोध में मत देते हैं। विगत में भी इस सदन में यही परिपाटी रही है ताकि सदस्य जब कभी भी मतदान में भाग नहीं लें, तो मत-विभाजन के परिणाम की घोषणा के प्रयोजनार्थ उनकी गणना न की जाये। निर्वाचन में भी यदि कोई मतदान नहीं करता है, तो उसके मत की गणना नहीं की जाती है।⁴⁰⁴

विशेष बहुमत और कतिपय विधेयकों का राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन किये जाने की शर्तों के अतिरिक्त, संविधान में संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में सदन में अपनायी जाने वाली अन्य किसी प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। जैसीकि उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है, “संसद् को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करते समय इसके गठन का उपबंध करके और प्रत्येक सदन द्वारा बनाये जाने वाले नियमों (अनुच्छेद 118) के साथ-साथ इसके सामान्य विधायी कार्य के संचालनार्थ कतिपय प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करके संविधान-निर्माताओं की यह मंशा रही होगी कि संसद् अनुच्छेद 368 के स्पष्ट उपबंधों के अनुरूप यथासंभव सीमा तक उक्त प्रक्रिया का पालन करे।⁴⁰⁵ तथापि, राज्य सभा के प्रक्रिया विषयक नियमों में ऐसे विधेयकों के संबंध में कोई विशेष उपबंध नहीं किये गये हैं और इसलिए अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अध्वधीन सामान्य विधेयकों संबंधी नियम ही लागू होते हैं।

प्रारूप नियमों संबंधी समिति ने इस पर विचार किया कि क्या संविधान संशोधन विधेयकों संबंधी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए विशेष नियम बनाये जाने चाहिए और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्तमान परिपाटी और प्रक्रिया संतोषप्रद रही है और इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट उपबन्ध बनाया जाना अनावश्यक है।⁴⁰⁶

यद्यपि अनुच्छेद 368 की सही-सही व्याख्या करने पर किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए केवल अन्तिम चरण में ही विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तथापि, परिपाटी के अनुरूप और अत्यधिक सावधानी बरतते हुए विधेयक के सभी प्रभावी चरणों में अर्थात् विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने, खण्डों और अनुसूचियों को स्वीकार करने और विधेयक को पारित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में सांवैधानिक अपेक्षा का पालन किया जाता है।

1951 में लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लिखे गये एक पत्र के उत्तर में महान्यायवादी ने निम्नलिखित राय व्यक्त की थी:

“जब विधेयक को प्रत्येक सदन में पारित किया जाये” अभिव्यक्ति का संबंध [विधेयक को अन्तिम चरण,] में किये जाने से है। अतः अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत जिस बहुमत पर बल दिया गया है वह केवल अन्तिम चरण में होने वाले मतदान पर ही लागू होता है तथापि, सही दिशा में गलती करना और विधेयक को पारित किये जाने के सभी चरणों में अपेक्षित बहुमत पर बल देते हुए इसका कड़ाई से पालन किया जाना श्रेयस्कर है।⁴⁰⁷

तथापि, विधेयक को किसी प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपे जाने के किसी प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

क्रमशः 1954 और 1955 के संविधान के तीसरे और चौथे संशोधन विधेयकों को संयुक्त समितियों को सौंपे जाने के प्रस्तावों को पहले विशेष बहुमत से स्वीकृत किया गया था।⁴⁰⁸ तथापि, बाद में प्रस्तावों को साधारण बहुमत से स्वीकृत किया गया था।⁴⁰⁹

किसी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करने के लिए हमेशा मत-विभाजन कराया जाता है। सभापति मतदान के परिणाम की घोषणा करते समय इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करता है कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक खण्ड या अनुसूची पर सभा में पृथक-पृथक मत लिया जाता है और उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तथापि, सभापति सदन की सहमति से खण्डों या अनुसूचियों के किसी समूह पर सदन में एक साथ मत ले सकता है।

11 सितम्बर, 1956 को संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक, 1956 पर विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपसभापति ने उनतीस खण्डों और एक अनुसूची वाले विधेयक पर, जिसमें यदि प्रत्येक खण्ड को पृथक-पृथक विशेष बहुमत से निपटये जाने पर कम-से-कम तीस बार मत-विभाजन करना पड़ता, खंडशः विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने की घोषणा की:

...मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पहले संशोधनों पर विचार किया जाये। हम सभी खण्डों में सभी संशोधनों को निपटाने के बाद सदन का समय बचाने की दृष्टि से सभी खंडों पर एक साथ विचार करेंगे... किसी संशोधन को स्वीकार कर लिए जाने पर हम उस खण्ड पर भी मत लेंगे।

तदनुसार, पहले संशोधनों को निपटया गया, उन्हें या तो वापस ले लिया गया या फिर ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् उन्होंने खण्ड 6, 18 और 24 पर अलग-अलग और अन्य खण्डों और अनुसूची पर एक साथ मत लिया। इस तरह से खण्डों और अनुसूची के निपटान में सिर्फ चार बार मत-विभाजन कराना पड़ा; लेकिन मत-विभाजन के परिणाम को प्रत्येक खंड और अनुसूची पर पृथक-पृथक रूप से लागू किया गया।¹⁰

31 अगस्त, 1978 को संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978 पर खण्डशः विचार आरम्भ किये जाने से पूर्व सभापति ने उसके सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया की घोषणा की:

...किसी खण्ड विशेष पर विचार करते समय खंडों में संशोधनों को उपस्थित किया जा सकता है, उन पर विचार किया जा सकता है और उनका निपटान किया जा सकता है। यदि किसी संशोधन को साधारण बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाता है, तो उस यथासंशोधित खण्ड विशेष पर तत्काल मत लिया जायेगा। यथासंशोधित खण्ड को स्वीकृत करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट विशेष बहुमत आवश्यक होगा। यदि संशोधित खण्ड को विनिर्दिष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में उस खण्ड विशेष को सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाना समझा जायेगा। तत्पश्चात् ऐसे सभी खण्डों पर, जिनके संबंध में कोई संशोधन नहीं है या जिनके संबंध में संशोधन स्वीकृत नहीं किये गया हैं; एक साथ मत लिया जायेगा। यदि कोई सदस्य किसी खण्ड विशेष पर पृथक से मत लिये जाने का आग्रह करता है, तो तदनुसार उस खण्ड पर मतदान कराया जायेगा।¹¹

सदन ने उक्त प्रक्रिया पर अपनी सहमति व्यक्त की।

विशेष बहुमत से संशोधन और राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन

यदि किसी संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के निर्वाचन⁴¹² या संघ या राज्यों⁴¹³ या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों⁴¹⁴ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार या संघ और राज्यों⁴¹⁵ के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन या संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व या संविधान में यथाविनिर्दिष्ट संशोधन प्रक्रिया⁴¹⁶ से संबंधित अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उक्त संशोधन को विशेष बहुमत से पारित कर दिये जाने के पश्चात् ऐसे संशोधन के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित करके उसका अनुसमर्थन किया जाना भी आवश्यक होता है। संविधान में राज्य विधान-मंडलों के पास भेजे गये संशोधनों के अनुसमर्थन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विधि मंत्रालय की इस बारे में हमेशा राय ली जाती है कि क्या किसी संशोधन विशेष का राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। किसी मामले पर संदेह की स्थिति में सभापति महान्यायवादी की राय जानने के लिए उक्त मामले को उनके पास भेज सकते हैं।

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 अनुच्छेद 31 के संशोधनार्थ और नये अनुच्छेद 31-ग को जोड़े जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। विधि और न्याय मंत्री ने सदन में यह वक्तव्य दिया कि यह प्रश्न किया गया है कि क्या विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का अनुच्छेद 368 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए यह तर्क दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 31-ग के लिए प्रयुक्त की गई शब्दावली से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में कुछ कमी हो जाती है और इसलिए इस अनुच्छेद का अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। सरकार का यह दृष्टिकोण था कि इस प्रकार के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, संभावित कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से और अत्यधिक सावधानी बरतते हुए विधेयक को अनुसमर्थन के लिए राज्य विधान-मंडलों के पास भेजने का निर्णय किया गया।¹¹⁷

संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। विधि मंत्रालय के परामर्श पर विधेयक को अनुसमर्थन के लिए राज्य विधान-मंडलों के पास भेजा गया। इसी दौरान एक सदस्य ने विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन में यह मामला उठाते हुए यह तर्क दिया कि उक्त विधेयक का अनुसमर्थन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।¹¹⁸ बाद में एक सदस्य के सुझाव पर सभापति ने इस मामले पर महान्यायवादी की राय जानने हेतु इसे उनके पास भेज दिया जिन्होंने विधि मंत्रालय के विचार और विधेयक को राज्य विधान-मंडलों के पास अनुसमर्थन के लिए भेजने की अभिप्राय कर दी।¹¹⁹

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 से पूर्व राज्यों द्वारा अनुसमर्थन संबंधी प्रक्रिया यह थी कि केंद्रीय विधि मंत्रालय राज्य विधान-मंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त कर तदनुसार सचिवालय को सूचित कर देता था। 1969 में गोआ में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि “विधान-मंडल से विधान-मंडल को संसूचना दी जानी चाहिए, चाहे यह राज्य सभा हो या लोक सभा, इसे सीधे राज्य विधान-मंडलों के पास भेजा जाना चाहिए और इसमें किसी भी मंत्रालय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।” इस मामले में तब से ही सचिवालय द्वारा राज्य विधान-मंडल के सचिवालयों को संसूचनाएं भेजी जाती हैं। संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथापारित विधेयक की प्रति को अग्रेषित करते हुए उन्हें अनुसमर्थन के लिए निम्नलिखित सामान्य संकल्प प्रारूप का भी सुझाव दिया जाता है:

यह सदन अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड-के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (संशोधन) विधेयक 20... द्वारा भारत के संविधान में किये जाने वाले संशोधन का अनुसमर्थन करता है।¹²⁰

प्रस्तावित संशोधन का अपेक्षित संख्या में राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन कर दिये जाने के उपरान्त विधेयक के संबंध में सभापति द्वारा हस्ताक्षरित निम्न पृष्ठांकन सहित विधेयक को विधि मंत्रालय के सचिव के माध्यम से राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है: “उपर्युक्त विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुरूप संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और इसका उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत यथाअपेक्षित इस आशय के संकल्पों द्वारा कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन भी कर दिया गया है।” विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करते समय विधि मंत्रालय को टिप्पण के साथ संकल्पों की “जेरोक्स” प्रतियां भी भेजी जाती हैं।

अब तक तिरासी संविधान संशोधनों में से पैंतीस संशोधनों के संबंध में ही विधेयकों को अनुसमर्थन के लिए राज्य विधान-मंडलों के पास भेजा गया है। ये विधेयक हैं:—दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, तेरहवां से सोलहवां, बाईसवां से पच्चीसवां, अट्ठाईसवां, तीसवां से बत्तीसवां, पैंतीसवां, छत्तीसवां, अड़तीसवां,

उनतालीसवां, बयालीसवां से छियालीसवां, इक्यावनवां, चौवनवां, इकसठवां, बासठवां, सत्तरवां, तिहत्तरवां से पिचहत्तरवां¹²¹ जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, तेईसवें संशोधन तक विधि मंत्रालय अनुसमर्थन प्राप्त करता था। चवालीसवें और बासठवें संशोधनों के अतिरिक्त, जिनके संबंध में लोक सभा सचिवालय द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त किया गया था, बाद के संशोधनों के संबंध में राज्य सभा सचिवालय द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त किया गया था।

दल-परिवर्तन विरोधी विधि के रूप में विख्यात संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 का राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर एक बार यह विचार किया गया था कि क्या अनुसमर्थन के अभाव में यह सम्पूर्ण सांवैधानिक संशोधन दोषपूर्ण है। न्यायालय ने उक्त अधिनियम द्वारा अन्तःस्थापित की गई दसवीं अनुसूची की वैधता को उचित ठहराया, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 227 की पदावली और इनके प्रभाव में किये गये परिवर्तन के कारण इसके अनुसमर्थन के अभाव में इसके पैराग्राफ 7 को अवैध घोषित कर दिया। ऐसा करते समय बहुमत ने पैराग्राफ 7 को शेष, अनुसूची से विभाज्य होना माना। तथापि, न्यायाधीशों के अल्पमत ने यह निर्णय दिया कि अनुसमर्थन के अभाव में यह सम्पूर्ण सांवैधानिक संशोधन अधिनियम अविधिमान्य है।¹²²

टिप्पणियां और संदर्भ

1. उदाहरणों के लिए देखिए मानवीय अंगों का प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42), पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1995, माध्यस्थम् और संराधन अधिनियम, 1996 में एक से अधिक उद्देशिकाएं हैं।
2. 1954 में अंगीकृत अधिनियम सूत्र यह था "हमारे गणराज्य के वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो" राज्य सभा वाद-विवाद, 6.5.1954, कॉलम 5291। संसद् के दोनों सदनों द्वारा यथापारित रूप में वर्तमान सूत्र सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, 1954 में प्रयुक्त किया गया था।
3. उदाहरणार्थ, देखिए 18.5.1995 को राज्य सभा में पुरःस्थापित दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 तथा 21.8.1995 को लोक सभा में पुरःस्थापित दंड विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995। तथापि, संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में लघु शीर्षकों के अंतर्गत संख्याएं क्रमवर्ती रूप से दी जाती हैं।
4. अद्यतन उदाहरण के लिए देखिए मानवीय अंगों का प्रतिरोपण अधिनियम, 1994
5. उदाहरणार्थ, देखिए दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995
6. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, धारा 5(1)
7. उदाहरणार्थ, देखिए लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994
8. उदाहरणार्थ, देखिए आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 तथा आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम, 1995
9. उदाहरणार्थ, देखिए श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम अधिनियम, 1980, धारा 2
10. उदाहरणार्थ, देखिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958, धाराएं 357 और 390
11. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, धारा 6
12. उदाहरणार्थ, देखिए माध्यस्थम् और संराधन विधेयक, 1995
13. नियम 62(1)
14. -वही- परंतुक
15. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.7.1982, कॉलम 226-27; फाइल संख्या 2/16/82-बी

16. नियम 65
17. विधेयकों को तैयार करने और पारित करने संबंधी ज्ञापन, विधि मंत्रालय (1958), पृष्ठ 12 (इसके पश्चात् ज्ञापन के रूप में उल्लिखित)
18. नियम 64
19. उदाहरणार्थ, देखिए वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1993, 6.12.1993 को राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में
20. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.12.1953, कालम 1277-86
21. संविधान सभा (वि.) वाद-विवाद, 9.12.1947, पृष्ठ 1568
22. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.12.1956, कालम 2489-97
23. -वही- 4.9.1959, कालम 2968-69
24. -वही- 11.5.1963, कालम 3128-51; राज्य सभा वाद-विवाद, 30.8.1965, कालम 1924; 7.12.1965, कालम 4077-78; 1.6.1967, कालम 1740-42; 23.12.1968, कालम 5331; 23.1.1985, कालम 192-93; 19.3.1986, कालम 165-66 और 26.8.1987, कालम 265
25. -वही- 8.5.1986, कालम 223-81
26. अनुच्छेद 107(1)
27. अनुच्छेद 107(2)
28. ज्ञापन, पृष्ठ 3
29. बक्शी, पी० एम०, लेजिस्लेटिव प्रोसेस: आइडियल्स एण्ड रिऐलिटी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ 23-24
30. -वही- पृष्ठ 26
31. ज्ञापन, पृष्ठ 4
32. -वही- पृष्ठ 5
33. -वही- पृष्ठ 5-13
34. वार्षिक प्रतिवेदन, संसदीय कार्य मंत्रालय, 1994-95, पृष्ठ 47
35. प्रक्रिया के प्रारूप नियम संबंधी समिति का प्रतिवेदन
36. उदाहरणार्थ, देखिए हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, 1954 का प्रलेख-सार पृष्ठ और फाइल सं० सी०एस०/7/11/54-एल(बी)
37. राज्य सभा वाद-विवाद, 12.12.1967, कालम 3587-88
38. नियम 61
39. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.3.1955, कालम 2716-17
40. संसदीय समाचार (2), 8.5.1952
41. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.8.1956, कालम 2115-17
42. -वही- 14.12.1956, कालम 2499-2501
43. -वही- 16.3.1956, कालम 2899

44. 28.8.1987 के लिए संशोधित कार्यावलि
45. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.8.1987, कालम 221-25
46. -वही- 13.5.1988, कालम 370-89
47. फाइल सं० 1/28/95-बी और 1/42/95-बी
48. नियम 225
49. नियम 67
50. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1952, कालम 2102-07
51. -वही- 15.3.1954, कालम 2737-40
52. -वही- 6.5.1982, कालम 242-49
53. -वही- 22.12.1983, कालम 283-85
54. -वही- 19.3.1986, कालम 159-66
55. -वही- 26.8.1987, कालम 263-67
56. -वही- 14.3.1988, कालम 253-302
57. संसदीय समाचार (1), 24.11.1988
58. -वही- 23.2.1994
59. -वही- 2.5.1994
- 59क. -वही- 4.2.2004
60. नियम 68
61. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.8.1952, कालम 2847-48 तथापि औपचारिक पुरःस्थापन से पूर्व विशेष विवाह विधेयक, 1952 की प्रतियां उपलब्ध न कराने के संबंध में मंत्री की टिप्पणियों के लिए देखिए राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1952, कालम 2106
62. फाइल संख्या सी० एस० 22(35)/52-एल(बी)
63. नियम 69
64. -वही- परंतुक
65. उदाहरणार्थ, 14 मार्च, 1988 को संविधान (उनसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 पुरःस्थापित किया गया तथा उस पर तत्काल विचार आरंभ कर दिया गया और संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक 24 अगस्त, 1994 को पुरःस्थापित किया गया और उसे उसी दिन पारित कर दिया गया
66. नियम 71
67. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.7.1967, कालम 130-34
68. -वही- 2.6.1995, संविधान (छियासीवां संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में
69. -वही- 14.8.1989, कालम 73-96
70. नियम 70(2)

71. उदाहरणार्थ, देखिए पाद टिप्पण 89 और 90
72. नियम 70(1)
73. उदाहरणार्थ, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) विधेयक, 1981 तथा चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1981 पर 23 अप्रैल, 1981 को एक साथ विचार किया गया; यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982 पर 2 नवंबर, 1982 को एक साथ विचार किया गया
74. नियम 69 (iv)
75. नियम 70(2)
76. -वही-
77. फाइल संख्या सी० एस्० 22/14/52-एल(बी)
78. संसदीय समाचार (2), 17.2.1953
79. नियम 70(3)
80. संसदीय समाचार (1), 7.8.1952
81. -वही- 7.8.1952
82. -वही- 20.12.1952
83. -वही- 20.4.1953
84. आगे और भी नियम 72(1); राज्य सभा वाद-विवाद, 25.1.1980, कालम 70-71
85. संसदीय समाचार (1), 7.8.1995 और 8.8.1995
86. नियम 72(2) तथापि देखिए, राज्य सभा वाद-विवाद 7.12.1971, कालम 19-20, राज्य सभा वाद-विवाद, 14.4.1972, कालम 119
87. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.9.1953, कालम 2502
88. -वही- 2.6.1995, कालम 323
89. -वही- 2.3.1982, कालम 293-303
90. -वही- 2.8.1982, कालम 207-15
91. -वही- 11.12.1956, कालम 2104-06
92. संसदीय समाचार (1), 8.8.1995; और संसदीय समाचार (2), 15.11.1995
93. अनुच्छेद 88, उदाहरणार्थ, सरदार एस्०एस्० मजीठिया, उप रक्षा मंत्री तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री, जो लोक सभा के सदस्य थे, को क्रमशः छावनी (संशोधन) विधेयक, 1952 तथा बालक विधेयक, 1953 संबंधी राज्य सभा की प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया; देखिए राज्य सभा वाद-विवाद, 6.12.1952, कालम 1013; 19.12.1953, कालम 2953
94. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.3.1954, कालम 2886-88
95. -वही- 16.2.1956, कालम 61-62
96. -वही- 2.5.1956, कालम 1031

97. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.5.1957, कालम 1536
98. राज्य सभा वाद-विवाद, 29.8.1985, कालम 28-32 और 70-72
99. -वही- 4.8.1993, कालम 304-12
100. -वही- 2.6.1995; संसदीय समाचार (2), 15.11.1995
101. संसदीय समाचार (1), 16.9.1954 और 20.9.1954
102. -वही- 16.9.1963
103. -वही- 2.8.1982
104. -वही- 8.8.1995
105. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.9.1953, कालम 2551
106. -वही- 17.9.1954, कालम 2417-24 और 2622
107. -वही- 24.7.1952, कालम 1876
108. -वही- 2.3.1982; 27.7.1982; 27.4.1988 और 7.1.1991
109. -वही- 24.7.1952, कालम 1880-81; तथापि, इस मामले के संबंध में क्रमशः उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष के विनिर्णयों हेतु लोक सभा वाद-विवाद, 17.12.1953, कालम 2427 और 30.4.1956, कालम 6744-51 भी देखिए
110. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.7.1952, कालम 1875-76
111. फाइल संख्या सी०एस०/3/52-एल
112. संसदीय समाचार (1) 25.8.1954 और लोक सभा संसदीय समाचार (1), 8.12.1954; संसदीय समाचार (1), 10.12.1954 और 20.12.1954
113. राज्य सभा वाद-विवाद, 7.9.1962, कालम 5809-10 और लोक सभा संसदीय समाचार (1), 7.9.1962
114. संसदीय समाचार (1), 13.5.1988
115. लोक सभा संसदीय समाचार (1), 13.9.1996 और संसदीय समाचार (2), 7.10.1996
116. नियम 270(ख) और 273
117. संसदीय समाचार (2), 8.9.1995
118. -वही- 26.8.1995 और 13.9.1995
119. राज्य सभा वाद-विवाद, 10.8.1993, कालम 640-42 और संसदीय समाचार (2), 13.8.1993
120. संसदीय समाचार (2), 10.1.1994 (संख्या 34207)
121. संसदीय समाचार (1), 2.5.1994 और संसदीय समाचार (2), 9.6.1994
122. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.8.1994 कालम 379-419 और 23.8.1994 कालम 389-90; संसदीय समाचार (1), 23.8.1994 और संसदीय समाचार (2), 26.8.1994
123. नियम 273(ख)
124. संसदीय समाचार (2), 10.1.1994 और 1.3.1994
- 124क. -वही- 18.5.1995
125. -वही- 22.10.1997

126. संसदीय समाचार (2) 10.6.1998
127. -वही- 30.7.1998
128. -वही- 7.12.1998
129. -वही- 10.12.1998
130. -वही- 21.1.2000
- 130क. -वही- 30.5.2003
131. फाइल संख्या 5/1/96-बी, संसदीय समाचार (2), 4.10.1996
132. नियम 93
133. नियम 94
134. नियम 93(2)
135. राज्य सभा वाद-विवाद, 2.12.1968, कालम 2249-65
136. नियम 274(1) नियम 277 के साथ पठित
137. संसदीय समाचार (1), 25.8.1994
138. नियम 104
139. नियम 105
140. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.4.1953, कालम 3322-29 और 3402-03
141. -वही- 24.8.1981, कालम 228-35
142. नियम 106
143. नियम 107
144. नियम 223
145. नियम 95
146. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.11.1957, कालम 164-69, 245-46 और 10.12.1971, कालम 44
147. नियम 96(i)
148. फाइल संख्या 1/1/81-बी और राज्य सभा वाद-विवाद, 24.8.1981
149. नियम 96(ii)
150. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.8.1971, कालम 240-41
151. नियम 96 (iii)
152. नियम 96 (iv)
153. नियम 96 (v)
154. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.9.1956, कालम 4150-53 और 4177-78

155. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.4.1953, कालम 3329-61
156. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.12.1954, कालम 2657-60
157. -वही- 20.12.1957, कालम 3452-53; राज्य सभा वाद-विवाद, 18.2.1958, कालम 780-84 भी देखिए
158. नियम 97
159. नियम 98
160. संसदीय समाचार (2), 8.5.1989
161. अनुच्छेद 117(1), परंतुक
162. अनुच्छेद 274(1)
163. कांउंसिल ऑफ स्टेट्स वाद-विवाद, 24.11.1952, कालम 124
164. अनुच्छेद 117(1) परंतुक; राज्य सभा वाद-विवाद, 28.4.1961, कालम 1277 और 1.5.1961, कालम 1403-04
165. नियम 100
166. नियम 95(2)
167. नियम 225
168. नियम 95(1), परंतुक
169. नियम 99
170. नियम 96(v), परंतुक
171. नियम 101
172. आगे और भी नियम 229(2)
173. नियम 103
174. नियम 109
175. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.4.1977, कालम 221 और 265
176. नियम 109(2) और (3)
177. नियम 109(4)
178. नियम 110
179. नियम 108; उदाहरणार्थ, फाइल संख्या 1/68/88-बी और 1/12/92-बी
180. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.5.1954, कालम 5291
181. -वही- 5.3.1956, कालम 1571
182. नियम 117
183. राज्य सभा वाद-विवाद, 5.8.1975, कालम 72-74
184. -वही- 24.12.1968, कालम 5542
185. -वही- 16.9.1963, कालम 4319-29

186. नियम 230(2)
187. नियम 118
188. नियम 118 परंतुक
189. -वही- द्वितीय परंतुक
190. लोक सभा नियम 110, द्वितीय परंतुक
191. राज्य सभा वाद-विवाद, 29.5.1956; 27.7.1966; 17.11.1970; 28.7.1983; 25.2.1993; 1.3.1993 और 13.6.1994
192. फाइल संख्या 1/6/ 88-बी; 1/1/91-बी और 1/35/95-बी
193. नियम 119
194. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.8.1959, कालम 254-64; राज्य सभा वाद-विवाद, 27.7.1966, कालम 446-58 और 17.11.1970 कालम 168-69 भी देखिए
195. फाइल संख्या 1/35/95-बी, और राज्य सभा वाद-विवाद, 22.8.1995, कालम 368
196. नियम 120(1)
197. नियम 120(2)
198. नियम 185(3)
199. नियम 112
200. नियम 113
201. नियम 114(1)
202. नियम 114(2)
203. नियम 115
204. नियम 116
205. अनुच्छेद 108(1)
206. विस्तृत ब्यौरे के लिए देखिए ऊपर अध्याय-5
207. नियम 121
208. नियम 122
209. नियम 123
210. सूचना के छोड़ दिए जाने के लिए देखिए फाइल संख्या 1/12/92-बी, नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1993 के संबंध में
211. राज्य सभा वाद-विवाद, 24.12.1969, कालम 5859
212. -वही- 15.12.1977, कालम 180-87
213. -वही- 8.5.1986, कालम 280
214. -वही- 16.12.1987, कालम 78-93
215. नियम 124

216. नियम 125
217. नियम 126
218. नियम 127
219. नियम 128
220. संसदीय समाचार (1), 30.3.1990; 10.4.1990; 5.9.1990; 9.8.2000; 10.8.2000 और 11.8.2000
221. नियम 129
222. नियम 130
223. नियम 131(1)
224. नियम 131(2)
225. नियम 132
226. नियम 133
227. नियम 134
228. विस्तृत ब्यौरे के लिए देखिए ऊपर अध्याय-5 और राज्य सभा वाद-विवाद, 8.12.1977
229. अनुच्छेद 111; नियम 135
230. नियम 135, परंतुक उदाहरणार्थ, देखिए फाइल संख्या 6/9/93-बी
231. अनुच्छेद 111
232. -वही- परंतुक
233. -वही-
234. उदाहरणार्थ, संसदीय समाचार (2), 29.4.1977 एवं 8.7.1977
235. फाइल संख्या 1/31/91-बी
236. संसदीय समाचार (1), 9.3.1992
237. लोक सभा वाद-विवाद, 5.4.1954, कालम 4035
238. नियम 136
239. संसदीय समाचार (2), 10.1.1990
240. फाइल संख्या 1/51/86-बी
241. -वही-
242. अनुच्छेद 368
243. अनुच्छेद 110(1)
244. अनुच्छेद 110(2)
245. अनुच्छेद 110(3)
246. अनुच्छेद 110(4)

247. काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाद-विवाद, 31.5.1952, कालम 910-15
248. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.4.1953, कालम 4455-56
249. -वही- 6.5.1953, कालम 5040
250. अनुच्छेद 109(1)
251. नियम 186(1)
252. नियम 186(4)
253. नियम 186(5)
254. नियम 186(6)
255. अनुच्छेद 109(2)
256. -वही-
257. अनुच्छेद 109(3)
258. अनुच्छेद 109(4)
259. संसदीय समाचार (1), 27.4.1956
260. -वही-19.12.1957
261. -वही-4.9.1961
262. -वही- 30.1.1985
263. -वही- 28.7.1977
264. -वही- 9.5.1978
265. -वही- 3.5.1956; 21.12.1957; 8.9.1961; 3.8.1977; 11.5.1978; 31.1.1985
266. अनुच्छेद 109(5)
267. अनुच्छेद 109(2)
268. अनुच्छेद 367
269. लोक सभा वाद-विवाद, 1.8.1955, कालम 8950-53, संसदीय समाचार (1), 16.8.1955
270. कौल और शकधर, पृष्ठ 473 (पाद-टिप्पण 19)
271. संसदीय समाचार (1), 12.3.1996
272. संसदीय समाचार (2), 12.3.1996
273. संसदीय समाचार (1), 12.6.1998
274. -वही- 15.3.1999
275. -वही- 18.3.1999
276. -वही- 8.5.2000
277. -वही- 11.5.2000
- 277क. -वही- 1.8.2002

- 277ख. संसदीय समाचार (1), 12.8.2004
278. अनुच्छेद 110(4)
279. उदाहरणार्थ, भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1994, संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में
280. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.4.1961, कालम 900-02
281. नियम 186(7)
282. नियम 186(8)
283. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.3.1978, कालम 176-85
284. -वही- 5.5.1978, कालम 164-76
285. फाइल संख्या 2/14/77-बी
286. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.7.1978, कालम 190-91
287. अनुच्छेद 117(1)
288. -वही-
289. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.4.1961, कालम 1273-77
290. -वही- 1.5.1961, कालम 1403-04
291. अनुच्छेद 117(3)
292. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.12.1980, कालम 207
293. -वही- 24.12.1980, कालम 256-66
294. -वही- 18.3.1981, कालम 283-90
295. -वही- 16.9.1953, कालम 2501
296. फाइल संख्या 1/31/91-बी
297. नियम 185(1)
298. नियम 185(2)
299. नियम 185(3)
300. नियम 185(4)
301. फाइल संख्या 1/3/91-बी
302. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.5.1956, कालम 3562-64
303. -वही- 16.9.1963, कालम 4260-4340
304. -वही- 26.8.1968, कालम 4530
305. अनुच्छेद 123(1)
306. अनुच्छेद 123(2)

307. उदाहरणार्थ, नागालैंड राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1981 राज्य सभा में 19.2.1981 को पुरःस्थापित किए गए उक्त विषय संबंधी विधेयक के संबंध में प्रख्यापित किया गया था। अध्यादेश राज्य सभा पटल पर 18.8.1981 को रखा गया था
308. उदाहरणार्थ, रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995
309. उदाहरणार्थ, निक्षेपागार अध्यादेश, 1996, उक्त विषयक विधेयक लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में लंबित है
310. उदाहरणार्थ, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1985, जिसके स्थान पर कोई विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया
311. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.11.1971, 193-98
312. -वही- 17.11.1980, 217-30
313. -वही- 6.11.1987, कालम 237-42
314. अनुच्छेद 123(2)
315. नियम 66(2)
316. राज्य सभा वाद-विवाद, 25.8.1981, कालम 320-46 और 26.8.1981, कालम 139-49
317. -वही- 8.9.1981, कालम 221-23
318. नियम 66(1)
319. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.2.1995
320. तथापि, देखिए, राज्य सभा वाद-विवाद, 23.6.1971, कालम 45-47 और 24.6.1971, जब निरनुमोदन संकल्प तथा आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश, 1971 संबंधी विधेयक पर पृथक-पृथक चर्चा की गई थी और राज्य सभा वाद-विवाद, 8.12.1977 जब बैंककारी सेवा आयोग (उत्सादन) विधेयक, 1977 के संबंध में निरनुमोदन संकल्प और प्रस्ताव पर अलग-अलग मतदान कराया गया था
321. राज्य सभा वाद-विवाद, 5.8.1991, कालम 181
322. -वही- 18.8.1958, कालम 98-110
323. नियम 62(1) और (3)
324. नियम 62(1)
325. संसदीय समाचार (2), 20.6.1952
326. नियम 25(1)
327. नियम 25(2)
328. नियम 25(3)
329. नियम 25(3), प्रथम परंतुक और नियम 29(4)
330. नियम 25(3), द्वितीय परंतुक
331. नियम समिति का चौथा प्रतिवेदन, 14.5.1986 को अंगीकृत, पृष्ठ 1-2
332. कार्यमंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 28.4.1969
333. नियम 25(2)(क)

334. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.12.1990, कालम 285-90 और कार्यावलि 30.4.1992
335. संसदीय समाचार (1), 24.8.1956
336. राज्य सभा वाद-विवाद, 29.11.1968, कालम 2016-17
337. -वही- 30.7.1993, कालम 364-71
338. संसदीय समाचार (1), 13.8.1993
339. नियम 25(3), तृतीय परंतुक
340. उदाहरणार्थ, संसदीय समाचार (2), 20.2.1996
341. राज्य सभा वाद-विवाद, 4.12.1953, कालम 1286, 1304 और 1351
342. -वही- 12.8.1994
343. उदाहरणार्थ, संसदीय समाचार (2), 4.12.1995
344. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.12.1954, कालम 2433-34
345. -वही- 4.12.1953 कालम, 1304-22
346. -वही- 5.3.1954 कालम, 1809-10
347. फाइल संख्या 2/36/91-बी
348. फाइल संख्या 2/18/92-बी
349. नियम 28(1)
350. नियम 28(2)
351. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.12.1954, कालम 2513-15
352. -वही- 23.8.1963, कालम 1289
353. -वही- 18.8.1967, कालम 4918
354. -वही- 29.11.1968, कालम 1995
355. -वही- 30.11.1956
356. -वही- 30.8.1957
357. -वही- 21.8.1959
358. -वही- 13.12.1963
359. -वही- 26.2.1965
360. -वही- 4.3.1966
361. -वही- 14.3.1969
362. -वही- 23.2.1968
363. -वही- 7.8.1970
364. -वही- 21.8.1959

365. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.8.1962 और 19.3.1966
366. -वही- 28.3.1969
367. -वही- 20.3.1970 और 26.3.1971
368. -वही- 4.12.1953, कालम 1277-86
369. -वही- 6.9.1963, कालम 3113
370. नियम 120
371. फाइल संख्या 2/1/87-बी
372. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.4.1992, कालम 309-10 और फाइल संख्या 2/65/91-बी
373. नियम 120(3)
374. संसदीय समाचार (2) में प्रकाशित सभापीठ का निदेश, 23.11.1995 (संख्या 35373)
375. -वही-
376. संसदीय समाचार (2), 27.11.1995 (संख्या 35411)
377. शंकर प्रसाद सिंह देव बनाम भारत का संघ, ए०आई०आर० 1951, उच्चतम न्यायालय 458
378. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए०आई०आर० 1965, उच्चतम न्यायालय 845
379. एल०सी० गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, ए०आई०आर० 1967, उच्चतम न्यायालय 1643
380. खंड (3) और (5)
381. संत केशवानंद भारती और श्री पाडागलवरु बनाम केरल राज्य, ए०आई०आर० 1973, उच्चतम न्यायालय 1461
382. श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, ए० आई० आर० 1975, उच्चतम न्यायालय 2299
383. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत का संघ, ए० आई० आर० 1980, उच्चतम न्यायालय 1789
384. वामन राव बनाम भारत का संघ, ए० आई० आर० 1981, उच्चतम न्यायालय 271; भीम सिंह जी बनाम भारत का संघ, ए० आई० आर० 1981, उच्चतम न्यायालय 234; एस०पी० गुप्ता बनाम भारत का राष्ट्रपति, ए०आई०आर० 1982, उच्चतम न्यायालय 149; एस०पी० सम्पत कुमार बनाम भारत का संघ, ए०आई०आर० 1987, उच्चतम न्यायालय 386; पी० सांबामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए०आई०आर० 1987, उच्चतम न्यायालय 663; किहोता होल्लोहोन बनाम जचिल्हु और अन्य, ए०आई०आर० 1993, उच्चतम न्यायालय 412; एस०आर० बोम्मई बनाम भारत का संघ, ए०आई०आर० 1994, उच्चतम न्यायालय 1918
385. संसदीय समाचार (1), 5.9.1970
386. -वही- 13.10.1989
387. -वही- 28.3.1990
388. लोक सभा संसदीय समाचार (1), 30.3.1990
389. -वही- 5.4.1990
390. संसदीय समाचार (1), 10.4.1990
391. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.3.1990, कालम 306-15

392. संसदीय समाचार (2), 4.4.1990
393. "माई प्रेज़िडेन्शियल यिअर्स", आर० वेंकटरामन, पृष्ठ 142-47
394. शंकरि प्रसाद सिंह देव बनाम भारत का संघ, ए० आई० आर० 1951, उच्चतम न्यायालय 458
395. संविधान सभा वाद-विवाद, खंड IX, 17.9.1949, पृष्ठ 1660
396. अनुच्छेद 2-4
397. अनुच्छेद 169
398. संविधान की पांचवीं अनुसूची, पैरा 7
399. संविधान की छठी अनुसूची, पैरा 21
400. अनुच्छेद 341 और 342
401. अनुच्छेद 3
402. अनुच्छेद 169 (1)
403. कौल और शकधर, पृष्ठ 542, पाद-टिप्पण 463
404. राज्य सभा वाद-विवाद, 13.10.1989, कालम 178-79
405. शंकरि प्रसाद सिंह देव बनाम भारत का संघ, ए० आई० आर० 1951, उच्चतम न्यायालय 458
406. प्रारूप प्रक्रिया नियम संबंधी समिति का प्रतिवेदन, पृष्ठ viii
407. कौल और शकधर, पूर्वोक्त में
408. संसदीय समाचार (1), 16.9.1954 और 19.3.1955
409. -वही- 2.5.1956, 16.5.1956, 12.12.1962, 25.1.1963 और 21.12.1991
410. राज्य सभा वाद-विवाद, 11.9.1956, कालम 4147 और 4201-19
411. -वही- 31.8.1978, कालम 107
412. अनुच्छेद 54 और 55
413. अनुच्छेद 73 और 162
414. अनुच्छेद 241, भाग V का अध्याय IV और भाग VI का अध्याय V
415. भाग XI का अध्याय I और 7वीं अनुसूची
416. अनुच्छेद 368
417. राज्य सभा वाद-विवाद, 17.12.1971, कालम 18-19
418. -वही- 19.12.1988, कालम 8-15
419. फाइल संख्या 1/67/88-बी
420. फाइल संख्या 1/28/92-बी
421. कांस्टीट्यूशन एमेन्डमेन्ट्स इन इंडिया (1995), लोक सभा सचिवालय, नार्दर्न बुक सेन्टर, नई दिल्ली (पृष्ठ 6-7 पर पाद टिप्पणी 21)
422. किहोता होल्लोहोन बनाम जचिल्हु और अन्य पूर्वोक्त